



श्रावक—सन्देशिका

(जैन श्वेताम्बर तेरापंथ श्रावक—श्राविका समुदाय)

प्रकाशक : जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

तृतीय संस्करण : 2020

प्रतियां : 5000

मूल्य : ₹ 15 /—

मुद्रक : पायोराईट प्रिन्ट मीडिया प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर

पुरोवाक्

भगवान महावीर से संबद्ध जैन शासन का एक आम्नाय है जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ। आचार्य भिक्षु द्वारा प्रवर्तित और उनके उत्तरवर्ती आचार्यों द्वारा प्रवर्धित यह धर्मसंघ वर्तमान में ग्यारहवें आचार्य के अनुशास्तृत्व में गतिमान है। धर्मसंघ के श्रावक—श्राविकाओं की साधना अच्छी चले और उनका संगठनात्मक पक्ष भी सुदृढ़ रहे, यह अपेक्षित है। इस संदर्भ में 'श्रावक सन्देशिका' की उपयोगिता असंदिग्ध प्रतीत हो रही है। कुछ अंशों में यह तेरापंथ के श्रावक—श्राविकाओं के लिए एक संविधान की भूमिका अदा कर सकती है। प्रस्तुत संस्करण श्रावक संदेशिका का परिवर्धित—परिवर्तित संस्करण है।

माघ शुक्ला सप्तमी, वि.सं. 2076 (1 फरवरी 2020) के 4:00 PM से श्रावक—संदेशिका का पूर्व संस्करण अप्रभावी तथा प्रस्तुत संस्करण प्रभावी बनाया जा रहा है। प्रस्तुत संस्करण में उल्लिखित निर्देशों का अनुसरण करना तेरापंथ की सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार कर चुके प्रत्येक श्रावक—श्राविका का पुनीत कर्तव्य है।

अपेक्षानुसार प्रस्तुत संस्करण में परिवर्तन, परिवर्धन और अपनयन किया जा सकेगा।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार आचार्यप्रवर द्वारा प्रस्तुत संस्करण में प्रदत्त निर्देशों से भिन्न इंगित भी प्रदान किया जा सकेगा। उसका अनुसरण करना किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं माना जाए।

प्रस्तुत संस्करण में प्रदत्त निर्देशों का अवांछनीय अतिक्रमण होने पर अतिक्रमणकर्ता व्यक्ति यथौचित्य प्रायश्चित्त का पात्र भी बन सकेगा।

23 जनवरी 2020

आचार्य महाश्रमण

हुब्बल्ली

सांकेतिक शब्द

अणुविभा	—	अणुवत विश्व भारती
अ.भा.ते.म.मं.	—	अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल
अ.भा.ते.यु.प.	—	अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्
अनशन	—	जीवनभर के लिए किया जाने वाला तीन (अशन, खाद्य, स्वाद्य) अथवा चारों (पान भी) आहारों का प्रत्याख्यान
आंचलिक सभा	—	जो अपने अंचल/प्रांत का प्रतिनिधित्व करती हो, जिसका कार्य क्षेत्र अपना अंचल/प्रांत हो
उपासक	—	उपासक श्रेणी के सदस्य श्रावक—श्राविकाएं
कल्याण पार्षद	—	कल्याण परिषद् का सदस्य
सी.डी. आदि	—	सी.डी., कैसेट, डी.वी.डी., पेन ड्राईव व तत्सदृश वस्तु
चारित्रात्मा	—	जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्यप्रवर व साधु—साध्वियां
तपस्या	—	नमस्कारसहिता (नवकारसी), पौरुषी, आयंबिल, एकासन, उपवास आदि तप
ते.प्रो.फो.	—	तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम
ते.म.मं.	—	तेरापंथ महिला मंडल
ते.यु.प.	—	तेरापंथ युवक परिषद्
तेरापंथ	—	जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ
तेरापंथी	—	जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ का सदस्य
संगठन मूलक संस्थाएं	—	जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद् एवं उसकी शाखा परिषदें

		अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल एवं उसके शाखा मंडल तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम एवं उसकी शाखाएं
मद्य-मांस	—	शराब व अण्डा, मांस, मछली
महासभा	—	जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
महानगरीय सभा	—	जो किसी महानगर का प्रतिनिधित्व करती हो, जिसका कार्य क्षेत्र अपना संपूर्ण महानगर हो।
विशेष समारोह	—	महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, पट्टोत्सव, चतुर्मासार्थ प्रवेश समारोह, तेरापंथ स्थापना दिवस, पर्युषण का नवाह्निक कार्यक्रम, विकास महोत्सव, चरमोत्सव, वर्धमान महोत्सव, मर्यादा महोत्सवार्थ प्रवेश समारोह, मर्यादा महोत्सव त्रिदिवसीय कार्यक्रम, दीक्षा समारोह।
व्यवस्था समिति	—	आचार्यप्रवर के प्रवास के संदर्भ में बनने वाली प्रवास व्यवस्था समिति
श्रावक	—	जैन श्वेताम्बर तेरापंथी श्रावक व श्राविका
संघीय कार्यक्रम	—	पट्टोत्सव, युवाचार्य मनोनयन दिवस, तेरापंथ स्थापना दिवस, विकास महोत्सव, चरमोत्सव और मर्यादा महोत्सव
संघीय संस्थाएं	—	केन्द्रीय न्यास, केन्द्रीय संस्थाएं व उनसे संबद्ध स्थानीय संस्थाएं, शाखाएं, समितियां आदि
सभा	—	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा
स्थानीय संस्थाएं	—	केन्द्रीय संस्थाओं से संबद्ध सभाएं, शाखाएं और समितियां।

सम्यक्त्व दीक्षा

(गुरु धारणा)

मैं भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूँ।
मैं परमपूज्य आचार्यश्री महाश्रमणजी को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ।
मैं जैन श्वेताम्बर तेरापंथ को अपना एक मात्र धर्म स्वीकार करता हूँ।

संकल्प

1. मैं यावज्जीवन के लिए देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ।
2. मैं अण्डा, मांस, मछली व शराब का सेवन नहीं करूंगा।
3. मैं आवेशवश आत्महत्या और अन्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा।
4. मैं नमस्कार महामंत्र का विशेष परिस्थिति के सिवाय प्रतिदिन कम से कम 21 बार पाठ करूंगा।

इन चारों संकल्पों के अतिक्रमण का मैं यावज्जीवन के लिए त्याग करता हूँ।

श्रावक—निष्ठा—पत्र

मैं जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ का अनुयायी श्रावक हूँ/श्राविका हूँ। इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन—विकास का तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलम्बन मानता हूँ/मानती हूँ। अतः अपने दायित्व—निर्वाह तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ/करती हूँ—

1. मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा, तेरापंथ धर्मसंघ तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा/रहूंगी।
 2. मैं धर्मसंघ की अखण्डता के लिए सतत जागरूक रहूंगा/रहूंगी। दलबन्दी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा/दूंगी।
 3. मैं जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ से मुक्त व्यक्ति (टाळोकर) को प्रश्रय नहीं दूंगा/दूंगी।
 4. मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा/दूंगी।
 5. धर्मसंघ के किसी साधु—साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथौचित्य स्वयं उसे अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा/जताऊंगी।
 6. मैं प्रत्येक शनिवार को सायं सात* से आठ बजे के बीच सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा/करूंगी।
 7. मैं सम्यक्त्व दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा/करूंगी।
- * जिस देश में जब सायंकालीन सात बजे का समय हो, वही समय सात बजे का माना जाए।

श्रावक—दायित्व

(अ) तेरापंथ धर्मसंघ के प्रति श्रावक का दायित्व है कि—

1. धर्मसंघ और उसके आचार्य के प्रति अपनी आस्था को पुष्ट रखे।
2. धर्मसंघ की गौरवशाली परंपरा, रीति—नीति व आदर्शों का अनुसरण करे।
3. धर्मसंघ मेरा है और मैं धर्मसंघ का हूँ—इस संस्कार को पुष्ट रखे।
4. धर्मसंघ की सुरक्षा व सेवा में अपना यथासंभव योगदान दे।

(ब) आचार्य के प्रति श्रावक का दायित्व है कि—

1. आचार्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहे।
2. आचार्य के इंगित और निर्देश का अहोभाव के साथ अनुपालन करे।
3. आचार्य जिन्हें अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करें, उनके प्रति भी समर्पित रहे।

(स) साधु—साध्वियों के प्रति श्रावक का दायित्व है कि—

1. धर्मसंघ के प्रत्येक साधु—साध्वी के प्रति सम्मान का भाव रखे।
2. उनकी साधना में यथासंभव सहयोग करे।
3. अपेक्षानुसार व अनुकूलतानुसार उन्हें प्रासुक—एषणीय (अचित्त और कल्पनीय) आहार, वस्त्र, स्थान आदि का दान दे।
4. यथासंभव उनके दर्शन, उपासना व व्याख्यान श्रवण का लाभ ले।

(द) साधर्मिक श्रावक के प्रति श्रावक का दायित्व है कि—

1. उसके प्रति आध्यात्मिक आत्मीयता और प्रमोद भाव रखे।
2. अस्थिर साधर्मिक को प्रेरणा देकर पुनः धर्मसंघ में स्थिर करने का प्रयत्न करे।
3. अपेक्षानुसार यथासंभव उसका सहयोगी बने।

विषयानुक्रम

कल्याण परिषद् का स्वरूप	12
एक व्यक्ति, एक पद व्यवस्था	15
संस्थाओं की सदस्यता	16
संस्था कार्यकाल	17
संघीय संस्थाओं का स्वरूप	17
सभा	18
संस्था पदाधिकारी व कार्यसमिति सदस्य की अर्हता	20
चुनाव	21
चतुर्मास व पर्युषण की प्रार्थना	22
संविधान संशोधन	23
दृष्टि	23
विवाद	23
तेरापंथ भवन	24
ट्रस्ट	26
तेरापंथ आदि से युक्त नाम	28
गुरुकुलवास व्यवस्था	28
गुरुकुलवास यात्रा	28
व्यवस्था समिति गठन	29
प्रवास व्यवस्था	31
अनुदान	33
संगठन मूलक संस्थाओं के लौकिक कार्यों का विभाजन	33
छात्रावास	35
स्कॉलरशिप	36

अणुव्रत	36
प्रेक्षाध्यान	37
संकल्प पत्र	37
जैनत्व, तेरापंथित्व, अणुव्रतित्व	37
मीडिया	38
विज्ञापन	39
संघीय साहित्य सृजन—प्रकाशन	40
संघीय पत्र—पत्रिकाएं	41
साहित्य लेखन	42
प्रतियोगिता	42
साहित्य विक्रय	43
डायरेक्ट्री प्रकाशन	43
क्षेत्रीय समाचार—सूचना विज्ञप्ति	44
सी.डी. आदि	45
चारित्रात्मा	46
मार्ग सेवा आदि	49
चिकित्सा—दायित्व	51
लौकिक गतिविधियां	52
स्टेच्यू आदि	53
वन्दन—अभिवादन व्यवहार	54
अन्य सम्प्रदाय	55
जैन मंदिर प्रतिष्ठा व मूर्तिपूजा आदि	56
टाळोकर	56
उपक्रम प्रारम्भ	58
कार्यक्रम निर्धारण	58
गुरुकुलवास आयोजन	58
अधिवेशन आदि	65
सम्मान	66

मंच व्यवस्था	67
बहिर्विहार आयोजन	68
समायोजन	69
पर्युषण	75
अठाई आदि तपस्या	76
प्रवेश व जुलूस	76
पुरस्कार, अलंकरण	79
धरना—प्रदर्शन	81
अनशन	81
प्रयाण	82
समाधिस्थल व स्मारक	83
धम्मजागरणा	84
कासीद व्यवस्था	84
सचित्त—अचित्त	86
गोचरी	89
विगय व्यवस्था	90
तपस्या	92
जमीकन्द	96
हरियाली	96
सामायिक व पौषध	97
शीलव्रत	99
प्रतिक्रमण	99
द्रव्य धारणा	100
सुमंगल साधना	100
आगम	101
प्रेरणा	101
प्रायश्चित्त	102

कल्याण परिषद् का स्वरूप

1. केन्द्रीय संस्थाएं और न्यास

		कल्याण पार्षद	
1. जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा	1. अध्यक्ष	2. मंत्री	
2. अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद	3. अध्यक्ष	4. मंत्री	
3. अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल	5. अध्यक्ष	6. मंत्री	
4. तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम	7. अध्यक्ष	8. मंत्री	
5. जैन विश्व भारती	9. अध्यक्ष	10. मंत्री	
6. जैन विश्व भारती इन्स्टिट्यूट	11. चांसलर	12. वाइसचांसलर	
7. अणुव्रत विश्व भारती	13. अध्यक्ष	14. मंत्री	
8. अमृतवाणी	15. अध्यक्ष	16. मंत्री	
9. पारमार्थिक शिक्षण संस्था	17. अध्यक्ष	18. मंत्री	
10. आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान	19. अध्यक्ष	20. मंत्री	
11. आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान	21. अध्यक्ष	22. मंत्री	
12. प्रेक्षा विश्व भारती	23. अध्यक्ष	24. मंत्री	
13. प्रेक्षा इन्टरनेशनल	25. अध्यक्ष	26. मंत्री	
14. अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास	27. प्रबंध न्यासी	28. एक अन्य निर्धारित न्यासी	
15. जय तुलसी फाउण्डेशन	29. प्रबंध न्यासी	30. एक अन्य निर्धारित न्यासी	
16. तेरापंथ विकास परिषद के सभी सदस्य

तेरापंथ की केन्द्रीय संस्थाओं व न्यास के निर्धारित पदाधिकारी और तेरापंथ विकास परिषद् के सदस्य ही कल्याण परिषद् के सदस्य रहेंगे।
2. कल्याण परिषद् की गोष्ठी में कल्याण पार्षद, बहुश्रुत परिषद् के सदस्य तथा समीक्षा परिषद् के सदस्य व कदाचित् विशेष आमंत्रित सदस्य विचाराभिव्यक्ति के अधिकारी होंगे। सामान्यतया अन्य कोई नहीं।

3. कल्याण पार्षद संकल्प लिए बिना कल्याण परिषद् की गोष्ठी में अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
4. कल्याण पार्षद द्वारा ग्राह्य संकल्प—
 'मैं जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ की कल्याण परिषद् का सदस्य हूँ। मैं राग—द्वेष से प्रेरित होकर कोई भी बात कल्याण परिषद् गोष्ठी में नहीं कहूंगा।'
5. कल्याण परिषद् की गोष्ठी सामान्यतया अंग्रेजी महीनों की प्रत्येक 29 दिनांक को आयोजित हो सकेगी। कदाचित् विशेष कारणवश उस दिन वह नहीं हो सकेगी तो उसके स्थान पर अन्य किसी दिनांक में उसे नहीं रखा जा सकेगा तथा माघ शुक्ला पंचमी, षष्ठी, सप्तमी व भाद्रव कृष्णा एकादशी से भाद्रव शुक्ला सप्तमी तक के दिनों में कल्याण परिषद् की गोष्ठी नहीं हो सकेगी।
6. कल्याण परिषद् गोष्ठी में उपस्थित होने वाले कल्याण पार्षद 2 PM से 6 PM बजे तक का समय उस गोष्ठी के लिए यथासंभव आरक्षित रखें।
7. यथासंभव कल्याण पार्षदों को कल्याण परिषद् गोष्ठी में उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए, किन्तु किसी कारण से जब कभी कोई कल्याण पार्षद कल्याण परिषद् गोष्ठी में उपस्थित न हो सके तो उसकी सूचना भेजना व अनुपस्थिति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
8. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ समाज का सर्वोच्च विचार—निर्णय मंच कल्याण परिषद् है। कल्याण परिषद् की गोष्ठी में लिए गए निर्णय तेरापंथ के सभी श्रावक—श्राविकाओं व संघीय संस्थाओं के लिए सम्माननीय व अनुपालनीय होंगे। यहां तक कि कल्याण परिषद् के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी संघीय संस्था की कार्यसमिति, पद व न्यास सदस्यता से मुक्त होने का निर्देश मिलने पर संबद्ध व्यक्ति यथाशीघ्र उसकी क्रियान्विति करेगा।

9. कल्याण परिषद् का प्रत्येक निर्णय आचार्यप्रवर की अनापत्ति अथवा अनुमोदना होने पर ही लागू होगा।
10. सभी कल्याण पार्षद कल्याण परिषद् गोष्ठी में समान अधिकार के धारक होते हैं। एक ही संस्था के अध्यक्ष और मंत्री भिन्न-भिन्न विचार भी व्यक्त कर सकते हैं।
11. किसी संस्था को केन्द्रीय संस्था का दर्जा देने, किसी को केन्द्रीय संस्था के दर्जे से मुक्त करने, किसी केन्द्रीय संस्था का विलय करने व किसी केन्द्रीय संस्था का समापन करने का निर्णय सामान्यतया कल्याण परिषद् की गोष्ठी में ही हो सकेगा।
12. किसी केन्द्रीय संस्था के चुनाव/मनाव के बाद नव निर्वाचित अध्यक्ष, मंत्री ही कल्याण पार्षद होंगे। चाहे वे दायित्वग्रहण कर चुके हों अथवा नहीं। तत्पश्चात् अनन्तर पूर्व अध्यक्ष व मंत्री कल्याण पार्षद नहीं रहेंगे।
13. यदि किसी कल्याण पार्षद के कल्याण परिषद् की सदस्यता का कालमान सम्पन्न होने वाला हो तो यथासंभव समय सम्पन्नता से ठीक पूर्व होने वाली कल्याण परिषद् गोष्ठी में उसे तथा कल्याण परिषद् संयोजक अथवा अन्य किसी कल्याण पार्षद को उस संदर्भ में प्रस्तुति के लिए समय दिया जा सकेगा।
14. यथासंभव प्रत्येक केन्द्रीय संस्था के गत वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के आय-व्यय की रिपोर्ट 29 जुलाई की कल्याण परिषद् गोष्ठी में प्रस्तुत की जाए। यदि 29 जुलाई तक किसी संस्था के लिए वह संभव न हो सके तो वह 29 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। यथासंभव कम से कम 15 दिन पहले उसकी प्रतियां कल्याण पार्षदों को पहुंचा दी जाएं ताकि अपेक्षानुसार कल्याण परिषद् गोष्ठी में उनका वाचन व चर्चा हो सके।

कल्याण परिषद् संयोजक

15. कल्याण परिषद् संयोजक की नियुक्ति आचार्यप्रवर की दृष्टि पर आधारित रहेगी।

16. कल्याण परिषद् संयोजक की कार्य कालावधि आचार्यप्रवर की दृष्टि पर आधारित रहेगी। संस्थाओं का नया चुनाव होने पर यदि वह व्यक्ति पद मुक्त हो जाता है और वह कल्याण पार्षद ही नहीं रहता है तो वह स्वतः ही कल्याण परिषद् संयोजक पद से मुक्त हो जाएगा।

कल्याण परिषद् संयोजक के कर्तव्य—

17. कल्याण परिषद् की गोष्ठी में लिए गए निर्णय को अपेक्षानुसार व्यक्तियों व संस्थाओं तक पहुंचाना।
18. अपेक्षानुसार कल्याण परिषद् का प्रतिनिधित्व करना।
19. अपेक्षानुसार आचार्यप्रवर की सन्निधि के बिना कल्याण परिषद् गोष्ठी का संचालन करना। कल्याण परिषद् की गोष्ठी में लिए गए निर्णय को आचार्यप्रवर को निवेदित करना। जब तक आचार्यप्रवर उसकी अनुमोदना अथवा अनापत्ति नहीं दे देंगे, तब तक वह निर्णय लागू नहीं होगा।

एक व्यक्ति, एक पद व्यवस्था

पद—

- (अ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री तथा प्रचार—प्रसार मंत्री—ये व इनके समकक्ष संयुक्त मंत्री आदि।
- (ब) संघीय संस्थाओं के प्रमुख न्यासी, प्रबन्ध न्यासी एवं संयुक्त प्रबन्ध न्यासी और निर्वाचित ट्रस्टी भी पद की श्रेणी में सम्मिलित होंगे।
- (स) निम्नांकित दर्जे पद नहीं—
1. संरक्षक
 2. परामर्शक
 3. निवर्तमान अध्यक्ष
 4. पंचमण्डल—सदस्य
 5. कार्यसमिति—सदस्य
 6. समितियों और उपसमितियों के संयोजक, प्रभारी
 7. अनुदान से बने ट्रस्टी

पद व्यवस्था निर्देश

20. जो व्यक्ति किसी भी एक संघीय (केन्द्रीय अथवा स्थानीय) संस्था में पदाधिकारी है, वह सामान्यतया अन्य किसी भी संघीय संस्था में पदाधिकारी नहीं रहे।
21. यदि किसी व्यक्ति की संघीय संस्थाओं में एकाधिक पदों की स्थिति बन जाए तो तीन महीनों के भीतर—भीतर किसी भी एक पद से उसे मुक्त होना होगा।
22. एक व्यक्ति दो से अधिक संघीय संस्थाओं में कार्यसमिति सदस्य न रहे। यदि कोई किसी एक संघीय (केन्द्रीय अथवा स्थानीय) संस्था में पदाधिकारी है तो वह अन्य किसी भी एक संघीय संस्था का कार्यसमिति सदस्य बने व रहे तो आपत्ति नहीं।

संघीय संस्थाओं की सदस्यता

23. संघीय संस्थाओं में आनुवांशिक ट्रस्टी व सदस्य न बनाए जाएं।
24. कोई भी व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान व प्रवास स्थान की आंचलिक सभा/महानगरीय सभा तथा स्थानीय सभा/शाखा का सदस्य बन सकेगा।
25. 18 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रावक महासभा व सभा के सदस्य बन सकेंगे।
26. यदि अपने क्षेत्र/उपनगर में सभा/शाखा का गठन हो गया हो तो कोई भी व्यक्ति अन्य क्षेत्र/उपनगर की सभा/शाखा का सदस्य न रहे।
27. कोई भी व्यक्ति अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि के क्षेत्र तथा अपने पूर्व प्रवास स्थान (जहां का वह मूल निवासी नहीं है) की संघीय संस्थाओं का सदस्य नहीं रह सकेगा।
28. अन्य जैन एवं जैनेतर व्यक्ति तेरापंथ की सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार करता है तो सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण करने के तीन वर्षों के बाद ही वह संघीय संस्थाओं का सदस्य बन सकेगा।

29. अन्य जैन अथवा जैनेतर परिवार में विवाहित तेरापंथी परिवार की बेटी यदि यह लिखित रूप में प्रस्तुति देती है कि उसने तेरापंथ की सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार कर रखी है और वह आज भी उस पर कायम है तो वह संघीय संस्थाओं में सदस्य बन सकती है, बनी रह सकती है।

संस्था कार्यकाल

30. संघीय संस्थाओं का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक न हो।
31. संघीय संस्थाओं में एक व्यक्ति निरन्तर दो कार्यकाल से अधिक अध्यक्ष पद पर न रहे।

संघीय संस्थाओं का स्वरूप

32. संघीय संस्थाओं का स्वरूप इस प्रकार रहेगा—

अ. केन्द्रीय संस्था

1. सामान्यतया कल्याण परिषद् द्वारा अधिमानित संस्था ही केन्द्रीय संस्था कहलाने की अधिकारी होगी।
2. उसका लाभ पूरे देश अथवा देश-विदेश दोनों को मिल सकेगा।
3. उसके सदस्य अखिल भारत अथवा भारत व विदेश दोनों से बन सकेंगे।
4. उसके बारे में अपेक्षानुसार यथौचित्य किसी भी रूप में कल्याण परिषद् द्वारा जानकारी व जांच की जा सकेगी।
5. वह कहीं से भी अनुदान प्राप्त करने की अधिकारी होगी।

नोट:— केन्द्रीय न्यास को भी प्रस्तुत संदर्भ में केन्द्रीय संस्था माना गया है।

ब. स्थानीय सभा/शाखा/समिति

1. वह किसी केन्द्रीय संस्था से संबद्ध अथवा उसकी शाखा होगी।
2. उसका कार्यक्षेत्र उसकी निर्धारित क्षेत्र सीमा से अधिक नहीं होगा, जैसे—गांव/नगर/परिसीमित क्षेत्र।
3. वह अपनी संबद्ध केन्द्रीय संस्था की अनुमति के बिना अपनी क्षेत्र सीमा से बाहर के व्यक्तियों से अनुदान नहीं ले सकेगी।
4. निर्धारित क्षेत्र सीमा से बाहर के लोग उसके सदस्य नहीं बन सकेंगे।

सभा

33. प्रत्येक सभा महासभा से सम्बद्ध (एफिलिएटेड) हो, यह अपेक्षित है।
34. सभा का गठन महासभा की लिखित स्वीकृति के बिना नहीं किया जाए।
35. महासभा द्वारा अपेक्षानुसार किसी क्षेत्र में उपसभा का गठन किया जा सकता है, किन्तु ते.यु.प., ते.म.मं. व ते.प्रो.फो. की उपशाखा नहीं बने।
36. आंचलिक सभा अपनी शाखा न बनाए।
37. भारत और नेपाल के बाहर सभा के अतिरिक्त ते.यु.प., ते.म.मं., ते.प्रो.फो. व अणुव्रत समिति का गठन नहीं हो। सभा के अन्तर्गत विभिन्न विभाग बनाए जा सकते हैं व तेरापंथ समाज के युवकों, महिलाओं व प्रोफेशनल व्यक्तियों को कार्य सौंपा जा सकता है। अणुव्रत के संदर्भ में कार्य की दृष्टि से गैरतेरापंथी व्यक्तियों को भी सभा से जोड़ा जा सकता है, किन्तु उन्हें सदस्य न बनाया जाए।
38. सभा का विधान महासभा द्वारा सभाओं के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुरूप हो।
39. साधु-साध्वियों व समणियों की आहार, विहार, प्रवास और चिकित्सा आदि की व्यवस्था का दायित्व सभा का रहे। इस संदर्भ में सभा द्वारा अपेक्षानुसार ते.यु.प. व ते.म.मं. का सहयोग लिया जा सकता है।
40. आचार्यप्रवर की मार्ग सेवा व्यवस्था का दायित्व ग्रहण करने से पूर्व तथा आचार्यप्रवर का वहां से प्रस्थान हो जाने के पश्चात् तत्रस्थ चारित्रात्माओं व समणियों की प्रवास आदि की व्यवस्था का जिम्मा सभा का रहे। अन्य कोई स्थानीय संस्था किसी कार्यक्रम की आयोजक हो तो अलग बात है।
41. संघीय एवं सामाजिक संदर्भों में आचार्यप्रवर के पास संवाद पहुंचाना तथा आचार्यप्रवर से प्राप्त निर्देश आदि को संबंधित चारित्रात्मा आदि के पास पहुंचाना सभा का जिम्मा रहे।

क्षेत्र परिसीमन

42. नगरों/महानगरों में संगठन मूलक प्रत्येक संस्था के 31 सदस्यों की संख्या की पूर्ति हो रही हो तो करीब सात किलोमीटर की परिधि में एक सभा, एक ते.यु.प. शाखा, एक ते.म.मं. शाखा व एक ते.प्रो.फो. शाखा रहे।

परिसीमन के प्रारूप के अनुरूप सभा/शाखा का गठन होने के बाद उसका पुनः विलयन अपनी संबद्ध केन्द्रीय संस्था की सहमति के बिना नहीं किया जाए।

43. किसी क्षेत्र में 31 सदस्यों से कम संख्या हो तो जब तक 31 सदस्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक वहां के निवासी अपनी निकटतम सभा/शाखा के सदस्य बन सकते हैं, किन्तु जब अपने क्षेत्र में सभा/शाखा का गठन हो जाए, तब वे सदस्य निकटतम सभा/शाखा की सदस्यता से तीन महीनों के भीतर-भीतर मुक्त होकर अपने क्षेत्र की सभा/शाखा के सदस्य बन जाएं।
44. महासभा की स्वीकृति के बिना आंचलिक सभा/महानगरीय सभा किसी स्थानीय सभा के कार्यक्षेत्र में किसी भी स्थानीय स्तर के कार्यक्रम व गतिविधि का समायोजन न करे।
45. परिसीमन की व्यवस्था के अनुसार कहीं शाखा का गठन हो गया हो तो पूर्ववर्ती शाखा के जितने सदस्य उस नई शाखा के सदस्य बने। उनकी संख्या के अनुपात में पूर्ववर्ती शाखा की नगद सम्पत्ति नई शाखा को सौंप दी जाए तथा अचल सम्पत्ति के विषय में कोई समस्या आए तो वह शाखा अपनी केन्द्रीय संस्था से पथदर्शन प्राप्त कर सकती है। फिर भी कोई समस्या रह जाए तो कल्याण परिषद् से पथदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
46. क्षेत्र परिसीमन हो जाने के बाद किसी भी नगर अथवा महानगर में सभा के सिवाय अन्य तीनों संगठनमूलक संस्थाओं की शाखाएं उस

नगर अथवा महानगर के नाम से न रहे। वहां सभी शाखाओं के नामकरण में संबद्ध उपनगरों आदि के नाम समाविष्ट हों।

संस्था पदाधिकारी व कार्यसमिति सदस्य की अर्हता

47. वही व्यक्ति संगठन मूलक संस्थाओं में पदाधिकारी व कार्यसमिति का सदस्य बन सकता है, जो जीवनभर के लिए मद्य-मांस का त्याग कर चुका है और उसका पालन कर रहा है।
48. गुटखा आदि नशीले पदार्थों के विक्रेता/निर्माता अथवा उभय को किसी भी संघीय संस्था में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि व चयनित रूप ट्रस्टी जैसे पदों पर आसीन नहीं होना चाहिए।
49. कोई श्रावक तेरापंथ की आचार्य परम्परा के किसी भी आचार्य को आचार्य अथवा साधु नहीं मानने की बात स्पष्ट रूप में वचन से अथवा लेखन रूप में अभिव्यक्त करता है तो वह व्यक्ति किसी भी संगठन मूलक संस्था का साधारण सदस्य भी रहने के योग्य नहीं है। यदि वह किसी भी संगठन मूलक संस्था का साधारण सदस्य है तो उसको अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात् यदि यह बात प्रमाणित हो जाती है और वह इस बात को स्वीकार करता है कि उसने ऐसी अभिव्यक्ति दी है और वह अपनी बात पर अडिग रहता है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संगठन मूलक संस्थाओं की साधारण सदस्यता से मुक्त कर दिया जाए। यदि वह व्यक्ति उस अभिव्यक्ति को अपनी गलती मान ले और लिखित रूप में क्षमायाचना कर ले और भविष्य में उस गलती की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प व्यक्त करे तो उसको साधारण सदस्यता से मुक्त न किया जाए, किन्तु उसके द्वारा प्रदत्त क्षमायाचना का पत्र तेरापंथ टाइम्स में प्रकाशित किया जाना चाहिए। क्षमायाचना पत्र दे देने के बाद तीन वर्षों तक उसे किसी भी संगठन मूलक संस्था में पदाधिकारी व कार्यसमिति का सदस्य न बनाया जाए, वर्तमान में हो तो उससे उसे मुक्त कर दिया जाए।

यदि संबद्ध व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए निर्धारित दिनांक में प्रस्तुत न हो तो यह निर्णय कर लिया जाए कि उसकी साधारण सदस्यता समाप्त की जा रही है। अगर वह आकर अपना पक्ष रखेगा और पक्ष रखने के बाद स्थिति अन्य लगेगी तो आज के निर्णय में परिवर्तन किया जा सकेगा।

इसी प्रकार कोई श्रावक तेरापंथ के किसी भी साधु, साध्वी व समणी को साधु, साध्वी व समणी नहीं मानने की बात लेखन या वचन में अभिव्यक्त कर दे अथवा मीडिया में उनके प्रति कोई आरोप लगाए तो उसके लिए भी सारी बात पूर्ववत् है।

50. यदि कोई श्रावक तेरापंथ के वर्तमान आचार्यप्रवर अथवा उनके किसी निर्णय पर सोशियल मीडिया, मीडिया व पत्र प्रसारण के माध्यम से नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उसे एक बार स्पष्ट समझाया जाए, फिर भी वह दुबारा वैसा काम करता है तो उसे चेतावनी दी जाए कि अब ऐसा करोगे तो कार्रवाई की जा सकेगी। चेतावनी देने के बाद भी वह कार्य करने पर उसे किसी भी संगठन मूलक संस्था में पदाधिकारी व कार्यसमिति का सदस्य बनने व रहने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाए।

यह सारी प्रक्रिया कल्याण परिषद् गोष्ठी में स्वीकृत होने के बाद ही होनी चाहिए।

चुनाव

51. केन्द्रीय संस्थाओं के चुनाव के संदर्भ में निर्वाचन अधिकारी कल्याण पार्षदों में से ही नियुक्त किए जाएं।
52. स्थानीय संस्थाओं के चुनाव संबद्ध केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट एक महीने के भीतर-भीतर हो जाएं।
53. सामान्यतया नव निर्वाचित अध्यक्ष संबद्ध संस्था के निवर्तमान (ठीक पिछला) अध्यक्ष से शपथ ग्रहण करे।

54. संघीय संस्थाओं में कोई व्यक्ति फर्जी आधार पत्र अथवा तत्सदृश के आधार पर उम्मीदवार बन जाए और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए, (वह चाहे जीते अथवा हारे) उसके बाद यह बात स्पष्ट हो जाए कि उसका आधार पत्र फर्जी था तो यदि स्थानीय संस्था का विषय हो तो उसकी केन्द्रीय संस्था उस व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दे, सुनवाई होने के बाद वह दोषी साबित होता है तो उसे तीन सौ साठ दिनों के लिए उस संस्था की साधारण सदस्यता से निलम्बित कर दिया जाए और चार साल तक वह किसी भी संघीय संस्था में किसी भी पद व कार्यसमिति में न आए, न लिया जाए। यदि यही विषय केन्द्रीय संस्था से संबद्ध हो तो कल्याण परिषद् से पथदर्शन ले लिया जाए।

पक्ष प्रस्तुत करने के लिए यदि वह व्यक्ति आए ही नहीं तो दुबारा—तिबारा उसे आमंत्रित किया जा सकता है। तिबारा आमंत्रित करने पर भी न आए तो केन्द्रीय संस्था अपना निर्णय उसे संप्रेषित कर सकती है। यदि यह प्रक्रिया कानूनी स्तर पर स्थानीय संस्था के संदर्भ में स्थानीय संस्था से करवानी आवश्यक हो तो केन्द्रीय संस्था के निर्देश के अनुसार स्थानीय संस्था वैसा कर सकती है।

चुनाव सम्पन्नता के बाद अधिकतम पचास दिनों में यह कार्य सम्पन्न करने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

चतुर्मास व पर्युषण की प्रार्थना

55. संसारपक्षीय ज्ञाति साधु—साध्वियों के अतिरिक्त किसी भी साधु—साध्वी के चतुर्मास के लिए नामोल्लेखपूर्वक प्रार्थना न की जाए।
56. सामान्यतया चारित्रात्माओं के चतुर्मास के लिए सभा के द्वारा ही निवेदन किया जाए। जहां सभा न हो, वहां अन्य संगठनमूलक संस्थाएं भी वह निवेदन कर सकेंगी।
57. यदि पर्युषण में धर्माश्रयना कराने के लिए समणी/मुमुक्षु/उपासक की सेवा अपेक्षित हो तो स्थानीय सभा द्वारा अनन्तर पूर्ववर्ती जून

महीने में गुरुकुलवास में संचालित महासभा के शिविर कार्यालय में तत्संबंधी प्रार्थना पत्र पहुंचाया जा सकता है अथवा वह पत्र आचार्यप्रवर को भी निवेदित किया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में सभा न हो तो वहां की अन्य संगठन मूलक संस्थाओं द्वारा वह प्रार्थना की जा सकती है।

संविधान संशोधन

58. किसी भी केन्द्रीय संस्था को संविधान संशोधन करना हो तो अपनी कार्यसमिति में प्रारूप तैयार हो जाने के बाद कल्याण परिषद् द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को दिखाए बिना अपनी साधारण सभा में उसे प्रस्तुत नहीं किया जाए।

दृष्टि

69. आचार्यप्रवर की 'दृष्टि' (किसी विषय में निर्देश) उसी को माना जाए जो लिखित रूप में दिया जाए। मौखिक बात को 'दृष्टि' नहीं माना जाए।

विवाद

60. संधारा, बाल दीक्षा आदि तथा चारित्रात्माओं से संबंधित विषय में यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका से संपर्क करना अपेक्षित हो तो तेरापंथ का प्रतिनिधित्व महासभा करे। महासभा द्वारा निवेदन किए जाने पर अन्य संघीय संस्थाएं भी महासभा की सहयोगी बन सकती हैं।
61. चारित्रात्माओं, समणश्रेणी व संघीय संस्थाओं से संदर्भित किसी मुद्दे को न्यायालय व प्रशासनिक प्राधिकरण (पुलिस आदि) में न ले जाया जाए।
62. दो केन्द्रीय संस्थाओं में परस्पर विवाद हो जाने पर उसे आपस में मिल-बैठकर बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया जाए। यदि पारस्परिक बातचीत से कोई समाधान न निकले तो अपनी बात कल्याण परिषद् गोष्ठी में प्रस्तुत की जा सकती है। तत्पश्चात् कल्याण परिषद् के द्वारा जो पथदर्शन दिया जाए, उस पर ध्यान दे लिया जाए।

63. स्थानीय संस्था अथवा संस्थाओं में विवाद की स्थिति पैदा होने पर वे आपस में मिल-बैठकर उसे समाहित करने का प्रयास करें। आपस में समाधान न होने पर अपनी-अपनी केन्द्रीय संस्था तक वह बात पहुंचाई जा सकती है। वहां से भी समाधान प्राप्त न होने पर विवाद को कल्याण परिषद् संयोजक के पास पहुंचा दिया जाए। जहां महानगरीय सभा या आंचलिक सभा हो तो स्थानीय सभा किसी विवाद के संदर्भ में महासभा के पास अपनी बात पहुंचाने से पूर्व अपनी महानगरीय सभा या आंचलिक सभा से इच्छानुसार इस विषय में संपर्क कर सकती है।

तेरापंथ भवन

64. तेरापंथ भवन और तेरापंथ भवन के लिए अपेक्षित ट्रस्ट सभा के अंतर्गत ही बनाए जाएं।
65. तेरापंथ भवन में यथासंभव प्रतिदिन सामायिक, स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक उपक्रम चलाए जाएं।
66. तेरापंथ भवन का एक भाग उपासना स्थल के रूप में आरक्षित रहे। उसमें विवाह आदि सांसारिक प्रवृत्तियां तथा किसी भी प्रकार का भोज नहीं हो।
67. यदि अनुकूलता हो तो तेरापंथ भवन में स्थानीय संस्थाओं को उनके कार्यालयों के लिए अपेक्षित स्थान दिया जाए।
68. तेरापंथ भवन में आगमों व आचार्यों के सुवाक्यों-सूक्तों को यथौचित्य अंकित किया जाए, अन्य चारित्रात्माओं के नहीं।
69. तेरापंथ भवन पर जैन ध्वज और तेरापंथ का प्रतीक लगाया जाए। तेरापंथ भवन के भीतर नमस्कार महामंत्र तथा भगवान महावीर, आचार्य भिक्षु और वर्तमान आचार्यप्रवर का चित्र लगाया जाए। यथानुकूलता तेरापंथ के अन्य आचार्यों के चित्र तथा संघगान और श्रावकनिष्ठा पत्र भी वहां अंकित किए जाएं।
70. तेरापंथ भवन में किसी भी गृहस्थ का फोटो नहीं लगाया जाए।

71. यदि किसी तेरापंथ भवन पर सभा का आधिपत्य नहीं है, अन्य किसी ट्रस्ट आदि का आधिपत्य है तो उसकी संचालिका समिति पर महासभा का नीतिगत नियंत्रण रहे। उसका अनुसरण करना तेरापंथ भवन की संचालिका समिति का प्रतिबद्धतापूर्ण दायित्व रहे। यदि महासभा की कोई बात उस संचालिका समिति को न जचे तो वह कल्याण परिषद् संयोजक से संपर्क कर सकती है। तत्पश्चात् कल्याण परिषद् द्वारा जो निर्णय दिया जाए, उसके अनुरूप महासभा और संचालिका समिति अपनी बात को आकार दे दें।
72. अन्य सम्प्रदाय के आचार्य, उपाध्याय तथा साधु-साधवियों को चतुर्मास के लिए तेरापंथ भवन सामान्यतया नहीं दिया जाए।
शेष काल (चतुर्मास के सिवाय समय) में यदि तेरापंथ भवन खाली है तो वह उन्हें ससम्मान उपलब्ध करवाया जा सकता है, किन्तु तेरापंथ-आचार्यों के चित्रों को न उतारा जाए और न ही उन पर आवरण डाला जाए।
73. तेरापंथ भवन के संदर्भ में अवैध निर्माण से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए।
74. तेरापंथ भवन के शिलालेखों पर अध्यक्ष-मंत्री आदि के नाम अंकित न किए जाएं।
75. तेरापंथ भवन के मुख्य द्वार व प्रत्येक कक्ष आदि पर अनुदानदाता का नामोल्लेख न हो। अनुदानदाताओं के नाम उपयुक्त स्थान पर विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अंकित किए जा सकते हैं।
76. तेरापंथ भवन में "तेरापंथ भवन आचार संहिता" उपयुक्त स्थान पर अंकित रहे।

तेरापंथ भवन आचार संहिता

1. तेरापंथ भवन एक पवित्र स्थल है। इसकी पवित्रता बनाए रखना सबका दायित्व है।
2. भवन में आयोजित कार्यक्रमों में आहार शुद्धि का पूर्ण ध्यान

रखना अनिवार्य है। भोजन पूर्णतः शाकाहारी होना चाहिए।
सामिष भोजन का प्रयोग सर्वथा वर्जनीय है।

3. भवन में मद्यपान व अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का प्रयोग और
अश्लील नृत्य-संगीत, जुआ आदि संस्कृति विरुद्ध क्रियाकलाप
सर्वथा वर्जनीय हैं।

नोट :-

- निर्धारित आचार संहिता का अतिक्रमण होने पर तेरापंथ भवन
के अधिकारी तेरापंथ भवन के आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द
कर सकते हैं।

ट्रस्ट

77. सभा के अंतर्गत बनने वाले ट्रस्ट में अनुदान आधारित ट्रस्टी बनाए
जाएं तो उसके ट्रस्ट बोर्ड में 50 प्रतिशत ट्रस्टी अनुदान आधारित व
50 प्रतिशत ट्रस्टी सभा के सदस्यों में से चयनित किए जाएं।
78. महासभा की लिखित स्वीकृति के बिना तेरापंथी या गैरतेरापंथी किसी
भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के द्वारा किसी भी विद्यालय,
चिकित्सालय, भवन आदि व ट्रस्ट के नामकरण में 'तेरापंथ' व
तेरापंथ-आचार्यों का नाम नहीं जोड़ा जाए। महासभा उसकी
लिखित स्वीकृति तभी दे, जब वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह महासभा
द्वारा प्रदत्त मर्यादाओं के पालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताए।
उनकी दैनन्दिन व्यवस्थाओं में महासभा का हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

तेरापंथ अथवा तेरापंथ-आचार्यों के नाम से निर्मित ट्रस्ट अथवा भवन
आदि के द्वारा महासभा द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का अतिक्रमण होने
पर उस नाम के उपयोग के अधिकार को वापिस भी लिया जा
सकेगा। यह व्यवस्था पूर्व निर्मित व भविष्य में निर्मित होने वाले ट्रस्ट,
भवन आदि पर समान रूप से लागू होगी। यही व्यवस्था तेरापंथ
समाज द्वारा संचालित अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान आदि गतिविधियों के नाम
से युक्त ट्रस्ट व भवन के विषय में ज्ञातव्य है।

79. तेरापंथ, तेरापंथ-आचार्यों व तेरापंथ धर्मसंघ द्वारा संचालित अणुव्रत आदि गतिविधियों के नाम से निर्मित ट्रस्ट व भवन (जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक तेरापंथी समाज के अनुयायियों का आधिपत्य हो) पर महासभा का तेरापंथ भवन के समान ही नीतिगत नियंत्रण रहेगा। उन पर ट्रस्ट के संदर्भ की अग्रांकित धाराएं लागू होंगी—
- क. ट्रस्ट के पंजीयन से पूर्व ट्रस्ट डीड महासभा से स्वीकृत कराना अपेक्षित रहेगा। पंजीकृत ट्रस्ट डीड की हस्ताक्षरयुक्त दो प्रतिलिपियां महासभा को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
 - ख. जो ट्रस्ट पहले से पंजीकृत हैं, उनकी डीड में भी महासभा द्वारा यथापेक्षा परिवर्तन का निर्देश दिया जा सकेगा।
 - ग. प्रत्येक कार्यकाल का चुनाव होने के बाद पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यों की सूची महासभा को उपलब्ध कराई जाए।
 - घ. स्थानीय ट्रस्ट में स्थानीय सभा के अध्यक्ष और मंत्री पदेन ट्रस्टी होंगे। महासभा के निर्देश पर भवन में स्थानीय सभा के स्थायी कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
 - ङ. तेरापंथ समाज के लिए वह भवन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाए।
 - च. यदि आचार्यप्रवर का पदार्पण हो तो ट्रस्ट के स्वामित्व में स्थित सभी भवन व्यवस्था समिति को उपयोगार्थ सौंपना अनिवार्य होगा।
 - छ. चारित्रात्माओं के प्रवास के संदर्भ में भवन की उपलब्धता पर ध्यान देना आवश्यक होगा।
 - ज. आनुवंशिक ट्रस्टी का प्रावधान नहीं रहे।
 - झ. श्रावक-सन्देशिका में उल्लिखित 65 से 75 तक की धाराएं तथा 'तेरापंथ भवन आचार संहिता' अनुपालनीय होगी।
 - ञ. समय-समय पर महासभा द्वारा यथापेक्षा निर्देश/सुझाव दिए जा सकेंगे।

तेरापंथ आदि से युक्त नाम

80. संघीय संस्थाओं के अतिरिक्त तेरापंथ के नाम से किसी संस्था या संगठन का गठन करने से पूर्व महासभा से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
81. स्थानीय संस्थाओं व व्यक्तियों के द्वारा नए सिरे से तेरापंथ व तेरापंथ आचार्यों के नाम से कोई गतिविधि का प्रारंभ नहीं किया जाए।
82. नए सिरे से तेरापंथ व तेरापंथ आचार्यों के नाम से विद्या संस्थानों की स्थापना जैन विश्व भारती के मालिकाना या एफिलिएशन में ही की जाए।
83. किसी ट्रस्ट, भवन, विद्यालय, चिकित्सालय या उसमें संचालित उपक्रम में तेरापंथ व तेरापंथ आचार्यों के नाम के साथ किसी गृहस्थ के नाम को न जोड़ा जाए।
84. गौशाला, प्याऊ के साथ तेरापंथ व तेरापंथ-आचार्यों का नाम न जोड़ा जाए।
85. महासभा की लिखित स्वीकृति के बिना किसी कमरे, हॉल आदि का नामकरण तेरापंथ व तेरापंथ आचार्यों के नाम से नहीं किया जाए।

गुरुकुलवास व्यवस्था

86. गुरुकुलवास में कार्यरत सभी कर्मचारी, मार्ग सेवा निर्धारण, यात्रा सम्बन्धी व्यवस्थाओं तथा फोटोग्राफी आदि से सम्बन्धित अपेक्षित मार्गदर्शन व नियंत्रण का दायित्व महासभा का रहे।
87. गुरुकुलवास में केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा नियोजित वाहन, कर्मचारी आदि की उपयोगिता व अनुपयोगिता की समीक्षा करना महासभा का जिम्मा रहे।

गुरुकुलवास यात्रा

88. गुरुकुलवास (आचार्यप्रवर द्वारा अन्य चारित्रात्माओं के साथ की जाने वाली) यात्रा में अपेक्षित प्रचार-प्रसार आदि का मुख्य दायित्व महासभा का रहे। उसके लिए अपेक्षित अर्थ महासभा के ट्रस्टी,

पदाधिकारी, कार्यसमिति व परामर्शक सदस्यों के सिवाय अन्य किसी से यथासंभव न लिया जाए।

89. गुरुकुलवास यात्रा की व्यवस्था के जिम्मेदार होते हैं— 1. महासभा द्वारा नियुक्त गुरुकुलवास यात्रा प्रबंधन समिति 2. संबद्ध क्षेत्र की प्रवास व्यवस्था समिति। इनके द्वारा नियुक्त एक-एक व्यक्ति भी उसके उत्तरदायी हो सकेंगे।

गुरुकुलवास यात्रा प्रबंधन समिति का दायित्व

90. प्रचार-प्रसार कार्य, प्रशासनिक कार्य, जनसंपर्क कार्य, व्यवस्था समिति आदि को अपेक्षित मार्गदर्शन देना, संघीय कार्यक्रमों में स्थान व्यवस्था आदि का निरीक्षण करना, मार्ग सेवा व्यवस्था के कालमान का निर्धारण करना तथा एतत् सदृश अन्य कार्य संपादित करना गुरुकुलवास यात्रा प्रबंधन समिति का दायित्व रहे।

व्यवस्था समिति का दायित्व

91. अपेक्षानुसार चारित्रात्माओं व समणीवृन्द के लिए स्थान की व्यवस्था करना, सेवारत मार्गवर्ती डेरों के प्रवास आदि की व्यवस्था करना एवं चारित्रात्माओं की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना व्यवस्था समिति का दायित्व रहे।
92. मार्ग व्यवस्था के संदर्भ में व्यवस्था समिति के द्वारा असमर्थता प्रकट किए जाने पर उसका जिम्मा गुरुकुलवास यात्रा प्रबंधन समिति का रह सकेगा।

व्यवस्था समिति गठन

93. चतुर्मास, मर्यादा महोत्सव और अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में होने वाले आचार्यप्रवर के प्रवास के संदर्भ में व्यवस्था समिति का गठन होना अनिवार्य है। अन्य प्रवास के संदर्भ में व्यवस्था समिति का गठन अनिवार्य नहीं है।
94. आचार्यप्रवर का घोषित चतुर्मास शुरू होने से पूर्ववर्ती दो वर्षों में ही चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष का चयन होना चाहिए, उससे पहले नहीं।

95. आचार्यप्रवर के चतुर्मास के संदर्भ में गठित होने वाली व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया—

संबद्ध क्षेत्र की सभा द्वारा अपनी साधारण सभा की गोष्ठी आहूत कर चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष पद के लिए नाम आमंत्रित किए जाएं तथा यह निर्णय लिया जाए कि प्राप्त एक अथवा एकाधिक नामों को आचार्यप्रवर को निवेदित किया जा सकेगा, उनमें से अथवा उनसे अतिरिक्त जिस व्यक्ति के लिए आचार्यप्रवर चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करेंगे, वही व्यक्ति चतुर्मास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष होगा।' तत्पश्चात् आचार्यप्रवर द्वारा जिस व्यक्ति के लिए अनापत्ति प्रदान की जाए, उसको संबद्ध सभा के अध्यक्ष द्वारा चतुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र सौंपा जाए।

96. मर्यादा महोत्सव व अक्षयतृतीया के संदर्भ में गठित होने वाली व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया सभा की साधारण सभा की गोष्ठी में सम्पन्न हो। सर्वसम्मति अथवा बहुमत से अध्यक्ष का चयन कर लिया जाए। यदि चयन में विशेष कठिनाई हो तो महासभा से पथदर्शन लिया जा सकता है। फिर भी कोई कठिनाई हो तो कल्याण परिषद् संयोजक से निवेदन कर दिया जाए। तत्पश्चात् कल्याण परिषद् जो पथदर्शन प्रदान करे, उस पर ध्यान दे लिया जाए।

97. किसी कारण से व्यवस्था समिति अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो जब तक नया अध्यक्ष मनोनीत न हो जाए तब तक अपेक्षानुसार व्यवस्था समिति के उपाध्यक्षों आदि में से किसी को अंतरिम कार्यकाल का जिम्मा सभा कार्यसमिति द्वारा सौंप दिया जाए और उचित समय पर नए अध्यक्ष का चयन कर लिया जाए।

98. व्यवस्था समिति अध्यक्ष की अर्हताएं—

- जो तेरापंथ की सम्यक्त्व दीक्षा लिया हुआ हो।
- जिसने यावज्जीवन के लिए मद्य—मांस का त्याग कर रखा हो और उसका पालन भी कर रहा हो।
- जिस पर सक्षमता अथवा अक्षमता की स्थिति में किसी भी प्रकार

की अवांछनीय देनदारी व सप्रमाण चारित्रिक धब्बा न हो।

- जो जुआ सदृश गर्हणीय प्रवृत्तियों में कम से कम पिछले दो वर्षों से लिप्त न रहा हो।

व्यवस्था समिति के अध्यक्ष के दायित्व

1. व्यवस्था समिति तथा उसकी सभी गतिविधियों का नेतृत्व करना।
2. व्यवस्था समिति के पदाधिकारियों, कार्यसमिति व विभिन्न कार्यों की समितियों का गठन करना।
3. चारित्रात्माओं के प्रवास के संदर्भ में संबद्ध मुनि को स्थान की जानकारी देना।

विशेष

99. व्यवस्था समिति का गठन हो जाने के बाद व्यवस्था के कार्यों को संचालित करने की दृष्टि से सभा द्वारा उसके मालिकाना में स्थित भवन व्यवस्था समिति को उचित समय पर सौंप दिए जाएं। किसी प्रकार की विशेष कठिनाई हो तो व्यवस्था समिति व सभा महासभा से मार्गदर्शन ले सकती हैं।

प्रवास व्यवस्था

100. गुरुकुलवास (आचार्यप्रवर आदि) के प्रवास के संदर्भ में अनुदान ग्रहण करने का अधिकार एकमात्र व्यवस्था समिति का रहे। अन्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा प्रवास के संदर्भ में अनुदान ग्रहण न किया जाए, न ही भोजनशाला, केन्टीन, चिकित्सा, यातायात व आवास आदि की व्यवस्था की जाए।
101. आचार्यप्रवर के महानगर में प्रवास के दौरान उपनगर प्रवास की व्यवस्था भी व्यवस्था समिति ही संभाले। उपनगरीय स्थानीय संस्थाओं का यथोचित सहयोग लिया जा सकता है। कार्ड, पोस्टर, बैनर आदि प्रचार सामग्री में व्यवस्था समिति का नाम मुख्यतया रहे, यथावश्यक स्थानीय संस्थाओं के नाम भी रह सकते हैं।
102. यदि आचार्यप्रवर किसी परिवार के मकान में प्रवास करें तो व्यवस्था समिति की स्वीकृति मिलने पर उस परिवार द्वारा उस प्रवास

में आगंतुक लोगों आदि की व्यवस्था का आर्थिक दायित्व वहन किया जा सकता है।

103. आचार्यप्रवर के प्रवास के दौरान स्थानीय संस्थाओं द्वारा कोई भी कार्यक्रम व्यवस्था समिति अध्यक्ष की सहमति के बिना न किया जाए। किसी केन्द्रीय संस्था के भवन में एक दिवसीय आदि प्रवास हो तो वहां एक कार्यक्रम आयोजित करने का जिम्मा उस केन्द्रीय संस्था को प्राथमिकतया मिलना चाहिए।
104. आचार्यप्रवर के प्रवास के दौरान स्थानीय संस्था द्वारा आयोज्य कार्यक्रम के लिए नए सिरे से अर्थ संकलन न किया जाए। अपने निजी कोष में पूर्व संकलित अर्थ के द्वारा उस कार्यक्रम से संबंधित करणीय कार्य किए जा सकते हैं।
105. आचार्यप्रवर के चतुर्मासिक क्षेत्र में व्यवस्था समिति के गठन के बाद उसी चतुर्मास के पूर्ववर्ती काल में आने वाले गुरुकुलवासी व बहिर्विहारी (जिसका चतुर्मास गुरुकुलवास में घोषित है अथवा संभावित है।) साधु-साध्वियों की मार्ग सेवा व्यवस्था का दायित्व व्यवस्था समिति का रहे, स्थानीय सभा का नहीं। कोई व्यक्तिगत सेवा करे तो आपत्ति नहीं।
106. आचार्यप्रवर के चतुर्मास से पूर्ववर्ती चतुर्मास की सम्पन्नता के बाद स्थानीय सभा आदि संगठन मूलक संस्थाओं के तत्त्वावधान में गुरुकुलवास में मार्ग सेवा न की जाए।
107. साधु-साध्वियों के प्रवास के संदर्भ में व्यवस्था समिति न बनाई जाए।
108. केन्द्रीय संस्थाएं गुरुकुलवास में आयोजित होने वाले अपने अधिवेशन, सम्मेलन व गतिविधि संचालन आदि के संदर्भ में आवास, भोजन व कार्यक्रम स्थल आदि की सुविधा व्यवस्था समिति द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत अथवा किसी अन्य स्थान में करना चाहें तो व्यवस्था समिति के अध्यक्ष की सहमति के बिना वैसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय संस्थाएं भी कोई कार्यक्रम अथवा गतिविधि का संचालन व्यवस्था समिति द्वारा निर्धारित स्थान में अथवा अन्यत्र आयोजित करना

चाहें तो आचार्यप्रवर के प्रवास के दौरान वहां की व्यवस्था समिति के अध्यक्ष की सहमति के बिना न करें।

अनुदान

109. किसी भी उद्देश्य से अनुदान की लिखित अथवा मौखिक प्रतिबद्धता हो जाने के बाद अनुदानदायी व्यक्ति को निर्धारित समयावधि में अनुदानग्राही संस्था/व्यवस्था समिति को वह अर्थ राशि सौंप देनी चाहिए।
110. तेरापंथ समाज में बोली आदि रूप में अनुदान की घोषणा नहीं की जाए।
111. अर्थ प्रदान की घोषणा या लेखन में 'विसर्जन' शब्द का प्रयोग न किया जाए। उसके लिए 'अनुदान' या 'अर्थ सहयोग' आदि शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं।
112. तेरापंथ के आचार्यप्रवर के चतुर्मास, यात्रा व प्रवास आदि के संदर्भ में गैर तेरापंथी समाज के लोगों से अनुदान नहीं लिया जाए। चिकित्सालय, विद्यालय, अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान आदि के संदर्भ में वह लिया जाए तो आपत्ति नहीं।
113. आचार्यप्रवर के चतुर्मास आदि की व्यवस्था के संदर्भ में विज्ञापन (बैंक, कंपनी आदि) के रूप में अनुदान ग्रहण नहीं किया जाए।
114. गुरुकुलवास में संचालित वाहनों पर अनुदानदाता के रूप में किसी गृहस्थ का फोटो नहीं लगाया जाए।

संगठन मूलक संस्थाओं के लौकिक कार्यों का विभाजन

115. महासभा, सभा, अ.भा.ते.यु.प. व उसकी शाखाएं, अ.भा.ते.म.मं. व उसकी शाखाएं, ते.प्रो.फो. व उसकी शाखाएं— इन चारों द्वारा निम्नांकित चिकित्सा सेवा ही की जा सकती है—

अ) महासभा, सभा—

होम्योपैथी चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा केम्प व केन्द्र।

ब) अ.भा.ते.यु.प. व उसकी शाखाएं—

ब्लड डोनेशन, आइकेम्प, निदान केन्द्र, डायलिसिस सेन्टर।

स) अ.भा.ते.म.मं. व उसकी शाखाएं—

फिजियोथेरापी, महिला रोग जांच।

द) ते.प्रो.फो. व उसकी शाखाएं—

चल चिकित्सा (गुरुकुलवास व बाहर), स्वास्थ्य जांच, औषध वितरण कार्य (भिक्षु आरोग्यम् आदि)।

इन चारों संस्थाओं को केन्द्रीय स्तर पर अन्य कोई चिकित्सा उपक्रम शुरू करना अभीष्ट हो अथवा किसी अपने चिकित्सा उपक्रम में परिवर्तन करना हो तो उसकी प्रस्तुति कल्याण परिषद् गोष्ठी में होनी अपेक्षित है।

अन्य कोई भी केन्द्रीय संस्था कोई भी चिकित्सा-सेवा करे तो आपत्ति नहीं।

मात्र स्थानीय स्तर पर कोई भी चिकित्सा संबंधी प्रवृत्ति की जाए तो आपत्ति नहीं। कार्य में समस्या आने पर अपनी-अपनी केन्द्रीय संस्था को बताया जा सकता है। केन्द्रीय संस्थाएं परस्पर बातकर समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। यदि अपेक्षित समाधान न हो सके तो अपेक्षानुसार कल्याण परिषद् गोष्ठी में वह बात रखी जा सकती है।

116. प्राकृतिक आदि आपदा के संदर्भ में केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा इस प्रकार योगदान हो सकता है—

अ) महासभा—

निर्माण कार्य—मकान बनवाना, स्कूल बनवाना, कमरा बनवाना, मरम्मत करवाना आदि।

ब) अ.भा.ते.यु.प.—

सामग्री वितरण कार्य—भोजन, टेन्ट, कम्बल व रोजमर्रे की वस्तुएं आदि पहुंचाना।

स) ते.प्रो.फो.—

चिकित्सा संबंधी कार्य—औषध वितरण, मरहम पट्टी, ऑपरेशन, स्वास्थ्य जांच आदि।

द) जय तुलसी फाउण्डेशन—

आपदा के संदर्भ में अर्थ राशि देना।

च) अणुविभा—

यथाअवसर नशामुक्ति आदि की प्रतिज्ञाएं करवाना, संकल्प पत्र भरवाना, अणुव्रत से संबंधित गोष्ठी का आयोजन करना।

यह सामान्य व्यवस्था है। एक बार तात्कालिक रूप में जहां जो संस्थाएं हों, जिनको जो मौका मिले, वे अपना कार्य शुरू कर सकती हैं। जब संबद्ध संस्थाओं के व्यक्ति वहां पहुंच जाएं या उनसे बात हो जाए तो संबद्ध संस्थाएं/उनके व्यक्ति अपने जिम्मे का ध्यान दे लें। और कोई अपेक्षा हो तो महासभा के पास बात पहुंचाई जा सकती है। केन्द्रीय संस्थाओं से जुड़ी हुई शाखा आदि भी उनके साथ ही हैं।

उपरिलिखित कार्यों के लिए अपेक्षित अर्थ संबद्ध संस्थाएं केवल अपने-अपने सदस्यों से ही संकलित कर सकती हैं। तेरापंथ समाज के व्यक्तियों के सिवाय अन्य किन्हीं व्यक्तियों से कोई भी संस्था अर्थ इकट्ठा करे तो आपत्ति नहीं।

117. कल्याण परिषद् की स्वीकृति के बिना केन्द्रीय संस्थाएं भारत सरकार अथवा प्रान्तीय सरकार का कोई भी कार्य सामान्यतया ग्रहण न करें।

118. सामाजिक स्तर पर व्यापार संपर्क की गतिविधि महासभा के सिवाय अन्य कोई संघीय संस्था नहीं करे।

छात्रावास

119. जैन व जैनेतर विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण और उसका संचालन अ.भा.ते.यु.प. के सिवाय अन्य कोई संघीय संस्थाएं सामान्यतया न करें। केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय इसके अपवाद हैं। अन्य कोई केन्द्रीय संस्था छात्रावास बनाना चाहे

तो पहले वह अ.भा.ते.यु.प. से संपर्क करे और अ.भा.ते.यु.प. उस कार्य के लिए असमर्थता व्यक्त करे तो कल्याण परिषद् की अनापत्ति मिलने के बाद वह छात्रावास बनाए या चलाए तो आपत्ति नहीं, परन्तु उसे अ.भा.ते.यु.प. द्वारा निर्मित छात्रावास—नीति का पालन करना होगा।

स्कॉलरशिप

120. शिक्षा में स्कॉलरशिप का कार्य ते.प्रो.फो. ही करे, अन्य संघीय संस्थाएं नहीं। संघीय संस्थाओं के निजी शिक्षण संस्थान इसके अपवाद हैं।
121. शिक्षा के संदर्भ में तेरापंथी विद्यार्थियों को केन्द्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग देने के लिए ते. प्रो. फो. अधिकृत रहे। यदि अन्य कोई स्थानीय संस्था अपने स्थानीयस्तर पर ऐसा उपक्रम करे तो आपत्ति नहीं है, किन्तु इस कार्य के लिए चन्दा ग्रहण न करे। उसकी सूचना तीन महीनों के भीतर—भीतर अपनी केन्द्रीय संस्था के पास पहुंचा दे तथा वह केन्द्रीय संस्था अप्रैल महीने में या उचित समय पर प्रतिवर्ष ते.प्रो.फो. (केन्द्रीय) को पहुंचा दे।

अणुव्रत

122. कल्याण परिषद् की स्वीकृति के बिना अणुविभा में सेना प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ आदि न बनाए जाएं।
123. अणुव्रत की आचार संहिता को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के लिए पशु—पक्षी का स्वयं वध कर मांस भक्षण करना वर्जनीय है। मांसाहार का परित्याग करना अणुव्रत की विशिष्ट साधना है।
124. अणुव्रत, जीवन विज्ञान आदि गतिविधियों के संदर्भ में कार्य विभाजन:—

अ) अणुविभा

अणुव्रत व विद्या संस्थानों में जीवन विज्ञान की समग्र गतिविधि का संचालन करना।

ब) अ.भा.ते.म.मं.

कन्या सुरक्षा योजना का संचालन करना।

स) अणुव्रत न्यास

अणुव्रत भवन व अध्यात्म साधना केन्द्र, दिल्ली आदि स्वयं के मालिकाना में स्थित स्थानों में यथौचित्य अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान आदि की गतिविधियों का संचालन करना व कल्याण परिषद् के संकेतानुसार संघीय संस्थाओं को आर्थिक संपोषण देना।

द) जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट

जीवन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण व डिग्री देना, विद्या संस्थानों में व्याख्यानमाला, छात्र विनिमय आदि कार्यक्रम करना।

- नोट:—** 1. अन्य संस्थाएं अपने-अपने सदस्यों के बीच अणुव्रत का कार्य करें तो आपत्ति नहीं है, उसके सिवाय कल्याण परिषद् की स्वीकृति के बिना अणुव्रत का कार्य न करें।
2. केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्या संस्थानों में जीवन विज्ञान से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व संबद्ध केन्द्रीय संस्थाओं का रहे।

प्रेक्षाध्यान

125. प्रेक्षाध्यान की समग्र गतिविधि का नियामक प्रेक्षा फाउण्डेशन, जैन विश्व भारती रहे।
126. प्रेक्षा लाइफ स्किल की गतिविधि के संचालन का दायित्व जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट (मान्य विश्वविद्यालय) का रहे। उसकी रिपोर्ट प्रेक्षा फाउण्डेशन, जैन विश्व भारती के पास भी पहुंचाई जाए।

संकल्प पत्र

127. सम्यक्त्व दीक्षा, बारहव्रत, अणुव्रत तथा नशामुक्ति आदि के संकल्प पत्र स्थानीय संस्थाओं के पास रहने चाहिए। ताकि स्थानीय स्तर पर संबद्ध व्यक्तियों की संभाल हो सके। अपेक्षानुसार संकल्प पत्रों की सूचना संबद्ध केन्द्रीय संस्था को भी भेजी जा सकती है।

जैनत्व, तेरापंथित्व, अणुव्रतित्व

128. तेरापंथ से संबद्ध धार्मिक व धार्मिक-सामाजिक भवनों (तेरापंथ भवन,

समाधिस्थल आदि) के कमरे आदि में अकेला पुरुष अपने परिवार की सदस्या के सिवाय अकेली महिला के साथ सामान्यतया न रहे। यह एक शिष्ट व्यवस्था है।

129. तेरापंथी व्यक्ति चिकित्सकीय शिक्षा प्राप्त करने के संदर्भ में यदि मेंढ़क आदि जीवों की हिंसा करता है तो उसके जैनत्व और तेरापंथित्व में क्षति नहीं होती, यथासंभव मेंढ़क आदि जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए।

तेरापंथी व्यक्ति न्यायाधीश का दायित्व निर्वहन करते हुए किसी को फांसी की सजा भी सुनाए, सैनिक के रूप में शत्रु सेना को हत-प्रहत करे तथा कलेक्टर, एस. पी. आदि के रूप में फायरिंग आदि का आदेश दे तो उससे उसका जैनत्व और तेरापंथित्व खंडित नहीं होता। यही व्यवस्था एक अणुव्रती व्यक्ति के संदर्भ में ज्ञातव्य है।

130. तेरापंथ से बहिष्कृत अथवा बहिर्भूति साधु, साध्वी व समणी जब तक वह नए सिरे से तेरापंथ की सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण न कर ले, उसे तेरापंथ का सदस्य न माना जाए। भले वह व्यक्ति साधु वेश में हो, समणी वेश में हो, साधक वेश में हो अथवा गृहस्थ वेश में हो।

मीडिया

131. गुरुकुलवास के संवाद का टेलीविजन तथा तेरापंथ इतर पत्र-पत्रिकाओं में प्रसारण करना महासभा का दायित्व रहे। स्थानीय सभा व व्यवस्था समिति इस संदर्भ में महासभा की ही अंगभूत मानी जाएं।
132. गुरुकुलवास के प्रवचन व कार्यक्रमों का टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण करना एक मात्र अमृतवाणी का जिम्मा रहे।
133. यूट्यूब के सिवाय सोशियल मीडिया के माध्यम से संघीय संवाद आदि का प्रसारण करना अ.भा.ते.यु.प. का जिम्मा रहे।
134. टेलीविजन में प्रवचन आदि के प्रसारण के सिवाय यूट्यूब आदि सोशियल मीडिया व समाचार पत्र आदि के माध्यम से कोई भी संघीय संस्था संघीय संवादों व गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करे तो आपत्ति नहीं है।

135. अपनी संस्था की वेबसाइट, न्यूज लेटर आदि का जिम्मा संबद्ध संस्था का रहे।
136. केन्द्रीय संस्थाओं के सिवाय कोई संस्था या व्यक्ति तेरापंथ और तेरापंथ-आचार्यों के नाम से सोशियल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक आदि) में कोई ग्रुप आदि न चलाए।
137. फेसबुक, ट्विटर आदि में साधु-साध्वियों का प्रोफाइल आदि कुछ भी नहीं रहे।
138. फेसबुक आदि में संघीय संदर्भ में समागत अवांछनीय बात का अपेक्षित प्रतिकार करने का दायित्व अ.भा.ते.यु.प. का रहे।
139. मृत्यु, तपस्या आदि के सन्दर्भ में साधु-साध्वियों के ऑडियो, वीडियो आदि संदेश व्हाट्सएप आदि के माध्यम से नहीं भेजे जाएं।
140. साधु, साध्वी व समणी के जन्मदिन, दीक्षा दिवस आदि के अवसर पर बधाई आदि रूप संदेश व्हाट्सएप आदि में न दिए जाएं।
141. तेरापंथ की बातों को सोशियल मीडिया व पत्र, ईमेल आदि किसी भी माध्यम से दुष्प्रचारित करना अनुचित है।
142. विशेष कार्यक्रम के सिवाय टेलीविजन में साधु-साध्वियों व समणियों के प्रवचनों का शृंखलाबद्ध प्रसारण नहीं किया जाए।

विज्ञापन

143. संघीय संस्थाओं के अध्यक्ष आदि पदों पर आसीन होने के उपलक्ष्य में पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन नहीं दिए जाएं।
144. वर्षीतप, मासखमण, अठाई आदि तपस्याओं के संदर्भ में समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन नहीं दिए जाएं।
145. संघीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में खाद्य सामग्री, आभूषण आदि पदार्थों का पुरुष अथवा महिला अथवा पुरुष व महिला दोनों के चित्रों के साथ विज्ञापन नहीं दिए जाएं।
146. समूह फोटो के अतिरिक्त आचार्यप्रवर के साथ सामान्यतया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि गुरुकुलवास में मंच पर बैठने

के अर्ह महानुभावों के सिवाय किसी का भी फोटो कार्ड, पोस्टर, बैनर आदि में न छपे।

147. व्यावसायिक विज्ञापन, जिसमें संबंधित वस्तुओं का चित्र हो अथवा खरीदने की अपील हो अथवा दोनों हो, में चारित्रात्माओं के चित्र न हों।
148. गुरुकुलवास में किसी भी विज्ञापन में साधु, साध्वी व समणी का व्यक्तिगत फोटो व उनका नामोल्लेख ज्ञाति सदस्यों के द्वारा भी नहीं किया जाए।
149. साधु-साधवियों के सान्निध्य में आयोज्य कार्यक्रम के संदर्भ में दिए जाने वाले विज्ञापन व होर्डिंग्स में साधु-साधवियों के चित्र न हों।

संघीय साहित्य सृजन-प्रकाशन

150. साहित्य समिति से अनापत्ति प्राप्त किए बिना चारित्रात्माओं के संदर्भ में लिखित पुस्तक का प्रकाशन नहीं किया जाए।
151. संघीय (तेरापंथ के आचार्यों, साधु-साधवियों तथा समणी द्वारा और उनके बारे में प्रणीत) साहित्य के प्रकाशन का दायित्व जैन विश्व भारती का रहे। अन्य किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा संघीय साहित्य का प्रकाशन नहीं किया जाए। प्रकाशित साहित्य के नवीन संस्करण भी उनके द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाएं। संघीय संस्थाओं के प्रवृत्तिगत प्रकाशन इसके अपवाद हैं।
152. जैन विश्व भारती ही किसी कृति को अनुबंध पूर्वक अन्य प्रकाशक संस्था को प्रकाशनार्थ सौंप सकेगी। प्रकाशन अनुबन्ध से पूर्व साहित्य समिति से परामर्श करना अपेक्षित होगा। अनुबन्ध में इन शर्तों का समावेश वांछनीय है—
 - प्रकाशन का अधिकार जैन विश्व भारती के पास भी रहे।
 - अनुबन्ध की कालावधि अधिकतम पांच वर्ष की रहे।
 - कॉपीराइट जैन विश्व भारती के पास ही रहे।
153. अन्य भाषाओं में किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान के द्वारा कृति के प्रकाशन से पूर्व मूल भाषा की प्रकाशक संस्था की लिखित स्वीकृति आवश्यक रहेगी।

154. संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में अनुदानदाता के नाम का उल्लेख न हो। प्रचार-प्रसार की दृष्टि से प्रकाशक संस्था की अनुमति से कोई व्यक्ति पुस्तक का प्रकाशन करे और उसमें अनुदानदाता का नाम आए तो आपत्ति नहीं। किन्तु वे पुस्तकें विक्रय केन्द्र पर नहीं रखी जाएं।
155. बांटने के लिए प्रकाशित होने वाली पुस्तक में भी जैन विश्व भारती द्वारा अनुदानदाता का नामोल्लेख न किया जाए। अनुदानदाता के नाम का स्टीकर लगाया जाए तो आपत्ति नहीं।

संघीय पत्र-पत्रिकाएं

156. सामान्यतया आचार्यप्रवर की अनापत्ति के बिना साधु, साध्वी व समणी का जीवनवृत्त, यात्रा प्रसंग तथा उनकी किसी भी पुस्तक का शृंखलाबद्ध प्रकाशन तेरापंथ टाइम्स आदि पत्र-पत्रिकाओं में नहीं हो, आलेख दिया जा सकता है। किन्तु वह आलेख तेरापंथ टाइम्स में आधे पृष्ठ से ज्यादा नहीं आए।
157. तेरापंथ टाइम्स में साधु, साध्वी व समणी की किसी पुस्तक की समीक्षा प्रकाशित हो तो उसके साथ लेखक का फोटो न छपा जाए।
158. संघीय पत्र-पत्रिकाओं में आलेख के साथ आचार्यों के सिवाय चारित्रात्माओं और समणियों के फोटो नहीं आएंगे।
159. कालधर्म प्राप्त साधु-साध्वियों के विषय में कोई आलेख आदि उनके कालधर्म प्राप्त होने के बाद दो महीने तक की अवधि में ही पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सकते हैं, उसके बाद नहीं।
160. बहिर्विहार के चतुर्मास प्रवेश आदि के संदर्भ में प्रकाशित होने वाले निमंत्रण कार्ड में साधु-साध्वियों और समणियों के नाम और परिचय आएंगे तो आपत्ति नहीं, पर उनके फोटो नहीं आएंगे।
161. साधु-साध्वियों व समणियों के कार्यक्रम तथा संवादों का प्रसारण करने वाली विज्ञप्ति का प्रकाशन न किया जाए।
162. विवाह आदि सांसारिक प्रवृत्तियों के कार्ड आदि पर तीर्थकरों एवं आचार्यों के फोटो न छापे जाएंगे।

साहित्य लेखन

163. महासभा की स्वीकृति के बिना कोई गृहस्थ तेरापंथ के आचार्यों के विषय में ग्रन्थ निर्माण न करे। महासभा अपेक्षानुसार इस संदर्भ में सन्त साहित्य समिति से परामर्श प्राप्त कर सकती है। कोई भी घटना प्रसंग आचार्यों द्वारा लिखित आत्मकथा आदि ग्रन्थों, तेरापंथ का इतिहास व शासन समुद्र ग्रन्थ से टकराने वाला नहीं हो। इस विषय में कोई कठिनाई हो तो साहित्य समिति से परामर्श लिया जा सकता है।
164. इतिहास की पुस्तक में अनुश्रुति मान्य है, किन्तु उसके लिए दो शर्तें हैं—
क) वह अनुश्रुति आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ से तथा 'तेरापंथ का इतिहास' और 'शासन समुद्र' ग्रंथों से विरुद्ध नहीं हो।
ख) अनुश्रुति जिससे सुनी, उसका नामोल्लेख होना आवश्यक है।
165. संकलन स्वरूप गीतों की पुस्तक में यदि आचार्यों के गीत हों तो वे प्रारम्भ में तथा आचार्यानुक्रम से आएँ। उसके बाद साध्वीप्रमुखा के तथा उसके बाद अन्य साधु—साध्वियों व समणियों के गीत आएँ। साधु—साध्वियों व समणियों के गीतों में कोई अनुक्रम की बात नहीं है। जिनके रचनाकार अज्ञात हों, वे गीत आचार्यों के गीतों के बाद कहीं भी आ सकते हैं।
166. संकलन स्वरूप पुस्तक में गणमुक्त साधु—साध्वियों के गीतों का समावेश नहीं किया जाए।

प्रतियोगिता

167. साहित्य आधारित प्रतियोगिता के लिए चारित्रात्मा द्वारा प्रणीत किसी भी पुस्तक का उपयोग हो तो आपत्ति नहीं।
168. प्रतियोगिता की सामग्री का उपयोग संबद्ध साधु—साध्वियों के प्रवास क्षेत्र से बाहर न किया जाए। आचार्यप्रवर की अनापत्ति मिलने पर चोखळे में उसे प्रेषित किया जा सकता है। महानगर में अनेक चतुर्मास हों तो आचार्यप्रवर की अनापत्ति मिलने पर वह प्रतियोगिता पूरे महानगर में भी आयोजित की जा सकती है।

169. संगीत प्रतियोगिता की व्यवस्था— अमृतवाणी एकल की, अ.भा.ते.यु.प. समूह गायन की, आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान मात्र गुरुदेव तुलसी की वार्षिकी के अवसर पर गुरुदेव तुलसी के रचित या उनके बारे में रचित गीतों की तथा अणुविभा मात्र विद्या संस्थानों के स्तर पर ही आयोजित करे। अन्य केन्द्रीय संस्थाएं कल्याण परिषद् की स्वीकृति के बिना संगीत प्रतियोगिता आयोजित न करें।

कोई भी विद्या संस्थान विद्या संस्थानों के संदर्भ में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन कर सकता है।

साहित्य विक्रय

170. जैन विश्व भारती के विक्रय केन्द्र पर कोई अन्य संस्था अथवा व्यक्ति अपना साहित्य रखना चाहे तो संबद्ध संस्था की अनुमति प्राप्त होने पर रखा जा सकता है।

171. आचार्यों आदि का बहुप्रचलित साहित्य विक्रय केन्द्र पर यथासंभव अनुपलब्ध नहीं रहना चाहिए।

172. जैन विश्व भारती द्वारा किसी अनुदानदाता से अनुदान ग्रहण कर संस्था द्वारा निर्धारित से अधिक डिस्काउंट में साहित्य विक्रय न किया जाए।

173. संकलन साहित्य, गीत साहित्य व उपन्यास साहित्य का प्रकाशन तथा पुनः प्रकाशन सामान्यतया न किया जाए। आचार्यप्रवर की अनापत्ति की बात अलग है।

डायरेक्ट्री प्रकाशन

174. कोई भी केन्द्रीय संस्था अथवा उसकी अंगभूत संस्था अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने सदस्यों की डायरेक्ट्री छपाए तो आपत्ति नहीं। किन्तु समग्र समाज की डायरेक्ट्री महासभा व सभा के सिवाय अन्य कोई भी संघीय संस्था न छपाए तथा कोई भी स्थानीय संस्था अपने सदस्यों की डायरेक्ट्री अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर की न छपाए, जैसे— एक नगर की स्थानीय संस्था पूरे जिले की डायरेक्ट्री न

छपाए। पूर्व प्रकाशित डायरेक्ट्री के पुनः प्रकाशन में प्रस्तुत निर्णय का अतिक्रमण नहीं हो।

175. किसी गृहस्थ लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक, स्मारिका व डायरेक्ट्री आदि में साधुओं तथा साध्वीप्रमुखाजी के सिवाय साध्वियों व समणियों के संदेश न दिए जाएं, अपेक्षानुसार आलेख दिया जा सकता है। संदेश वह होता है, जो पुस्तक के प्रारंभ में प्रकरण आदि शुरू होने से पहले आता है तथा जिसमें व्यक्ति या संस्था के प्रति शुभकामना की जाती है। आलेख वह होता है, जो पुस्तक के प्रकरण आदि के क्रम में आता है तथा जिसमें मात्र विषय का प्रतिपादन होता है, व्यक्ति व संस्था के प्रति शुभकामना का उल्लेख नहीं किया जाता है।

पारिवारिक जनों के बड़े ऑपरेशन, संथारे व मृत्यु के प्रसंग में ज्ञाति साधु-साध्वियों व समणियों के संदेश लेने में आपत्ति नहीं। किन्तु उन्हें कहीं प्रकाशित नहीं किया जाए।

क्षेत्रीय समाचार-सूचना विज्ञप्ति

176. क्षेत्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं सूचना विज्ञप्ति के संदर्भ में अग्रांकित नियमसंहिता पालनीय है।

नियमसंहिता—

1. महासभा की लिखित स्वीकृति के बिना प्रकाशन न किया जाए।
2. प्रकाशन सभा द्वारा ही किया जाए।
3. प्रकाशन अवधि मासिक से कम न हो।
4. पृष्ठ संख्या 12 से अधिक न हो।
5. समाचारों और सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य सामग्री का प्रकाशन न किया जाए।
6. साधु, साध्वी और समणी के व्यक्तिगत फोटो व संदेश प्रकाशित न किए जाएं।
7. गुरुकुलवास के सिवाय अपने क्षेत्र से बाहर के समाचार प्रकाशित न किए जाएं।
8. अपने क्षेत्र की सीमा से बाहर उसका प्रेषण न किया जाए।

सी.डी. आदि

177. आचार्यप्रवर की अनापत्ति के बिना साधु-साध्वियों व समणियों के स्वर में गीतों की सी.डी. आदि न बनाई जाए।
178. आचार्यप्रवर को अनापत्ति के बाद साधु-साध्वियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की सी.डी. आदि का निर्माण अमृतवाणी के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति व संस्था के द्वारा न किया जाए तथा उस सी.डी. आदि में म्यूजिक का प्रयोग वर्जनीय है।
179. गृहस्थों व साधु-साध्वियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की एक सी.डी. आदि में कम से कम पांच साधु, साध्वी व समणी के गीतों का होना आवश्यक है।
180. जिस सी.डी. आदि में आचार्यों के साथ साधु, साध्वियों व समणियों के गीत हों तो आचार्यों का नामोल्लेख हो तथा आचार्यों के गीत पूर्वानुक्रम से आएँ, जैसे-पहले आचार्य भिक्षु आदि। साधु, साध्वियों, समणियों व गृहस्थों के गीत हों तो गीत की आंकड़ी आ सकती है, रचयिता का नामोल्लेख न हो, संगायक का नाम आने में आपत्ति नहीं।
181. सी.डी. आदि पर आचार्यों के साथ किसी भी चारित्रात्मा तथा गृहस्थों के व्यक्तिगत फोटो नहीं लगाए जाएँ तथा स्वतंत्र रूप में भी साधु-साध्वियों व समणियों के फोटो न आएँ।
182. प्रेक्षाध्यान, जीवन विज्ञान आदि की सी.डी. आदि पर तीर्थकरों व आचार्यों के सिवाय अन्य किसी का भी फोटो न आए।
183. अमृतवाणी द्वारा तैयार की गई सी.डी. आदि के सिवाय कोई भी सी.डी. आदि आचार्यप्रवर के सान्निध्य में तभी लोकार्पित हो सकती है, जब वह अमृतवाणी द्वारा अनापत्तिपूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। अमृतवाणी अपेक्षानुसार इस विषय में संत साहित्य समिति से संपर्क कर सकती है।
184. सी.डी. आदि चारित्रात्माओं को उपहृत न की जाए।
185. अमृतवाणी द्वारा निर्मित अथवा अमृतवाणी से स्वीकृति प्राप्त सी.डी.

आदि का गुरुकुलवास में लोकार्पण हो तो उस संदर्भ में संघीय कार्यक्रमों व विशेष आयोजनों के अतिरिक्त दिनों में मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए यथावसर कुल मिलाकर लगभग पांच मिनिट का समय मिल सकेगा।

186. गुरुकुलवास में यात्रा के दौरान व अन्यत्र आसपास सी.डी. आदि के द्वारा उन्हीं गीतों का प्रसारण होना चाहिए, जिनके लिए अमृतवाणी द्वारा अनापत्तिपूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो। मात्र एक-दो बार प्रस्तुति के लिए अमृतवाणी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है, जैसे- ज्ञानशाला की प्रस्तुति, केन्द्रीय संस्थाओं की प्रस्तुति आदि।
187. साधु-साधवियों द्वारा साधु-साधवियों के विषय में बनाए गए गीतों की म्यूजिक सहित रिकोर्डिंग नहीं होनी चाहिए।
188. आचार्यों द्वारा बनाए गए गीतों की म्यूजिक सहित रिकोर्डिंग अमृतवाणी स्वयं कर सकती है अथवा अमृतवाणी किसी से करवा सकती है। अन्य संस्था व व्यक्ति वह कार्य न करे, न कराए।
189. तेरापंथ के आचार्यों, अन्य केन्द्रीय संस्थाओं व अणुव्रत आदि गतिविधियों के संदर्भ में महासभा की स्वीकृति के बिना डोक्युमेंट्री आदि न बनाई जाए। कोई केन्द्रीय संस्था अपनी संस्था व अपनी प्रवृत्ति के बारे में डॉक्युमेन्ट्री बनाए तो आपत्ति नहीं। उसके लिए महासभा की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

चारित्रात्मा

190. 'परम' (परम आराध्य, परम श्रद्धेय आदि) शब्द का प्रयोग केवल आचार्य के लिए ही करें, अन्य किसी चारित्रात्मा के लिए नहीं।
 191. आचार्यप्रवर से जो पुरुष साधु दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ हों, उनके लिए आचार्यप्रवर के संदर्भ में 'शिष्य' शब्द का प्रयोग न कर 'आज्ञानुवर्ती' शब्द का प्रयोग करना उपयुक्त है। इसी प्रकार अवमरात्निक पुरुष साधुओं के लिए 'शिष्य' और सभी साधवियों के लिए 'शिष्या' शब्द का प्रयोग किया जाए।
- स्थूल भाषा में संघ के सभी साधु-साधवियां आचार्यप्रवर के

“शिष्य-शिष्याओं” के रूप में उल्लिखित हो सकते हैं, जैसे-तेरापंथ में आचार्यप्रवर के इतने शिष्य, शिष्याएं हैं।

कहीं अनेक अग्रणी हों और उनमें कोई अग्रणी साधु आचार्यप्रवर से दीक्षाज्येष्ठ तथा कोई अग्रणी साधु आचार्यप्रवर से अवमरात्निक हो तो ज्येष्ठ के नाम से पहले ‘आज्ञानुवर्ती’ तथा अवमरात्निक के नाम से पहले ‘शिष्य’ शब्द का प्रयोग उपयुक्त है।

192. कोई साधु/साध्वी किसी भाई/बहिन को दीक्षित करे तो दीक्षित करने वालों के लिए ‘दीक्षागुरु’ अथवा ‘दीक्षागुरुणी’ शब्द की अपेक्षा ‘दीक्षाप्रदाता’, ‘दीक्षाप्रदात्री’ आदि शब्दों का प्रयोग वांछनीय है।
193. आचार्यों द्वारा प्रदत्त अलंकरण के अलावा साधु-साध्वियों के लिए नए-नए विशेषण न लगाए जाएं। औचित्यानुसार “विद्वान्” या “विदुषी” विशेषण ही पर्याप्त है।
194. किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नामकरण में तेरापंथ व तेरापंथ-आचार्यों का नाम न जोड़ा जाए।
195. आचार्यप्रवर की स्वीकृति के बिना साधु-साध्वियों व समणियों की यात्रा का नामकरण न किया जाए।
196. भवन आदि का नामकरण साधु/साध्वियों के नाम से न किया जाए।
197. बहिर्विहार में स्थित अपने ज्ञाति तथा अन्य चारित्रात्माओं के दर्शन व सेवा का विवेकपूर्वक लाभ लिया जा सकता है। आचार्यप्रवर का निषेध रूप इंगित प्राप्त होने पर उस पर ध्यान दे लिया जाए।
198. सायंकालीन प्रतिक्रमण की समाप्ति के बाद से सूर्योदय तक साध्वियों के ठिकाने में पुरुष तथा साधुओं के ठिकाने में बहनें सामूहिक स्थान के अतिरिक्त कमरों आदि में सामान्यतया न जाएं।
199. जिस मकान का किराया वसूला जाए, उसमें चारित्रात्मा का रहना सम्मत नहीं है, परन्तु जिसका केवल रखरखाव व बिजली आदि का खर्चा लिया जाए तो वहां चारित्रात्मा के रहने में आपत्ति नहीं।
200. साधु, साध्वी व समणी की अंतरंग प्रवृत्तियों-लोच, आहार, गोचरी, व्यायाम आदि का वीडियो व फोटो न लिया जाए।

201. अकेले साधु के साथ केवल बहनों तथा अकेली साध्वी/समणी के साथ केवल पुरुषों का फोटो न हो। अकेले साधु के साथ अकेली साध्वी/समणी का फोटो भी न लिया जाए।
202. अकेली बहन संतों के ठिकाने पर सेवा-उपासना न करे। दंपति हो अथवा एकाधिक पुरुष पास में हों तो आपत्ति नहीं। इसी प्रकार साध्वियों के ठिकाने के संदर्भ में पुरुष के विषय में ज्ञातव्य है।
203. साधु और स्त्रियां तथा साध्वी और पुरुष सामान्यतया रात्रि में एक आंगन पर दो मिनट से ज्यादा न बैठें। हॉल आदि में बैठने की स्थिति हो तो सामान्यतया कम से कम लगभग दो मीटर की दूरी रहनी चाहिए।
204. एक प्रहर रात और पांच मिनट ऊपर हो जाने के बाद साधुओं के ठिकाने में बहिनें तथा साध्वियों के ठिकाने में पुरुष सामान्यतया न आएँ, न रहें। बड़े शहरों में (जहां नगर निगम हो) यह समयावधि साढ़े दस बजे की मानी जाए।
205. बहिर्विहार में दो मंजिलों में प्रवास की स्थिति में रात्रि में (सूर्यास्त से सूर्योदय तक) ऊपर की मंजिल में साधु हों तो बहिनें तथा साध्वियां हों तो पुरुष न जाएँ, नीचे से ही दर्शन करें। यदि प्रवचन-कार्यक्रम का स्थल ऊपरी मंजिल में हो तो तदर्थ ऊपर जाने में आपत्ति नहीं।
206. सामान्यतया साधुओं के ठिकाने (प्रवासस्थल की बिल्डिंग/मंजिल/प्लेट) में पश्चिम रात्रि में चार बजे से पूर्व अथवा डेढ़ घंटा रात अवशेष रहने से पूर्व बहिनों का आगमन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार साध्वियों के ठिकाने में पुरुषों के विषय में ज्ञातव्य है।
207. भिन्न सामाचारी में वाहन यात्रा की दृष्टि से साधु-साध्वियों का आधार कार्ड बनवाना अपेक्षित हो तो महासभा इसका माध्यम बन सकती है।
208. साधु-साध्वियों के उपयोगार्थ साधन का निर्माण आचार्यप्रवर के ध्यान में लाकर सामान्यतया महासभा के माध्यम से ही अनापत्तिपूर्ण माना जा सकेगा।

209. चतुर्मास आदि दीर्घकालिक प्रवास में साधुओं के ठिकाने में बहिन कर्मचारी तथा साध्वियों के ठिकाने में पुरुष कर्मचारी यथासंभव न रहे।
210. साधु-साध्वियों के आवागमन की दृष्टि से हरियाली, काई आदि को न काटा जाए तथा न रेत आदि से उन्हें ढका जाए।
211. गुरुकुलवास में जुलूस के सिवाय विहार के दौरान आचार्यप्रवर और संतों के साथ बहिनों को मार्ग में गमन रूप सेवा नहीं करनी चाहिए। पहुंचाने के लिए सामान्यतया करीब सौ मीटर से ज्यादा साथ न रहें।
212. वितरण आदि की दृष्टि से साधु-साध्वियों के फोटो, सिक्के आदि का निर्माण एवं विक्रय न हो। घरों आदि में संसारपक्षीय ज्ञाति तथा आचार्यप्रवर द्वारा सम्मत साधु-साध्वियों व समणियों के अतिरिक्त अन्य साधु-साध्वियों व समणियों के फोटो न रहें। ज्ञाति साधु-साध्वियों व समणियों का फोटो का आकार उस कक्ष में लगे आचार्यों के फोटो के आकार से बड़ा न हो।
213. साधु-साध्वियों व समणियों के जन्म दिवस, दीक्षा दिवस आदि के संदर्भ में पुस्तकें व मिठाई के पैकेट आदि न बांटे जाएं।
214. किसी भी संस्था और गतिविधि में स्प्रिच्युवल गाइड आदि के रूप में किसी भी साधु, साध्वी व समणी का नाम आचार्यप्रवर की स्वीकृति के बिना नहीं आना चाहिए। आचार्यप्रवर की स्वीकृति से नाम आए तो वैधानिक अधिकार के रूप में नहीं आना चाहिए, मात्र पथदर्शक-परामर्शक व तत्सदृश के रूप में हो सकता है।
215. गुरुकुलवास में बहिनें अपना व्यक्तिगत प्रायश्चित्त सामान्यतया साध्वीप्रमुखाजी से लें।

मार्ग सेवा आदि

216. सामान्यतया आचार्यप्रवर की मार्ग सेवा व्यवस्था का मुख्य दायित्व मृगसर कृष्णा 1 से माघ शुक्ला पूर्णिमा तक मर्यादा महोत्सव क्षेत्र की व्यवस्था समिति का तथा फाल्गुन कृष्णा 1 से आषाढ पूर्णिमा तक चतुर्मास क्षेत्र की व्यवस्था समिति का रहे। मध्यवर्ती श्रद्धालु क्षेत्रों से

अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। अशक्यता की स्थिति में महासभा को निवेदन किया जा सकता है। महासभा इस व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन कर सकेगी तथा अन्य सभाओं को भी वह अवसर दे सकेगी।

217. गुरुकुलवासी साधु-साधवियां कुछ दिन पृथक् रहकर पुनः गुरुकुलवास में सम्मिलित होने वाले हों तो वे जहां रहें, उनकी अपेक्षित व्यवस्था का दायित्व वहां की स्थानीय सभा का रहे। यदि चतुर्मास क्षेत्र में ही रहें और आचार्यप्रवर पुनः उसी क्षेत्र में पधारने वाले हों तो वहां उनकी व्यवस्था का दायित्व व्यवस्था समिति का रहे। चतुर्मास के दौरान भी गुरुकुलवासी साधु-साधवियां उपनगर आदि में रहें तो उनकी व्यवस्था का जिम्मा भी व्यवस्था समिति का रहे।
218. बहिर्विहारी साधु-साधवियों की मार्ग सेवा का दायित्व अपने-अपने घोषित चतुर्मास क्षेत्र का रहे। चतुर्मास समाप्ति के बाद जब तक नए चतुर्मास क्षेत्र की घोषणा न हो तब तक भी पिछले चतुर्मास क्षेत्र का दायित्व रहे। यदि दायित्व निर्वाह में विशेष कठिनाई हो तो महासभा से निवेदन किया जा सकता है।
219. जिन साधु-साधवियों का अगला चतुर्मास संभावित रूप में गुरुकुलवास में होने वाला है, वे यदि पृथक् विहार करें तो उनकी मार्ग सेवा का जिम्मा यदि वे मर्यादा महोत्सव क्षेत्र में मिलने वाले हों तो मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति का, यदि वे मर्यादा महोत्सव के बाद मिलने वाले हों तो चतुर्मास व्यवस्था समिति का रहे।
यदि कोई सिंघाडा मर्यादा महोत्सव क्षेत्र तक पृथक् विहार कर रहा है और उसके साथ चतुर्मास क्षेत्र तक पृथक् विहार करने वाला सिंघाडा यात्रा करे तो उसकी मार्ग की सेवा का जिम्मा मर्यादा महोत्सव क्षेत्र तक मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति का रहे। कासीद की व्यवस्था का जिम्मा चतुर्मास क्षेत्र की व्यवस्था समिति का रहे।
220. गुरुकुलवास में चतुर्मास की सम्पन्नता के बाद गुरुकुलवास में चतुर्मास कर कोई चारित्रात्माएं पृथक् विहार के द्वारा मर्यादा महोत्सव

में सम्मिलित होने के उद्देश्य से विहार करें तो उनकी मार्ग सेवा का जिम्मा मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति का रहे।

221. गुरुकुलवास में चतुर्मास सम्पन्न कर कोई चारित्रात्माएं गुरुकुलवास की दिशा से भिन्न दिशा में भेजे जा रहे हैं और जिनका चतुर्मास अभी घोषित नहीं हुआ है, उनकी मार्ग-सेवा का जिम्मा गुरुकुलवास के उस अनन्तर पूर्ववर्ती चतुर्मास क्षेत्र की सभा का रहे, न कि व्यवस्था समिति का। यदि वहां उपनगरीय सभाएं हों और महानगरीय सभा भी हो तो महानगरीय सभा का रहे।
222. चारित्रात्माओं की मार्ग सेवा व्यवस्था में इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि सेवारत कर्मचारी मद्यपान मुक्त हों।
223. गुरुकुलवास मार्ग सेवा में विभिन्न क्षेत्रों के डेरे रह सकते हैं, किन्तु यदि व्यवस्था करने वालों के द्वारा व्यवस्था संबंधी असुविधा की बात बताई जाए तो डेरों की संख्या कम भी की जा सकेगी।
224. गुरुकुलवास में मार्गवर्ती सेवा में मार्ग व्यवस्था समिति द्वारा भोजन का कूपन सिस्टम रखा जाना चाहिए। निःशुल्क भोजन सामान्यता नहीं होना चाहिए। विशिष्ट व्यक्ति व क्षेत्रीय अनुदानदाताओं के कूपन मार्गसेवा व्यवस्था समिति वहन कर सकती है।

चिकित्सा-दायित्व

225. चारित्रात्मा की चिकित्सा व्यवस्था का जिम्मा जिस क्षेत्र में उनका चतुर्मास घोषित हो, उसका रहे। यदि चतुर्मास घोषित न हुआ हो तो जहां उनका पिछला चतुर्मास था, उस क्षेत्र का जिम्मा रहे। अपेक्षावश किसी अन्य शहर में ले जाना पड़े तो पहुंचाने और लाने का जिम्मा चतुर्मास-क्षेत्र का रहे तथा चिकित्सा का जिम्मा जिस क्षेत्र में चिकित्सा हो, उस क्षेत्र की सभा का रहे। यदि वहां महानगरीय सभा हो तो वह जिम्मा उसका रहे। इन सबके बावजूद यदि व्यवस्थागत कठिनाई हो तो आचार्यप्रवर को निवेदन किया जा सकता है।

226. यदि साधु-साध्वियों व समणियों के लिए अर्थाधारित चिकित्सा कराना आवश्यक हो तो सभा की सहमति प्राप्त होने के बाद सभा अध्यक्ष या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से वह चिकित्सा कराने में आपत्ति नहीं है। चिकित्सा की अनुकूल व्यवस्था न लगने पर संबद्ध साधु/साध्वियों/समणियों द्वारा तथा सभा को कोई कठिनाई लगने पर सभा द्वारा आचार्यप्रवर तक बात पहुंचाई जा सकती है। तत्पश्चात् आचार्यप्रवर जो इंगित करें, उस पर संबद्ध साधु/साध्वियां/समणियां और सभा समुचित ध्यान दे लें।
227. चिकित्सा व संपोषण के संदर्भ में सहयोग देना जय तुलसी फाउण्डेशन का दायित्व है। कोई स्थानीय सभा अपने स्तर पर अपने स्थानीय परिवारों व व्यक्तियों को इस संदर्भ में सहयोग दे तो देने में आपत्ति नहीं है, परन्तु किसको कितना सहयोग दिया गया है—यह गोपनीय सूचना महासभा के पास तीन महीनों के भीतर—भीतर पहुंचा दी जानी चाहिए। महासभा वर्ष में एक बार अप्रैल महीने में अथवा उचित समय पर इसकी सूचना जय तुलसी फाउण्डेशन को भेज दे। कोई भी सभा इस कार्य के लिए किसी से भी अनुदान प्राप्त न करे।
228. गुरुकुलवास में चारित्रात्माओं व समणीवृन्द की चिकित्सा व्यवस्था का मुख्य दायित्व व्यवस्था समिति का रहे। अपेक्षानुसार आगंतुक गृहस्थों को भी चिकित्सा व्यवस्था देने का जिम्मा व्यवस्था समिति का रहे। व्यवस्था समिति किसी भी संस्था या व्यक्ति का सहयोग ले सकती है।

लौकिक गतिविधियां

229. भवन, चिकित्सालय, विद्यालय आदि के शिलान्यास के संदर्भ में शिलान्यासस्थल के आस-पास आयोजित कार्यक्रम में चारित्रात्माओं व समणियों की सन्निधि अपेक्षित नहीं है।
230. नितान्त लौकिक प्रवृत्ति, जैसे— रक्तदानशिविर, चिकित्साशिविर, पांवदान, चश्मावितरण, कम्बलवितरण आदि प्रवृत्तियों में साधु-साध्वियों का सान्निध्य तथा उन प्रवृत्तियों के स्थान पर जाकर उनके द्वारा मंगलपाठ सुनाया जाना अपेक्षित नहीं है।

231. साधु-साधवियों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम आदि की न्यूज बनाई जाए तो उसके साथ गृहस्थ अपनी लौकिक गतिविधि की न्यूज जोड़े तो आपत्ति नहीं।
232. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नामकरण में चारित्रात्माओं व समणियों का परामर्श-निर्देशन न लिया जाए।
233. तेरापंथ भवन और तेरापंथ समाज से संबद्ध अणुव्रतभवन, विद्यालय, चिकित्सालय आदि सार्वजनिक भवनों तथा चौक, मार्ग, उद्यान आदि के उद्घाटन आदि प्रसंगों में साधु-साधवियों व समणियों के नाम सान्निध्य आदि के रूप में शिलालेख में उल्लिखित नहीं किए जाएं।
234. किसी भी संस्था को भेंट में दिए जाने वाले अलमारी, बाजोट आदि सामानों पर साधु-साधवियों व समणियों के नाम किसी भी रूप में न लगाए जाएं।
235. किसी गृहस्थ के नाम से किसी मार्ग, चौक, उद्यान आदि का नामकरण करने के लिए किसी भी संघीय संस्था को नगर निगम आदि से सम्पर्क करने में मुख्य प्रयासकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए। अन्य संस्थाएं प्रयास कर रही हों तो समर्थक व अनुशंसक के रूप में संघीय संस्थाएं अपना ज्ञापन दे सकती हैं। संघीय संस्थाएं भी अपनी-अपनी कार्यसमिति की मीटिंग में उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही उसकी अनुशंसा/समर्थन करें।

स्टैच्यू आदि

236. आर्ट गैलरी आदि में दर्शायी जाने वाली झांकी, कलात्मक वस्तु आदि के अतिरिक्त चारित्रात्माओं की स्टैच्यू-मूर्ति नहीं बनाई जाए।
237. संघीय संस्थाओं के अधीनस्थ भवन व परिसर आदि में तथा ट्रस्टों (जिनमें 70 प्रतिशत से ज्यादा तेरापंथी हैं) से संबंधित किसी भी भवन व परिसर में किसी भी गृहस्थ की स्टैच्यू नए सिरे से नहीं लगाई जाए। पहले से लगी हुई गृहस्थों की स्टैच्यू को हटाना अपेक्षित नहीं है।
238. पत्थर आदि पर टांचे गए आचार्यों के फोटो भवन, प्याऊ आदि में लगाए जाएं तो आपत्ति नहीं है।

वन्दन—अभिवादन व्यवहार

239. बहिर्विहार में किसी क्षेत्र में प्रवासित चारित्रात्माओं में प्रमुख चारित्रात्मा के सामने श्रावकों द्वारा सुबह, शाम तथा अपेक्षानुसार बीच में भी तीन तिक्रुत्तो से वन्दन किया जाना उपयुक्त है। अन्य चारित्रात्माओं के सामने तीन तिक्रुत्तो से वन्दन करना सामान्यतया आवश्यक नहीं है। गुरुकुलवास में आचार्यप्रवर, युवाचार्य व साध्वीप्रमुखा के अतिरिक्त किसी भी साधु—साध्वी को तीन तिक्रुत्तो के पाठ से वन्दन करना आवश्यक नहीं है।
240. 'तनुरत्न में सुखसाता है' यह शब्दावली सामान्यतया साधु—साध्वियों के लिए सुबह—शाम तिक्रुत्तो से की जाने वाली सामूहिक वन्दना के साथ प्रयुक्त की जानी चाहिए। व्यक्तिशः दर्शन करते समय 'आपके सुखसाता है' इतना बोलना पर्याप्त है।
241. चारित्रात्मा व्याख्यान देने व कक्षा लेने के लिए पधारें तो स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता के अनुसार खड़े— खड़े उनका बद्धांजलि अभिवादन करना श्रावकों का शिष्टाचार है, विनयप्रतिपत्ति है। ध्यातव्य है कि बड़े विराजमान हो और उनकी उपस्थिति में उनसे छोटे आएँ तो श्रावकों के लिए खड़ा होना अपेक्षित नहीं है।
242. शिविर आदि में लगने वाली कक्षाओं में साधु—साध्वियां प्रशिक्षण देने आएँ तो उनको तिक्रुत्तो से तीन बार वन्दन करना अपेक्षित नहीं है। वन्दन की मुद्रा में बैठकर पंचांग प्रणतिपूर्वक वन्दन करना पर्याप्त है। यदि बैठकर वन्दन करने में कठिनाई हो तो खड़े—खड़े मस्तक झुकाकर करबद्ध वन्दन करना पर्याप्त है।
243. आचार्य, युवाचार्य और साध्वीप्रमुखा के सिवाय किसी भी चारित्रात्मा के लिए वन्दे (वन्दे मुनिवरम् आदि) का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 'मत्थण्ण वंदामि' बोला जा सकता है।
244. आचार्यप्रवर के पदार्पण के समय 'वन्दे' बोलना उपयुक्त है। युवाचार्य हों तो उनके लिए भी वैसा हो सकता है, परन्तु आचार्यप्रवर को सुनाई दे, उस रूप में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार साध्वियों के ठिकाने

में केवल साध्वीप्रमुखा के लिए वैसा हो सकता है। आचार्यप्रवर के ठिकाने में साध्वीप्रमुखा के लिए भी बाढस्वर में 'वन्दे' आदि बोलने की अपेक्षा नहीं है।

245. भिन्न सामाचारी में स्थित साधु-साध्वियों को श्रावकों द्वारा 'तिक्खुत्तो' पाठ से ऊठ-बैठकर वंदन करना तथा चरण स्पर्श करना अपेक्षित नहीं है। घुटनों के बल पर बैठकर पंचांग प्रणतिपूर्वक करबद्ध 'मत्थएण वंदामि' का उच्चारण कर वंदन करना उपयुक्त है।
246. समणी और उपासक व्याख्यान में आएँ तो सामायिक व पौषध में स्थित श्रावक-श्राविकाओं द्वारा उनके लिए वन्दन सूचक शब्दों का प्रयोग व खड़ा होना उपयुक्त नहीं है। उस स्थिति में समणी के आने पर उनके के लिए बैठे-बैठे 'ऊं अर्हम्' तथा उपासक के आने पर बैठे-बैठे 'जय जिनेन्द्र' का उच्चारण करना पर्याप्त है। सामायिक व पौषध के अतिरिक्त समय में उनके सम्मान में खड़ा होने में आपत्ति नहीं है।
247. तेरापंथी श्रावकों द्वारा अन्य जैन सम्प्रदाय के आचार्यों व साधु-साध्वियों आदि के लिए तिक्खुत्तो के पाठ का प्रयोग करना अपेक्षित नहीं है।

अन्य सम्प्रदाय

248. अन्य सम्प्रदाय के द्वारा बांटी जाने वाली प्रभावना ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है। न श्रावकों को प्रभावना बांटनी चाहिए और न उसके लिए आर्थिक सहयोग देना चाहिए।
249. जिस क्षेत्र में तेरापंथी साधु, साध्वियों व समणियों का प्रवास हो रहा हो तो उनके व्याख्यान को छोड़कर अन्य समुदाय के आचार्यों, साधु-साध्वियों आदि के प्रवचन श्रवण के लिए जाना सामान्यतया उचित नहीं है। यदि अन्य समुदाय के आचार्यों व साधु-साध्वियों के वहां उनका स्वागत समारोह व दीक्षा समारोह आदि हों तो औचित्यानुसार वहां उनके कार्यक्रम में भाग लेने में आपत्ति नहीं है।

जैन मंदिर प्रतिष्ठा व मूर्तिपूजा

250. जैन मंदिर में धूप—दीप, फल—फूल आदि से प्रतिमा की पूजा करना, ललाट पर टिक्की लगाना तेरापंथ की उपासना पद्धति में मान्य नहीं है।
251. जैन मंदिर के निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक अनुदान देना, बोली बोलना, इन्द्र आदि बनना उचित नहीं है।
यदि कोई मंदिर तेरापंथ समाज के स्वामित्व में है, उसकी व्यवस्था या सुरक्षा की दृष्टि से कुछ करना आवश्यक हो तो उसमें आपत्ति नहीं है।
252. जैन मंदिर निर्माण के संदर्भ में निर्मित समिति का सदस्य बनना व संरक्षक या मुखिया बनना अनुचित है।
253. तीर्थ स्थानों के संदर्भ में यात्रा या संघ निकालना व उसका प्रायोजक आदि बनना उपयुक्त नहीं है।
254. मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों में संघीय संस्थाएं भाग न लें। न उनकी समितियों में कोई व्यक्ति जुड़ें।

टाळोकर

255. गणमुक्त हुए एक महीना बीत जाने के बाद सामान्यतया श्रावक टाळोकर साधु—साध्वी के पास न जाएं। एक महीने तक भी मात्र समझाने के लिए जाया जा सकता है, व्याख्यान श्रवण आदि के लिए नहीं। कदाचित् वह संथारा ले ले तो उस दौरान एक बार उसके पास जाने में आपत्ति नहीं। विशेष बीमारी या अन्य विशेष परिस्थिति में वहां जाना हो तो महासभा से पूर्व अनापत्ति प्राप्त करें अथवा वहां जाने के बाद यथाशीघ्र महासभा को उसकी अवगति प्रदान करें। भले वह टाळोकर किसी का ज्ञाति भी क्यों न हो।
कोई टाळोकर किसी ज्ञाति के वहां जाए तो उसे स्टेशन से लाना हो, उसे भोजन कराना हो तो महासभा से पूर्व अनापत्ति प्राप्त करना अथवा वैसा करने के बाद यथाशीघ्र महासभा को उसकी अवगति प्रदान करना आवश्यक है। किसी टाळोकर के लिए स्थान आदि की

व्यवस्था अपेक्षित लगे तो महासभा की स्वीकृति के बिना वैसा न किया जाए।

कोई व्यक्ति इस विधि का अतिक्रमण करता है तो उसे किसी भी संघीय संस्था में साधारण सदस्यता के सिवाय किसी भी पद पर व कार्यसमिति आदि में न रखा जाए, न उसे रहना चाहिए।

टालोकर संपर्क से संबंधित नियम-व्यवस्था जान लेने के बाद किसी व्यक्ति ने उसका अतिक्रमण किया है और वह भविष्य में उसका पुनरावर्तन न करने का लिखित रूप में संकल्प करता है और महासभा को वह लिखित संकल्प पत्र सौंपता है तो भी उसके बाद दो वर्षों तक उसे किसी भी संघीय संस्था के किसी भी पद पर व कार्यसमिति में नहीं लिया जाए।

256. टालोकर से मार्ग में भेंट हो जाए तो श्रावक न उसके सामने हाथ जोड़ें, न उसका अभिवादन करें तथा न "मत्थएण वंदामि" जैसे शब्दों का प्रयोग करें। चलाकर उससे बात भी न करें। बात करना आवश्यक हो तो महासभा से अनापत्ति प्राप्त करें अथवा बात करने के बाद यथाशीघ्र महासभा को उसकी अवगति प्रदान करें।

257. टालोकर के संदर्भ में न आर्थिक अनुदान देना चाहिए तथा न उसके परिसर या मकान में ठहरना चाहिए। विशेष स्थिति में महासभा से निवेदन कर अनापत्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।

258. टालोकर से देवी आदि की पूजा करवाना, मंत्र लेना, ताबीज आदि बंधवाना वर्जनीय है।

259. जो गणमुक्त साधु-साध्वी मुखवस्त्रिका न रखे, अन्य किसी साधक आदि के रूप में रहे तो उसे भी संघीय संस्थाओं के स्तर पर प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए, यथा-उसके कार्यक्रम में संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए संभागी नहीं बनना चाहिए, न अपने कार्यक्रम में उसको आमंत्रित करना चाहिए।

नोट:- टालोकर-जो मुखवस्त्रिका युक्त जैन साधु-साध्वी का वेश धारण करता हो।

उपक्रम प्रारम्भ

260. कल्याण परिषद् की स्वीकृति के बिना केन्द्रीय संस्थाओं के द्वारा तथा संबद्ध केन्द्रीय संस्था की लिखित स्वीकृति के बिना स्थानीय संस्थाओं के द्वारा कोई भी नया आध्यात्मिक व लौकिक उपक्रम प्रारंभ न किया जाए।

कार्यक्रम निर्धारण

261. गुरुकुलवास में अग्रिम चतुर्मास के कार्यक्रमों की दिनांकों का निर्धारण सामान्यतया अनन्तर पूर्ववर्ती आश्विन पूर्णिमा से पूर्व नहीं किया जाए।
262. केंद्रीय संस्थाओं की गतिविधियों के संदर्भ में आचार्यप्रवर से कोई इंगित प्राप्त करना अभीष्ट हो तो सामान्यतया संबद्ध केंद्रीय संस्था का अध्यक्ष स्वयं आचार्यप्रवर को उस विषय में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष निवेदन करे।

गुरुकुलवास आयोजन

263. गुरुकुलवास में व्यवस्था समिति के अभाव में व्यवस्था समिति का सारा दायित्व सभा के पास रहे।
264. मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में चारित्रात्माओं व गृहस्थों की तपस्या का अनुमोदना व अभिनन्दन का उपक्रम नहीं रहे।
265. आचार्यप्रवर की सन्निधि में होने वाले कार्यक्रम के लिए अथवा वार्तालाप के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित करने से पूर्व आचार्यप्रवर के ध्यान में लाना अपेक्षित है। स्थानीय सांसद व विधायक इसके अपवाद हैं।
266. आचार्यप्रवर के सान्निध्य में मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में होने वाले पुरस्कार-सम्मान अर्पण कार्यक्रम के लिए सामान्यतया लगभग सोलह मिनट का समय व अधिकतम तीन व्यक्तियों को प्रस्तुति का अवसर दिया जा सकेगा। प्रस्तुतिकर्ता— 1. पुरस्कार-सम्मान दाता की ओर से, 2. पुरस्कार-सम्मान ग्रहणकर्ता की ओर से 3. संयोजक। प्रशस्ति पत्र पाठक भी इन्हीं तीनों में से कोई हो। सामान्यतया

पुरस्कार—सम्मान कार्यक्रम आचार्यप्रवर के प्रवचन के बाद ही हो सकेगा। एक ही संस्था द्वारा दिए जाने वाले दो पुरस्कार—सम्मान के उपक्रम के लिए लगभग इक्कीस मिनिट और तीन पुरस्कार—सम्मान के लिए लगभग छब्बीस मिनिट का समय दिया जा सकेगा।

267. अकेन्द्रीय संस्थाओं के पुरस्कार—सम्मान उपक्रम के लिए सामान्यतया मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में समय नहीं दिया जा सकेगा। न ही अकेन्द्रीय संस्थाओं का शपथ ग्रहण का उपक्रम आचार्यप्रवर की सन्निधि में हो सकेगा। आध्यात्मिक पर्यवेक्षक चारित्रात्मा अथवा अन्य चारित्रात्मा की सन्निधि में वह होने में आपत्ति नहीं।

268. गुरुकुलवास में सामान्यतया वाद्ययंत्रों वाली संगीत संध्या का आयोजन आचार्यप्रवर के प्रवास स्थल से तीन सौ मीटर की परिधि में नहीं होना चाहिए।

269. गुरुकुलवास में रात्रि में आयोजित कवि सम्मेलन में केवल स्थानीय गृहस्थ कवि ही भाग ले सकते हैं बशर्ते कि वे अर्थ अनुबन्धित न हों।

270. संवत्सरी के बाद गुरुकुलवास में आयोजित खमतखामणा कार्यक्रम में चारित्रात्माओं के सिवाय प्रस्तुति की व्यवस्था इस प्रकार रहे—

1. किसी भी केन्द्रीय संस्था का अध्यक्ष अथवा मंत्री।
2. पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली स्थानीय संघीय संस्थाओं के अध्यक्ष अथवा मंत्री।
3. चतुर्मास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष अथवा मंत्री।
4. आवास व्यवस्था का संयोजक।
5. भोजन व्यवस्था का संयोजक।

अध्यक्ष व मंत्री में से प्राथमिकता अध्यक्ष की रहे। इन निर्धारित व्यक्तियों के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं बोल सकेगा। गृहस्थ वक्ता अपने वक्तव्य में किसी संस्था के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक चारित्रात्मा आदि से खमतखामणा न करे।

271. ते.यु.प., तेरापंथ किशोरमंडल, ते.म.मं., तेरापंथ कन्यामंडल व अणुविभा आदि केन्द्रीय संस्थाओं के वार्षिक अधिवेशन तथा सभा

प्रतिनिधि सम्मेलन के अनेक दिनों के कार्यक्रम में मंचीय कार्यक्रम सामान्यतया एक ही दिन रखा जा सकेगा। मंचीय कार्यक्रम में लगभग पन्द्रह मिनट का समय दिया जा सकेगा और अधिकतम तीन प्रस्तुतियां हो सकेंगी। साधु-साध्वियां भी अधिवेशन के संदर्भ में उसी दिन बोल सकेंगे। अधिवेशन, सम्मेलन आदि की किट चारित्रात्माओं को भेंट नहीं की जाए, अपेक्षानुसार कार्यक्रम पत्रक उन्हें उपहृत किया जा सकता है।

यदि अनेक केन्द्रीय संस्थाओं का कार्यक्रम संयुक्त रूप में हो तो पन्द्रह मिनट की जगह पच्चीस मिनट का समय दिया जा सकेगा। वह समय एक अथवा अनेक दिनों में लिया जा सकता है।

272. ते.प्रो.फो. द्वारा शिक्षा के संदर्भ में इन तेरापंथी व्यक्तियों को सम्मानित किया जा सकता है—

1. 10वीं और 12वीं कक्षाओं के मेधावी छात्र।
2. भारत व विदेश के किसी भी विश्व विद्यालय व मान्य विश्व विद्यालय द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा में स्वर्णपदक प्राप्त विद्यार्थी।
3. केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य संस्थान द्वारा सिविल सर्विसेज परीक्षार्थियों में सर्वोच्च 50 की संख्या में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी।
4. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोधकार्यार्थ छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी।

यह उपक्रम ते.प्रो.फो. के अधिवेशन के समय भी किया जा सकता है अथवा इस संदर्भ में अलग से कार्यक्रम भी रखा जा सकता है।

शिक्षा से जुड़े हुए सम्मान यदि स्थानीय स्तर पर किए जाएं तो प्राथमिकता ते.प्रो.फो. की रहे, अन्य कोई संघीय संस्थाएं न करें। जहां ते.प्रो.फो. की शाखा न हो और वहां वैसा करना अभीष्ट हो तो उसके लिए सभा की प्राथमिकता रहे।

273. ते.प्रो.फो. द्वारा सिविल सर्विसेज, डॉक्टर, वकील आदि सम्मेलन तेरापंथ स्तरीय ही किए जाने चाहिए। स्थानीय जैन-अजैनों को आमंत्रित किया जा सकता है, किन्तु आवास व यातायात खर्च की व्यवस्था उन्हें न दी जाए।
274. अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के कार्यक्रम में प्रतिदिन दो गृहस्थ वक्ताओं को आमंत्रित किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। वे दो वक्ता गुरुकुलवास में मंचासीन होने की अर्हता वाले होने चाहिए।
275. उपासकशिविर, प्रेक्षाध्यानशिविर व तत्सदृश का मंचीय कार्यक्रम एक ही दिन रखा जा सकेगा।
276. रविवार को मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में केन्द्रीय संस्था अथवा केन्द्रीय संस्था के किसी एक विभाग का मंचीय कार्यक्रम नहीं हो।
277. उपासक, प्रेक्षाध्यान आदि शिविरों में पुरुषों की कक्षाएं अलग और बहिनों की कक्षाएं अलग लगनी चाहिए। साध्वी प्रमुखाजी की सन्निधि में कुछ उपक्रम हो तो दोनों साथ भाग ले सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शिविर इसका अपवाद है। केवल पुरुषों अथवा केवल बहिनों का भी शिविर लगाया जा सकता है। बहिनों का शिविर मुख्यतया साध्वियां-समणियां संभालें तथा पुरुषों का शिविर संत संभालें। शिविर उसे कहा जाए जो अनेकरात्रिक हो और जिसमें आवास व भोजन की व्यवस्था सामूहिक रूप में रखी जाए। जो एक घंटा, दो घंटा आदि का क्रम चले, उसे शिविर नहीं माना जाए।
278. आचार्यप्रवर के सम्मुख शिविर, कार्यशाला, अधिवेशन आदि की रूपरेखा प्रस्तुत करने का दायित्व सामान्यतया संबद्ध संस्था के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति का रहे। उनके साथ अपेक्षानुसार संबंधित चारित्रात्मा व अन्य कार्यकर्ता भी रह सकते हैं।
279. स्थानीय संस्थाओं द्वारा आयोजित आंचलिक सम्मेलन, कार्यशाला आदि का भी मंचीय कार्यक्रम रविवार के दिन न रखा जाए।

280. संघीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले पन्द्रह अगस्त आदि के ध्वजारोहण कार्यक्रम में चारित्रात्माओं की सन्निधि अपेक्षित नहीं है।
281. किसी भी कार्यक्रम, पुरस्कार आदि के प्रायोजक का नाम मंच पर नहीं लगे।
282. सामान्यतया रात्रि कार्यक्रम में केशिओ, पियानों, ट्रेक आदि कोई भी उपकरण काम में नहीं लिया जाए।
283. मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में स्थानीय संघीय संस्था की रजत जयन्ती, स्वर्ण जयन्ती व हीरक जयन्ती के कार्यक्रम के लिए लगभग पन्द्रह मिनट का समय और अधिकतम तीन प्रस्तुतियों का अवसर दिया जा सकेगा। यदि कार्यक्रम का संयोजन गृहस्थ करे तो उसे भी एक प्रस्तुति माना जाए।
284. केन्द्रीय संस्थाओं के तत्त्वाधान में आयोजित होने वाले एक दिवसीय-अनेक सत्रीय कार्यशाला, सम्मेलन, अधिवेशन व तत्सदृश उपक्रम के लिए मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में एक प्रस्तुति का अवसर और लगभग पांच मिनट का समय दिया जा सकेगा।
285. सामान्यतया चतुर्मास व मर्यादा महोत्सव आदि की प्रार्थना के लिए मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में समय नहीं दिया जा सकेगा।
286. कार्ड आदि में सान्निध्य, प्रेरणा आदि के रूप में आचार्यप्रवर के सिवाय अन्य किसी भी चारित्रात्मा का नामोल्लेख नहीं हो।
287. चतुर्मास, मर्यादा महोत्सव आदि प्रवास के संदर्भ में आमंत्रण पत्रिका न छपाई जाए।
288. किसी भी संघीय संस्था व व्यवस्था समिति द्वारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, पेंपलेट, आमंत्रण कार्ड और व्हाट्सएप आदि रूप प्रचार सामग्री में आयोजक संस्था आदि का नाम, ईमेल आई.डी. व फोन नम्बर आदि आ सकते हैं, किन्तु उसमें अध्यक्ष, मंत्री आदि का नाम व फोटो नहीं आना चाहिए।

किसी अन्य संस्था के अध्यक्ष आदि को कार्यक्रम का मुख्य अतिथि आदि बनाया जाए तो उसका नाम आ सकता है। आयोजक संस्था का अध्यक्ष आदि कोई व्यक्ति उस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदि करे तो अध्यक्ष आदि के रूप में भी उसका नाम नहीं आना चाहिए। किसी केंद्रीय संस्था से संबद्ध शाखा आदि कोई कार्यक्रम करे और उसमें उस शाखा आदि की केंद्रीय संस्था का कोई पदाधिकारी मुख्य अतिथि आदि के रूप में हो तो उसका नाम दिया जा सकता है।

289. कार्यक्रम, शिविर आदि के कार्ड, बैनर आदि में निर्देशन आदि के रूप में किसी भी साधु-साध्वी व समणी का नाम नहीं आना चाहिए।
290. ध्वज हस्तांतरण कार्यक्रम यात्रा व्यवस्था ग्रहण के अनन्तर पूर्व दिन या उसी दिन मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में आचार्यप्रवर के प्रवचन के बाद तथा मंगलपाठ से पूर्व हो सकेगा।
291. ध्वज हस्तांतरण कार्यक्रम में सामान्यतया एक ही व्यक्ति/समूह ग्रहणकर्ता की ओर से तथा एक ही व्यक्ति/समूह प्रदाता की ओर से प्रस्तुति कर सकेगा।
292. आचार्यप्रवर के पदार्पण के उपलक्ष्य में किसी भी चारित्रात्मा व समणी की जन्मभूमि, दीक्षाभूमि आदि के संदर्भ में आए संदेश, आलेख आदि का वाचन मुख्य प्रवचन कार्यक्रम आदि में न किया जाए।
293. मुख्य प्रवचन कार्यक्रम आदि के संदर्भ में निर्मित कार्ड, बैनर, पोस्टर आदि का प्रकाशन होने से पूर्व कार्यक्रम संयोजक मुनि को दिखा देना चाहिए।
294. राज्य प्रवेश आदि के अवसर पर राज्य सीमा के आसपास सामान्यतया कोई कार्यक्रम विहार (यात्रा) के बीच में नहीं रखा जाए।
295. सामान्यतया आचार्यप्रवर के प्रवचन आदि की दृष्टि से काष्ठ के मंच का निर्माण नहीं किया जाए।
296. किसी भी बैनर पर प्रायोजक व कोर्डिनेटर आदि के रूप में व्यक्ति, परिवार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम न दिया जाए।

297. गुरुकुलवास के चतुर्मास के दौरान हर रविवार को स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण आदि के संदर्भ में चार स्थान (हॉल आदि) आरक्षित रखे जाने चाहिए।

298. रविवार को केन्द्रीय संस्थाओं के अधिवेशन आदि रखने में दिक्कत नहीं, किन्तु स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित चार स्थानों का उपयोग न किया जाए। स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित चार स्थान जब खाली रहेंगे तब उनको रविवार के दिन त्रिदिवसीय शिविर आदि के संदर्भ में प्रयुक्त करने में आपत्ति नहीं।

299. पुस्तक आदि विमोचन नीति—

ग्रन्थ	प्रस्तुति संख्या	लगभग समय
1. आगम, आगम व्याख्या ग्रंथ व तत्सम ग्रंथ	अधिकतम तीन	इक्कीस मिनट
2. लेखक ग्रन्थ	अधिकतम दो	दस मिनट
3. प्रस्तोता ग्रन्थ	एक	सात मिनट
4. पत्र-पत्रिका विशेषांक	एक	पांच मिनट

नोट:—

1. संयोजक मुनि का संयोजन प्रस्तुति की गिनती में नहीं, किन्तु आध्यात्मिक पर्यवेक्षक चारित्रात्मा का वक्तव्य व गृहस्थ द्वारा किया जाने वाला संयोजन प्रस्तुति की गिनती में लिया जा सकेगा। पुस्तक आदि विमोचन उपक्रम चाहे मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में हो या अन्य समय में हो, व्यवस्था एक समान रह सकेगी।
2. संकलित, सम्पादित ग्रन्थ व गैर तेरापंथी पत्र-पत्रिकाओं को मात्र विमोचित किया जा सकता है, प्रस्तुति का अवसर नहीं दिया जा सकेगा।
3. पुस्तक का प्रथम संस्करण ही लोकार्पित किया जा सकेगा। द्वितीय आदि संस्करण (आचार्यों सहित) स्टेज पर लोकार्पित

नहीं किए जा सकेंगे। अन्य भाषा में अनुवाद का प्रथम संस्करण लोकार्पित हो सकेगा।

4. फोटो व संकल्प पत्र मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में चारित्रात्माओं के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किए जाएं।
5. संघीय पत्र-पत्रिकाओं के सामान्य अंक मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में लोकार्पित नहीं किए जाएं।
6. चतुर्मास, वर्धमान महोत्सव, मर्यादा महोत्सव, महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, जन्मोत्सव, पट्टोत्सव व दीक्षा समारोह के बैनर, पोस्टर आदि को मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में विमोचित किया जा सकेगा तथा अनन्तर पूर्ववर्ती एक वर्ष में किसी कार्यक्रम में आमंत्रण आदि के संदर्भ में एक प्रस्तुति के लिए समय दिया जा सकेगा।

केन्द्रीय संस्थाओं के विशेष आयोजनों के बैनर आदि को भी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में विमोचित किया जा सकेगा।

अधिवेशन आदि

300. केन्द्रीय संस्थाओं के अधिवेशन-सम्मेलन आदि के संदर्भ में ध्यातव्य है—

1. प्रवृत्तिगत या सूचनागत बैनर के अतिरिक्त दो बैनर से अधिक न बनाए जाएं।
2. बैनर पंडाल व कार्यक्रम हॉल के अतिरिक्त कहीं पर भी न लगाए जाएं।
3. स्वागत द्वार (तोरण) न बनाए जाएं।
4. डेकोरेशन लाइटों का प्रयोग नहीं किया जाए।
5. संभागियों को बैग न दिया जाए, सामान्य फोल्डर फाइल दी जाए तो आपत्ति नहीं।
6. भोजन में 13 द्रव्यों से अधिक न हों।
7. अधिवेशन-सम्मेलन आदि के प्रायोजक का नाम बैनर, फोल्डर फाइल आदि पर अंकित न किया जाए और न गुरुकुलवास के संवादों की साप्ताहिक विज्ञप्ति में दिया जाए। मुख्य प्रवचन

कार्यक्रम के अतिरिक्त कार्यक्रम में मोमेन्टो आदि से उसका सम्मान किया जा सकता है तथा संस्था के प्रतिवेदन में उसका उल्लेख भी किया जा सकता है। सहयोगी के रूप में प्रवास व्यवस्था समिति का उल्लेख हो तो आपत्ति नहीं।

8. अधिवेशन आदि के फोल्डर में वक्ता साधु-साध्वियों व समणियों का नामोल्लेख हो तो आपत्ति नहीं। परन्तु अन्य किसी कार्यक्रम के कार्ड आदि में उनका नामोल्लेख न हो।

301. सभा प्रतिनिधि सम्मेलन, अ.भा.ते.यु.प. और अ.भा.ते.म.मं. के अधिवेशनों में स्थानीय संस्थाओं के मात्र पदाधिकारी ही संभागी बन सकेंगे। पदाधिकारियों के सिवाय अन्य किसी का भी पंजीकरण न किया जाए। पदाधिकारी से अतिरिक्त व्यक्ति को अधिवेशन आदि की गोष्ठी आदि में बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए। अपेक्षानुसार केन्द्रीय संस्थाएं किसी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आहूत कर सकती हैं।

302. केन्द्रीय संस्थाओं के अधिवेशन, सम्मेलन आदि में आवास व संगोष्ठी की व्यवस्था फाइव स्टार होटल में नहीं की जाए।

303. मंचीय कार्यक्रम की निर्धारित अवधि के अतिरिक्त केन्द्रीय संस्थाओं का शपथग्रहण, टीम घोषणा मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में मंचीय कार्यक्रम के दौरान ही हो सकेगा, उस उपक्रम के संदर्भ में वक्तव्य आदि नहीं होना चाहिए, मात्र शपथ ग्रहण व टीम घोषणा ही हो। मंचीय कार्यक्रम के अतिरिक्त दिनों में वह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में न रखा जाए।

304. चतुर्मास काल में एकाधिक केन्द्रीय संस्थाओं के अधिवेशन, सम्मेलन, शिविर, कार्यशाला आदि कार्यक्रम सामान्यतया साथ में नहीं हो सकेंगे, किन्तु शिविर, कार्यशाला आदि के दौरान यथानुकूलता केन्द्रीय संस्थाओं के एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए समय दिया जा सकेगा।

सम्मान

305. संघीय संस्थाओं द्वारा चारित्रात्माओं, समणी, मुमुक्षु एवं उपासकों को अभिनन्दन पत्र भेंट न किए जाएं।

306. चारित्रात्माओं की सन्निधि में किसी भी अतिथि को माल्यार्पण और शालार्पण न किया जाए तथा न शाल आदि को उनके हाथों में दिया जाए। उन्हें यथावसर साहित्य, स्मृति चिन्ह, दुपट्टे आदि से सम्मानित किया जा सकता है।
307. किसी भी केन्द्रीय संस्था के पदाधिकारी अपनी संस्था के केन्द्रीय और स्थानीय कार्यक्रम में कोई भी मोमेण्टो, साहित्य आदि सम्मान स्वीकार नहीं करें। युवा गौरव, श्राविका गौरव आदि अलंकरण/सम्मान व पुरस्कार ग्रहण करने में आपत्ति नहीं। उस कार्यक्रम में अन्य संस्था के व्यक्तियों से भी सम्मान ग्रहण नहीं करें। किसी अन्य संस्था का संयुक्त तत्वावधान हो तो भी सम्मान ग्रहण न करें।
308. सर्टिफिकेट के सिवाय संघीय संस्थाओं द्वारा निर्मित मोमेण्टो आदि पर संस्था के पदाधिकारियों व संयोजकों तथा प्रयोजक व्यक्तियों के नाम अंकित न किए जाएं, संस्था का ही नाम लगाया जाए।

मंच व्यवस्था

309. सामान्यतया गुरुकुलवास में प्रवचन पण्डाल (मंच सहित) की संरचना—व्यवस्था के संदर्भ में समाज को उपयुक्त इंगित देना मुख्य प्रवचन कार्यक्रम व्यवस्थापक मुनि का ही जिम्मा है।
310. गुरुकुलवास में संघीय संस्थाओं द्वारा आयोजित मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में पूर्व और वर्तमान अग्रांकित महानुभाव ही मंचासीन हो सकेंगे— राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, भारत सरकार का मंत्री, राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष, आरएसएस का सरसंघचालक, विश्व हिन्दु परिषद् का प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट का न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष व तत्सम के साथ आमंत्रित किए गए अन्य व्यक्ति।

जैन विश्व भारती इन्स्टिट्यूट का कार्यक्रम इसका अपवाद है। मंच पर बैठने के अर्ह सभी व्यक्तियों को नाम घोषणा पूर्वक मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के दौरान सम्मान—उपहार दिया जाए तो आपत्ति नहीं। अन्य किसी को सामान्यतया नहीं।

311. गुरुकुलवास में मंच पर बैठने के अर्ह तथा कोई भी प्रान्तीय मंत्री बहिर्विहार में साधु-साध्वियों की उपस्थिति में मंच पर बैठे तो आपत्ति नहीं।
312. संघीय संस्थाओं, तेरापंथ और तेरापंथ-आचार्यों के नाम से युक्त न्यासों द्वारा तथा उनकी सहभागिता में आयोजित समारोह में चारित्रात्माओं की सन्निधि में श्रावक व संघीय संस्थाओं के पदाधिकारी मंच पर न बैठें। संगोष्ठी, सेमिनार आदि में आपत्ति नहीं। संगोष्ठी, सेमिनार वह उपक्रम होता है, जिसमें विशेष आमंत्रित लोग भाग लेते हैं, जो आम जनता के लिए नहीं होता।
313. आचार्यप्रवर की सन्निधि में होने वाले जैन विश्व भारती इन्स्टिट्यूट के दीक्षान्त समारोह में चान्सलर, वाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार, मानद उपाधि ग्राहक व्यक्ति व जैन विश्व भारती के अध्यक्ष के सिवाय किसी भी श्रावक को सामान्यतया मंच पर नहीं बिठाया जाए।

बहिर्विहार आयोजन

314. मर्यादा-महोत्सव, पट्टोत्सव, विकासमहोत्सव और चरमोत्सव के कार्यक्रम में साधु-साधवियां संयुक्त सान्निध्य प्रदान कर सकते हैं। शेष कार्यक्रमों में आचार्यप्रवर की स्वीकृति के बिना साधु-साधवियों की सहउपस्थिति नहीं होनी चाहिए।
315. किसी भी महानगर, नगर अथवा गांव में साधु-साधवियों की सन्निधि में मर्यादा महोत्सव और अक्षय तृतीया के कार्यक्रम एक ही जगह पर आयोजित किए जाएं, अलग-अलग नहीं। अक्षय तृतीया का कार्यक्रम साधुओं और साधवियों की संयुक्त सान्निधि में आयोजित नहीं हो सकेगा।
316. आचार्यप्रवर की स्वीकृति के बिना तेरापंथी साधु अन्य सम्प्रदाय की साधवियों/समणियों के साथ तथा तेरापंथी साधवियां अन्य सम्प्रदाय के आचार्यों आदि व साधुओं के साथ कार्यक्रम में भाग न लें।
317. साधु-साधवियों व समणियों की तपस्या के संदर्भ में कोई भी अभिवन्दना-अनुमोदना आदि रूप कार्यक्रम न किया जाए।

318. आचार्यप्रवर की अनापत्ति के बिना अपने यथानिर्दिष्ट चोखले से अतिरिक्त श्रावकों को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित न किया जाए।
319. सामान्यतया महीने में एक रविवार के सिवाय शेष रविवारों में साधु-साधवियों व समणियों का व्याख्यान होना चाहिए। अपेक्षित हो तो प्रवचन कार्यक्रम के बाद यत् किंचित् अन्य उपक्रम चल सकता है। एक महीने में एक रविवार को सार्वजनिक आदि कोई कार्यक्रम रखा जा सकता है।
320. कार्यक्रमों के आमंत्रण-पत्र एवं क्षेत्रीय विज्ञप्ति आदि सामग्री अपने क्षेत्र व उसके आस-पास के क्षेत्रों के सिवाय बाहर न भेजी जाए। जहां अन्य तेरापंथी साधु-साधवियों का प्रवास हो रहा हो वहां पर भी न भेजी जाए। उनमें साधु-साधवियों के व्यक्तिगत फोटो व संदेश भी न हों।

समायोजन

321. सामान्यतया सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक साधुओं से बहिनों का तथा साधवियों-समणियों से पुरुषों का बात करना वर्जनीय है। यदि रात्रि में व्याख्यान न रखकर तत्त्वज्ञान आदि की कक्षा लगाई जाए तो उसमें कोई भी पुरुष व बहिनें भाग ले सकती हैं, अमुक-अमुक ही भाग लें, यह व्यवस्था नहीं रहे।
322. साधुओं के व्याख्यान में कम से कम तीन पुरुषों तथा साधवियों/समणियों के व्याख्यान में तीन बहिनों का होना आवश्यक है। उसके बिना व्याख्यान न रखा जाए। भले वह सुबह का हो, दोपहर का हो या रात्रि का हो। शिक्षक गोष्ठी आदि की बात अलग है।
323. संघीय कार्यक्रम की समाप्ति संघगान (जय-जय धर्मसंघ अविचल हो.....) से की जाए। अनेक दिवसीय कार्यक्रम के अन्तिम दिन ही संघगान होना चाहिए। संघगान के दौरान उपस्थित सभी श्रावक सदस्य यथासंभव कायस्थिरता की मुद्रा में तल्लीनता के साथ खड़े रहें।

324. 1 जनवरी का मंगलपाठ-कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। किन्तु उस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के सिवाय अन्य क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित न किया जाए।
325. संघीय संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाला कार्यक्रम आध्यात्मिक और नैतिक चेतना को पुष्ट करने वाला व गरिमापूर्ण हो। उसमें तम्बोला व द्यूत-क्रीड़ा आदि से संबंधित खेल आदि न रखे जाएं।
326. संघीय संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संघ की गरिमा के अनुकूल हों।
327. संघीय संस्थाओं द्वारा आयोजित दीक्षान्त सामरोह में गाउन, टोपी आदि का उपयोग न किया जाए। नमस्कार महामंत्र आदि जैन संस्कृति के चिह्न से युक्त दुपट्टा धारण करने में आपत्ति नहीं।
328. विदेशों में स्थापित सेन्टर्स में भी तेरापंथ के संघीय कार्यक्रम यथासंभव आयोजित होने चाहिए। आचार्य भिक्षु आदि का चित्र भी वहां स्थापित रहना चाहिए। वहां तेरापंथी श्रावकों के लिए तेरापंथ का श्रावक प्रतिक्रमण ही यथासंभव उपयोग में लिया जाना चाहिए।
329. जैन विश्व भारती इन्स्टिट्यूट व संघीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्या संस्थानों के कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलन नहीं हो।
330. 'संघ गायक' संबोधन किसी गायक के नाम के आगे नहीं लगाया जाए, जब तक किसी को वैसा संबोधन आचार्यप्रवर द्वारा नहीं दिया जाए।
331. साधु-साधवियों का कटआउट नहीं बनाया जाए। आचार्यों का भी पूरा कटआउट नहीं बनाया जाए, हाफ कटआउट हो तो आपत्ति नहीं।
332. चारित्रात्माओं के प्रवास स्थल व पंडाल आदि में कहीं भी डेकोरेशन लाइटों का प्रयोग न किया जाए।
333. चिकित्सा शिविर आदि के बैनर में सान्निध्य, प्रेरणा आदि रूप में चारित्रात्माओं का नामोल्लेख न हो।

334. होली आदि लौकिक कार्यक्रमों के पोस्टर, बैनर, कार्ड आदि में आचार्यों का फोटो और जय भिक्षु, जय तुलसी आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए।
335. भिन्न सामाचारी में स्थित साधु-साधवियों के सान्निध्य में प्रवचन आदि कार्यक्रम न रखे जाएं।
336. गुरुकुलवास में मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में किसी गृहस्थ के जन्म दिवस व विवाह की वर्षगांठ आदि के संदर्भ में विकलांग-पांवदान आदि कोई उपक्रम न रखा जाए, यदि वह बाद में रखना हो तो उसकी सूचना मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में दी जा सकती है।
337. सामान्यतया साधु-साधवियों की सन्निधि में हारमोनियम, के.सी.ओ. के अतिरिक्त किसी वाद्ययंत्र का प्रयोग न हो। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की ओर से दी जाने वाली प्रस्तुति इसका अपवाद है।
338. व्याख्यान के बाद सामूहिक रूप में चारित्रात्माओं को तिव्रखुत्तो से वन्दना करना अपेक्षित नहीं है।
339. खमतखामणा के संदर्भ में वचन व लेखन में "मिच्छामि दुक्कडं" का प्रयोग करने की अपेक्षा "खमतखामणा" शब्द का उपयोग परम्परानुकूल है।
340. प्रवचन कार्यक्रम के प्रारम्भ में होने वाले नमस्कार महामंत्र के उच्चारण के दौरान श्रावक-श्राविकाओं को खड़े रहने की अपेक्षा नहीं है, वहां उपस्थित श्रावक-श्राविकाओं को बैठे-बैठे उसमें संभागी बनना चाहिए।
341. प्रातःकालीन प्रवचन के बाद बृहत् मंगल पाठ की अपेक्षा नहीं है।
342. बहिर्विहार में संघीय कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य जिम्मा सभा का रहे। अपेक्षानुसार अन्य संघीय संस्थाओं को साथ में जोड़ा जा सकता है।
343. नैतिकता का शक्तिपीठ, गंगाशहर में आयोजित होने वाले विसर्जन दिवस (परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण दिवस) का आयोजक

आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान रहे। उस दिन गंगाशहर, बीकानेर व भीनासर में संघीय संस्थाओं द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होना चाहिए। गुरुकुलवास में उस कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा व्यवस्था समिति का रहे। 'शेष-अशेष क्षेत्रों में अ.भा.ते.म.म. व उसकी शाखाओं के आयोजकत्व में वह कार्यक्रम होने की प्राथमिकता रहे। वहां स्थानीय सभा भी प्राथमिकता में न रहे।

344. साधु-साधवियों व समणियों के जन्मदिवस के संदर्भ में कोई भी कार्यक्रम कभी भी नहीं होना चाहिए।
345. साधुओं और साधवियों-समणियों की दीक्षा के 25, 50, 75 वर्षों की सम्पन्नता के संदर्भ में आयोज्य कार्यक्रम आदि में क्रमशः साधु, साधवियां-समणियां ही बोल सकते हैं, गृहस्थ नहीं बोलें। चोखले के लोगों को भी आमंत्रित न किया जाए तथा कार्यक्रम के संदर्भ में पोस्टर, फोटो आदि को दीवार आदि पर न लगाए जाएं, न बेच बनाए जाएं व न भोज रखा जाए। 25, 50 व 75 वर्षों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष का दीक्षा दिवस न मनाया जाए।
346. कालधर्म प्राप्त साधु-साधवियों की मासिक व वार्षिक पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए।
347. ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों के सिवाय चारित्रात्माओं के सान्निध्य में किशोर मंडल, कन्यामंडल आदि के बालक-बालिकाओं आदि का नृत्यरूप में गीत आदि नहीं होना चाहिए। किसी विद्यालय आदि के कार्यक्रम में विद्यालयी आदि विद्यार्थियों द्वारा वैसा उपक्रम हो तो अवसरानुसार निषेध भी किया जा सकता है, तटस्थ भी रहा जा सकता है।
348. तीर्थंकरों, आचार्यों आदि का नाटक आदि के रूप में मंचन करना सम्मत है, परन्तु मंचन में तथा मंचन के सिवाय अन्य कार्यक्रम में कोई व्यक्ति आचार्यों आदि के आवाज के लहजे में बोलने (Mimicry) का प्रयास न करे।

349. वेशपरिवर्तनपूर्वक नाट्य आदि उपक्रम चारित्रात्माओं की सान्निधि में आयोजित न हों। उसके कुछ अपवाद हैं —

1. 15 वर्ष तक के बालक—बालिकाओं द्वारा वेशपरिवर्तनपूर्वक किया जाने वाला उपक्रम।
2. लगभग मूलवेश में रहकर पुरुषों अथवा महिलाओं अथवा दोनों द्वारा किया जाने वाला उपक्रम।

नोट:— लगभग का अर्थ है— टाई आदि लगाना, परन्तु साफा नहीं पहना जाए।

350. अक्षय तृतीया के पारणों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाए, जिनका वर्षातप पिछली वैशाख शुक्ला चतुर्थी के बाद शुरू हुआ हो।

351. संवत्सरी के पारणे के सिवाय साधु—साधवियों के सान्निध्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में निःशुल्क भोजन व्यवस्था न रखी जाए। विशेष अपेक्षा हो तो महासभा से स्वीकृति प्राप्ति का प्रयास किया जा सकता है।

352. संघीय संस्थाओं के कार्यक्रमों में रात्रि—भोजन का परिहार वांछनीय है।

353. संघीय संस्थाओं व व्यवस्था समिति द्वारा संचालित भोजनालयों में तथा उनसे संबंधित भोज में 13 द्रव्यों से अधिक न किए जाएं तथा निर्धारित जमीकन्द (प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, आलू, शकरकन्द) का प्रयोग न किया जाए। मात्र कर्मचारियों के लिए भोजन बने तथा बनाने व खाने के पात्रों की व्यवस्था अलग हो तो जमीकन्द प्रयोग में आपत्ति नहीं।

354. मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रवास, यात्रा, स्वागत कार्यक्रम आदि से संबंधित बैनर, पोस्टर, लोगो आदि समग्र प्रचार सामग्री महासभा—सभा आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि को दिखाए बिना प्रकाशित नहीं होनी चाहिए।

355. दीक्षार्थियों के परिचय पोस्टर आदि में आचार्यप्रवर के फोटो के नीचे कुछ अन्तराल के बाद परिचय सहित दीक्षार्थियों के फोटो आए तो आपत्ति नहीं।

356. शनिवार के सांय 7 से 8 बजे के बीच होने वाली सामायिक के लिए किसी भी संस्था को सामायिक स्थल में व अन्यत्र कहीं बैनर आदि लगाने की अपेक्षा नहीं है। न सामायिक के स्थल में, न अन्यत्र भी। न ही उसके आंकड़े बताने की अपेक्षा है कि अमुक क्षेत्र में इतनी सामायिक हुई। कोई भी संस्था अपने-अपने सदस्यों को सामायिक की प्रेरणा दे तो आपत्ति नहीं। इसका आयोजक पूरा धर्मसंघ है, इसलिए आयोजक के रूप में किसी भी संस्था का नाम न रहे। यदि कोई स्थान आदि की व्यवस्था करनी हो तो उसका दायित्व प्राथमिकतया सभा का रहे। कोई संस्था अपने-अपने सदस्यों को सामायिक की किट आदि दे तो आपत्ति नहीं।
357. अ.भा.ते.यु.प. अ.भा.ते.म.मं. व ते.प्रो.फो. व्यक्तित्व विकास कार्यशाला, तत्त्वज्ञान कार्यशाला आदि उपक्रम अपने-अपने सदस्यों में ही कर सकते हैं। समण संस्कृति संकाय के साथ जुड़कर अ.भा.ते.यु.प. तत्त्वज्ञान के संदर्भ में जैन विद्या कार्यशाला का आयोजन कर सकती है।
358. तेरापंथ भवन अथवा तेरापंथ आचार्यों के नाम से युक्त भवन व चारित्रात्माओं के अन्य प्रवास स्थल में संघीय संस्थाओं के सिवाय अन्य कोई संस्था किसी संघीय गतिविधि का आयोजक न बने। जैसे—धम्मजागरणा, तपस्या की अनुमोदना आदि—आदि।
359. जैन एकता आदि के संदर्भ में अपेक्षानुसार जैन आचार्यों आदि से संपर्क करना, कार्यक्रम समारोह व संगोष्ठी करना अथवा दीर्घकालिक संवाद स्थापित करना महासभा का जिम्मा रहे। गुरुकुलवास में स्थानीय स्तर पर जैन शासन का कार्यक्रम करना हो तो व्यवस्था समिति की प्राथमिकता रहे।
360. धार्मिक गतिविधियों को गिनीज बुक आदि में कीर्तिमान के रूप में नहीं देना चाहिए।
361. नितान्त धार्मिक उपक्रम (सामूहिक पौषध, जप आदि), जो पूरे समाज से संबंधित हों, की आयोजक सामान्यतया महासभा/सभा रहे, किन्तु

अभिनव सामायिक और बारह व्रत का कार्य अ.भा.ते.यु.प. के अन्तर्गत रहे। उसके संदर्भ में पुस्तक प्रकाशन, प्रचार-प्रसार कार्यशाला और रिकार्ड रखने का दायित्व भी अ.भा.ते.यु.प. का रहे। अभिनव सामायिक का प्रयोग पर्युषण में भी किया जा सकता है, किन्तु शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच नहीं किया जाए।

362. अन्य सम्प्रदाय में दीक्षित होने वाले व्यक्ति का मंगलभावना समारोह आदि कार्यक्रम सामान्यतया संघीय संस्थाओं के द्वारा आयोजित नहीं होना चाहिए।

363. ज्ञानशाला मुख्यतया महासभा की प्रवृत्ति रहे। स्थानीय स्तर पर तेरापंथी सभा की प्रवृत्ति रहे। उसकी आर्थिक आदि व्यवस्था का मुख्य दायित्व सभा का रहे। स्थानीय ते.यु.प. व ते.म.मं. का संस्थागत स्तर पर क्रमशः प्रबंधन कार्य व प्रशिक्षण कार्य में इच्छानुसार सभा सहयोग ले सकती है।

पर्युषण

364. पर्युषण के सात दिनों व संवत्सरी के संदर्भ में ध्यातव्य है—

1. एकांकी, परिसंवाद, अन्त्याक्षरी, संगीत आदि प्रतियोगिता व सम्मान-पुरस्कार आदि का उपक्रम नहीं हो। आगन्तुक विशिष्ट अतिथि का साहित्य से सम्मान करने में आपत्ति नहीं, किन्तु संवत्सरी के दिन वह भी न हो।
2. प्रेक्षाध्यान शिविर न लगाया जाए।
3. तेरापंथ इतर वक्ता आहूत न किया जाए।
4. पदयात्रा कर श्रावक सिरियारी आदि स्थानों पर न जाएं। यथासंभव एक ही क्षेत्र में रहकर पर्युषण की आराधना करनी चाहिए।
5. संवत्सरी के सिवाय तपस्वी व्यक्तियों का सम्मान-अभिनन्दन आदि का उपक्रम मध्याह्न के समय रहे तो आपत्ति नहीं।
6. पुस्तक विमोचन आदि कार्यक्रम न रखे जाएं।

अठाई आदि तपस्या

365. तपस्या के संदर्भ में रुपयों, आभूषणों, कपड़ों, बर्तनों आदि का लेनदेन नहीं हो। धार्मिक पुस्तक आदि वस्तु दी व ली जाए तो आपत्ति नहीं।
366. चन्दन बाला का तेला आदि तपस्या का सामूहिक पारणा न रखा जाए।
367. अठाई आदि तपस्या के संदर्भ में भोजन न रखा जाए।

नोट—भोजन— भोजन की वह व्यवस्था, जो किसी प्रसंग विशेष के उपलक्ष्य में की जाती है, जिसमें आने के लिए लोगों को आमंत्रण—निमंत्रण दिया जाता है तथा जिसमें भोजन करने वालों की संख्या सौ (100) से अधिक होती है।

प्रवेश व जुलूस

368. चारित्रात्माओं के नगर प्रवेश आदि के अवसर पर होने वाले जुलूस के संदर्भ में ध्यातव्य बिन्दु—

1. भवन प्रवेश आदि के समय पर महिलाएं, कन्याएं द्वार आदि पर कुंकुम, केसर आदि का थाल लेकर खड़ी न रहें। न कुंकुम, केसर आदि का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाए।
2. फरियां, गुब्बारे आदि न लगाए जाएं।
3. हाथी, ऊंट आदि पशु नहीं होने चाहिए।
4. किसी प्रकार का नृत्यात्मक प्रयोग नहीं होना चाहिए।
5. महिलाएं मस्तक पर कलश लेकर न चलें।
6. बैड, बाजा, ढोल, नगाड़ा आदि का उपयोग करना जुलूस का अनिवार्य अंग न माना जाए।
7. "सामैया—सामेला" न किया जाए।
8. द्वार (तोरण) पर आचार्यों का खड़ा फोटो न लगाया जाए।
9. ज्ञानशाला आदि की झांकियां हों तो आपत्ति नहीं।
10. जुलूस आदि के प्रसंग पर गृहस्थों द्वारा खाद्य—पेय पदार्थ वितरित किया जाए तो उसका उपयोग कर कागज या प्लास्टिक बोतल को मार्ग में फैंकना उपयुक्त नहीं है। ऐसा हो जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें इकट्ठा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन्हें उचित स्थान पर डालने की प्रेरणा दी जाए।

369. दीक्षार्थी के जुलूस में अश्व जाति के सिवाय किसी भी पशु को सम्मिलित नहीं किया जाए।
370. आचार्यप्रवर के नगर प्रवेश आदि के अवसर पर होने वाले जुलूस के पथ का निर्धारण करने से पूर्व व्यवस्थापक मुनि से यथासंभव परामर्श कर लेना चाहिए।
371. परमपूज्य आचार्यप्रवर के चतुर्मास व मर्यादा महोत्सव आदि के प्रवेश आदि में होने वाले मंगलमय स्वागत जुलूस का सामान्यतया यह क्रम रहे—
1. अहिंसा यात्रा रथ + वाहन स्थानीय भी।
 2. प्रेरक व प्रासंगिक झांकी (5 तक)।
 3. स्कूली विद्यार्थी
 4. संघीय संस्थाओं के सिवाय अन्य संस्थाएं, संगठन।
 5. ज्ञानशाला
 6. तेरापंथ कन्या मण्डल
 7. तेरापंथ महिला मंडल
 8. सभा तथा व्यवस्था समिति के गणमान्य व्यक्ति
 9. जैन ध्वज
 10. मुमुक्षु बहिनें
 11. समणीवृन्द
 12. साध्वीवृन्द
 13. आचार्यप्रवर
 14. मुनिवृन्द व मुमुक्षु भाई
 15. ते.यु.प. + किशोर मण्डल
 16. ते.प्रो.फो.
 17. अणुव्रत समिति
 18. शेष जनता

जुलूस में उपस्थित सदस्य अपनी-अपनी संबद्ध संस्था या श्रेणी से संबंधित स्थान पर चलें। इनमें से कोई संस्था या श्रेणी के लोग न हों तो कोई बात नहीं।

जुलूस की व्यवस्था का जिम्मा व्यवस्था समिति के अन्तर्गत स्थानीय ते.यु.प का रहे।

नोट:-

1. जुलूस में 2-2 की पंक्ति रहे।
2. चतुर्मास व मर्यादा महोत्सव के सिवाय सामान्यतया जुलूस प्रारम्भ स्थल से प्रवास स्थल तक लगभग 2 कि.मी. की दूरी से अधिक न हो।
3. संघीय संस्थाओं के सदस्य अपने-अपने निर्धारित गणवेश में रहें।
4. सामान्यतया जुलूस में निर्धारित घोष व नारों का ही उपयोग किया जाए।

घोष व नारे

- अहिंसा अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी कीजय
- क्रान्तिकारी आचार्य भिक्षु कीजय
- युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी कीजय
- युगप्रधान आचार्यश्री महाप्रज्ञ कीजय
- महातपस्वी आचार्यश्री महाश्रमण कीजय
- जय जय ज्योतिचरण – जय जय महाश्रमण
- महाश्रमणी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी कीजय
- महावीर ने क्या बतलाया – समता धर्म – समता धर्म
- वीर भिक्षु ने क्या दिखलाया – तेरापंथ-तेरापंथ
- जयाचार्य ने क्या सिखलाया – मर्यादा और अनुशासन
- आलोचित नभ-धरा-दिगन्त – हे प्रभो! यह तेरापंथ
- अहिंसा यात्रा-सफल हो, सफल हो (अहिंसा यात्रा चल रही हो तो)
- निज पर शासन – फिर अनुशासन।
- सादा जीवन उच्च विचार – मानव जीवन का शृंगार।
- बदले युग की धारा – अणुव्रतों के द्वारा।
- कैसे बदले जीवन धारा – प्रेक्षाध्यान साधना द्वारा।

पुरस्कार, अलंकरण

372. नए सिरे से केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा गृहस्थ के नाम से युक्त अथवा प्रायोजक के आर्थिक सहयोग से युक्त पुरस्कार प्रारंभ न किया जाए।
373. केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के प्राप्तकर्ता व्यक्ति का नाम चयन समिति द्वारा प्रस्तावित होने के बाद ही निर्णीत हो।
374. किसी भी सम्मान, पुरस्कार आदि के नामकरण में आचार्यों के नाम का उपयोग महासभा की स्वीकृति के बिना न किया जाए।
375. किसी भी व्यक्ति के किसी केन्द्रीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में निर्णीत हो जाने के बाद से अध्यक्ष काल की सम्पन्नता के बाद के चार वर्षों तक संबद्ध केन्द्रीय संस्था का अलंकरण उसे न दिया जाए।
376. एक केन्द्रीय संस्था द्वारा अपनी संस्था की ओर से एक ही अलंकरण दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। वह भी एक कार्यकाल में दो व्यक्तियों से अधिक को नहीं दिया जाए।

अलंकरण— वह शब्द, जो किसी व्यक्ति की विशेषता को उजागर करने वाला हो तथा जिसका उपयोग उसके नाम के आगे किया जा सके, जैसे—समाजभूषण, भारतीभूषण, युवागौरव, श्राविकागौरव, टी.पी.एफ. गौरव, अणुव्रत गौरव व एतत् सदृश अन्य।

377. स्थानीय संघीय संस्थाएं अपने क्षेत्र में न कोई अलंकरण—सम्बोधन दे, न कोई पुरस्कार—सम्मान दे। प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो आदि के द्वारा किसी कार्यकर्ता का सम्मान किया जाए तो आपत्ति नहीं। अपने क्षेत्र के बाहर के कार्यकर्ता का इस रूप में भी सम्मान नहीं किया जाए।
378. “समाजभूषण” अलंकरण की प्राप्ति की अर्हताएं—
1. जो तेरापंथ की सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण किए हुए हो।
 2. विद्यमान व्यक्ति को जन्म दिनांक से 75 वर्ष पार होने के बाद ही तथा कालधर्म प्राप्त व्यक्ति को कालधर्म प्राप्ति से 25 वर्षों की

सम्पन्नता तक ही दिया जा सकता है बशर्ते कि कालधर्म प्राप्त व्यक्ति का जीवन काल 60 वर्ष से अधिक रहा हो।

3. कालधर्म प्राप्त व्यक्ति जीवनकाल के अंतिम 25 वर्षों में पूर्णतया नशामुक्त रहा हो तथा विद्यमान व्यक्ति अलंकरण दिए जाने से पूर्ववर्ती 25 वर्षों से पूर्णतया नशामुक्त रहा हो।
4. सामान्यतया शिष्ट, सभ्य और विनयशील स्वभाव वाला रहा हो।
5. क्षमतानुसार धर्मशासन की सेवा करने वाला रहा हो।
6. साधु-साध्वियों के लिए माता-पिता के समान दर्जे वाला रहा हो।
7. जो सामायिक में रुचि रखने वाला रहा हो।
8. जो तेरापंथ व तत्त्वज्ञान की सामान्य जानकारी रखने वाला रहा हो।
9. अपनी क्षमतानुसार समाज की लौकिक सदंर्भों में भी सेवा करने वाला रहा हो, जैसे- समाज के भवन, विद्यालय आदि के निर्माण में अपनी क्षमतानुसार योगदान दिया हो।
10. जो कदाग्रही-झगडालू के रूप में ख्यातनामा न रहा हो।
11. संघ-संघपति की अवहेलना करने वाला नहीं रहा हो।
12. अर्थ और काम के विषय में प्रसिद्ध रूप में कलंकित न रहा हो।
13. गणमुक्त साधु-साध्वियों को प्रश्रय देने वाला न रहा हो।
14. संघ की तुच्छ निन्दा करने वाले गृहस्थों का साथ देने वाला न रहा हो।

नोट:- 'समाजभूषण' अलंकरण के लिए प्रस्तावित व्यक्ति में 10 से 14 संख्या में उल्लिखित नकारात्मक बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शेष उल्लिखित अर्हताओं में यत्किंचित न्यूनता यथौचित्य मान्य हो सकती है।

धरना—प्रदर्शन

379. संबद्ध केन्द्रीय संस्था की लिखित स्वीकृति के बिना स्थानीय संस्थाएं सरकार आदि को प्रभावित करने के लिए धरने, प्रदर्शन, रैली आदि में संभागी न बनें। संघीय संस्थाओं से संबंधित किसी मुद्दे को लेकर धरना—प्रदर्शन करना उचित नहीं है।

अनशन

380. अनशन करने का इच्छुक व्यक्ति शब्द अथवा संकेत से अनशन ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करे तो उसे अनशन पचखाया जा सकता है। बेहोशी की अवस्था में किसी को अनशन नहीं पचखाया जाए। मूर्च्छित अवस्था में सागारी (न मांगे तब तक) अनशन पचखाया जाए तो आपत्ति नहीं।
381. अनशन में ऑक्सीजन न लिया जाए।
382. अनशन में तैलमालिश निषिद्ध है।
383. अनशनस्थ व्यक्ति के आस—पास भोजन न लाया जाए। उसे यथासंभव वैराग्यमय गीत आदि खूब सुनाए जाएं।
384. तिविहार और चौविहार अनशन में घाव आदि पर दवा लगाने में आपत्ति नहीं।
385. तिविहार अनशन में केवल पानी की एनिमा ली जा सकती है।
386. चौविहार अनशन में एनिमा न ली जाए और चौविहार अनशनस्थ के पास अनावश्यक पानी भी नहीं लाया जाए। यथासंभव उसके शरीर पर पानी की पट्टी भी नहीं लगाई जाए। शौच की सफाई में आपत्ति नहीं।
387. सामान्यतया अनशन पचखाने वाले और पचखाने वाले में से कोई एक पूर्वाभिमुख और कोई एक उत्तराभिमुख हो, इस स्थिति में अनशन पचखाने वाला व्यक्ति नमस्कार—महामंत्र तथा सक्कत्थुई (नमोत्थु णं) का उच्चारण कर वर्तमान आचार्यप्रवर को वन्दन/उनका स्मरण कर इस प्रकार बोले—“अर्हंतों और सिद्धों की साक्षी से यावज्जीवन तीनों

आहारों का त्याग है।" अनशन पचखने वाला भी संभव हो तो बोले—“त्याग है।”

तिविहार अनशन पचखने के बाद यदि चौविहार अनशन कभी पचखाना हो तो मात्र नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर—
“यावज्जीवन चारों आहार का त्याग है” ऐसा बोले। संभव हो तो चौविहार अनशन पचखने वाला भी बोले “त्याग है।”

विशेष— यदि अनशन पचखने वाला व्यक्ति शरीर से अक्षम हो तो वह लेटे—लेटे भी अनशन पचख सकता है।

प्रयाण

388. यदि उचित समय हो तो साधु—साध्वियों की पार्थिव देह को रात्रि में न रखा जाए। यदि रात्रि में रखना आवश्यक हो तो आचार्यप्रवर के ध्यान में लाया जाए।

389. बैकुंठी में सफेद वस्त्रों का ही उपयोग किया जाए।

390. कालधर्म प्राप्त साधु—साध्वियों के लिए बैकुंठी अधिकतम 09 खंडी बनाई जा सकती है।

391. बैकुंठी पर बने गुंबद एवं खंडों पर सफेद कपड़े की फरियां अथवा चांदी के कलशों का उपयोग किया जा सकता है।

392. चारित्रात्माओं के लिए कपड़े की मुख—वस्त्रिका का ही उपयोग किया जाए।

393. पार्थिव शरीर को चिता पर रखने के पश्चात् :—

1. नमस्कार महामंत्र, 2. लोगस्स पाठ, 3. नमोऽस्त्युणं पाठ,
4. चत्तारि मंगलं पाठ, 5. मंगलं भगवान् वीरो...,
6. मंगलं मतिमान् भिक्षु..., 7. विघ्नहरण मंगलकरण...(तीन बार)।

इन पाठों के उच्चारण के बाद पारिवारिकजन अथवा स्थानीयजन चिता में अग्नि की आहुति दें। तत्पश्चात् निर्धारित गीतों (प्रभो! तुम्हारे पावन पथ पर..., 2. प्रभो! यह तेरापंथ महान्...) का संगान किया जाए।

समाधिस्थल व स्मारक

394. तेरापंथ—आचार्यों के समाधिस्थल तथा साधु—साध्वियों के स्मारक की समुचित देखरेख, प्रबंधन का जिम्मा उस संस्था का रहे, जिसके पास उसका मालिकाना हो।
395. संघीय स्मारक (आचार्यों के जन्मस्थल, समाधिस्थल आदि) की सुरक्षा व सुव्यवस्था की दृष्टि से महासभा के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ रहे। वह अपेक्षानुसार उन स्मारकों से संबद्ध संस्थाओं व व्यक्तियों को अधिकृत परामर्श दे सकेगा।
396. समाधिस्थल व स्मारक स्थल को वन्दन करने की हमारी परम्परा नहीं है, इसलिए उसके सम्मुख मस्तक झुकाकर पंचांग प्रणतिपूर्वक वन्दना न की जाए।
397. समाधिस्थल आदि पर फल—फूल आदि न चढ़ाए जाएं, जप, ध्यान आदि आध्यात्मिक उपक्रम किए जा सकते हैं।
398. कालधर्म प्राप्त साधु—साध्वियों का चबूतरा बनाना आवश्यक नहीं है, छत्री तो बने ही नहीं। उनके अंतिम संस्कार स्थल से अन्यत्र उनका कहीं स्मारक भी न बनाया जाए।
399. कालधर्म प्राप्त साधु, साध्वी के चबूतरे पर उनके बारे में न कैसेट चले, न वार्षिक दिन मनाया जाए और न ही स्मारिका आदि प्रकाशित हों।
400. साधु/साध्वी के स्मारक पर आचार्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का रचित गीत, श्लोक या विचार, नाम से अथवा बिना नाम से किसी भी रूप में अंकित न किया जाए। जीवन परिचय गद्यात्मक भाषा में तथ्य के रूप में अंकित किया जा सकता है।
401. साधु/साध्वी के कालधर्म को प्राप्त हो जाने के बाद उस पार्थिव देह को संभालना, दाह—संस्कार करना और चबूतरा बनाना हो तो निर्माण का जिम्मा सभा का रहे। बड़े शहरों में महानगरीय सभा हो तो वह जिम्मा उसका रहे। उपनगरीय सभा (जहां चारित्रात्मा कालधर्म प्राप्त हुई हो) का सहयोग लिया जा सकता है।

धम्मजागरणा

402. धम्मजागरणा (आचार्यों की पुण्य तिथि की रात्रि में अथवा पूर्व रात्रि में आयोजित होने वाला गीत प्रधान कार्यक्रम) में किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र का प्रयोग नहीं हो।
धम्मजागरणा में यथासंभव पानी के सिवाय रात्रि में कोई भी भोजन—पेय की व्यवस्था न की जाए।
सिरियारी के सिवाय अन्य क्षेत्रों में होने वाली धम्मजागरणा रात्रि में 12 बजे से पूर्व सम्पन्न हो जाए।
403. रात्रि में यथासंभव बिजली का प्रयोग कम होना चाहिए। अत्यधिक जीवोत्पत्ति होने पर बिजली प्रायः बंद कर दी जानी चाहिए अथवा धम्मजागरणा को यथाशीघ्र सम्पन्न किया जा सकता है।

कासीद व्यवस्था

404. गुरुकुलवास के कासीद के संदर्भ में महासभा का दायित्व—
- क. कासीद की नियुक्ति करना।
 - ख. कासीद का वेतन निर्धारित करना। वेतन व भोजन व्यवस्था का जिम्मा सेवारत व्यवस्था समिति का रहे।
 - ग. अवकाश की अपेक्षा होने पर अवकाश देना।
 - घ. टॉर्च, कपड़ा आदि की समुचित व्यवस्था करना।
 - ङ. कासीद व्यवस्था संचालन की दृष्टि से महासभा की ओर से एक व्यक्ति को नियुक्त करना।
405. बहिर्विहारस्थ कासीद व्यवस्था महासभा स्थानीय सभाओं के माध्यम से संचालित करे।
406. बहिर्विहारस्थ कासीद के संदर्भ में स्थानीय सभाओं का दायित्व—
- (क) कासीद का चयन करना।
 - (ख) कासीद की पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी करना।
 - (ग) वेतन निर्धारित करना।
 - (घ) गन्तव्य स्थल की सभा के नाम कासीद को आवश्यक पत्र देना।

(ड) कासीद के साथ आवश्यक सामान की व्यवस्था करना, जैसे—मोमबत्ती, माचिस, टॉर्च, लाठी, पानी केतली, बेज, फर्स्ट एड, आवश्यक दवाई, घड़ी आदि।

(च) रास्ते के लिए आवश्यक सामान्य अर्थ राशि कासीद को देना।

(छ) गन्तव्य क्षेत्र एवं बीच के क्षेत्रों के टेलीफोन नम्बर कासीद को देना।

नोट— सभाएं कासीद का पूरा ब्यौरा महासभा को भेजने की यथासंभव व्यवस्था करे।

407. कासीद की अर्हताएं—

(क) मद्य—मांस सेवन का त्याग रखने वाला हो।

(ख) सामान्यतया स्वस्थ हो।

(ग) सेवा की भावना हो।

408. कासीद के कार्य/दायित्व—

(क) सूर्योदय, सूर्यास्त, प्रहर, प्रतिलेखन आदि का समय बताना।

(ख) चारित्रात्मा के ठहरने का स्थान, पंचमी समिति का स्थान देखकर बताना।

(ग) ठहरने के स्थान की सफाई का ध्यान रखना।

(घ) गोचरी के घर बताना, आवश्यक हो तो साथ में सेवा करना।

(ड) चारित्रात्माओं की अस्वस्थता या अन्य कारण विशेष की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/संस्था तक सूचना पहुंचाना।

(च) औषध आदि संभालना।

(छ) मार्गसेवा में आने वाले सेवार्थियों का यथोचित सहयोग करना।

(ज) चारित्रात्माओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना।

(झ) सामान्यतया अपेक्षानुसार पदयात्रा में चारित्रात्माओं के साथ रहना।

409. सभा कासीद व्यवस्था का दायित्व महासभा द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार निभाए।

410. चतुर्मास घोषित होने के बाद सिंघाड़ों को ले जाने की जिम्मेदारी संबद्ध चातुर्मासिक क्षेत्र की रहे। इसमें कासीद व्यवस्था भी शामिल है।

411. चातुर्मासिक क्षेत्र में चारित्रात्मा पहुंचने के बाद कासीद की अपेक्षा सामान्यतया नहीं रहेगी। यदि अन्य किसी व्यक्ति के अभाव में आवश्यकतावश सभा उसी कासीद रूप व्यक्ति को चतुर्मास काल में रखना चाहे तो आचार्यप्रवर को निवेदित किया जाना चाहिए।
412. चतुर्मास समाप्त होने के पश्चात् गुरु दर्शन का आदेश हो तो गुरु दर्शन करने तक बहिर्विहारी चारित्रात्माओं के लिए कासीद व्यवस्था की जिम्मेवारी सम्बद्ध चातुर्मासिक क्षेत्र की रहे।
413. चतुर्मास सम्पन्नता के बाद गुरुदर्शन का आदेश नहीं हुआ है, अन्य किसी प्रान्त आदि की ओर विहार का आदेश हुआ है तथा चतुर्मास की घोषणा नहीं हुई है, वैसी स्थिति में चारित्रात्मा के विहार के दौरान कासीद आदि व्यवस्था का जिम्मा पिछले चतुर्मास वाले क्षेत्र का रहे।
414. गुरु दर्शन करने के बाद कासीद सेवा मुक्त हो जाए। उसे अपने क्षेत्र में वापस जाने के लिए अपेक्षानुसार किराया पिछले चतुर्मास क्षेत्र द्वारा दिया जाए।
415. सेवामुक्त कासीद के आवास, भोजन व वेतन आदि की कोई भी जिम्मेवारी व्यवस्था समिति की नहीं रहे।
416. सेवारत कासीद को वेतन संबद्ध सभा/व्यवस्था समिति द्वारा दिया जाना समुचित है। अन्य किसी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहयोग देना अपेक्षित नहीं है।

धार्मिक-आराधना

सचित्त-अचित्त

417. नमक-मिर्च लगाए हुए दाड़िम के दानें, कैरी का कुट्टा (छुंदा), बिना उबली सब्जी का रायता-छमका तथा बिना उबले प्याज की चटनी को सचित्त माना जाए।
418. लहसुन की चटनी, जिसमें अन्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हों तो मिलने के बारह मिनट बाद, अचित्त मानी जाए।
419. अनंतकाय-अदरक, प्याज, गाजर आदि का रस दूसरी वस्तु, भले ही

अनंतकाय हो, लगभग आधी-आधी मिलाने के बारह मिनट बाद अचित्त माना जाए।

420. लोकी, खीरा, ग्वारपाठा, आंवला और हरा टमाटर आदि शाक की कोटि में आने वाले पदार्थों का रस सचित्त माना जाए। उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिला दी जाए अथवा दो शाक के रस लगभग आधे-आधे मिला दिए जाएं तो मिलाने के बारह मिनट बाद वह अचित्त माना जाए।
421. बिना उबाले हुए स्ट्राबेरी के बीज व फल को सचित्त माना जाए, भले उनके टुकड़े कर दिए जाएं व बीज पीसकर दूध आदि में मिला दिए जाएं।
422. हरी पत्ती को पीसा गया हो, उसमें उसकी मात्रा के लगभग समान दूसरा रस मिला दिया जाए या चीनी मिला दी जाए तो मिलाने के बारह मिनट बाद उस हरी पत्ती को अचित्त माना जाए।
423. अग्नि पर बर्तन रखकर उबाले हुए फल अचित्त माने जाएं। पानी यदि चूल्हे पर न हो तो उसमें धोए हुए दानें आदि अचित्त न माने जाएं।
424. माइक्रोवेव में गर्म किए गए फल व सब्जियां अचित्त मानी जाएं।
425. बिना उबले हुए हरे सिंघाड़े सचित्त माने जाएं।
426. बीज और छिलके से रहित हो जाने पर एलोयवेरा, ककड़ी और खीरा सचित्त माने जाएं।
427. गुठली अलग हो जाने के बाद चेरी, जामुन और बोर का छिलका सचित्त माना जाए।
428. बिना उबले सब्जे (फालूदा) को सचित्त माना जाए।
429. अचित्त पानी में सेव आदि के निमित्त सचित्त नमक (कालापन आदि को रोकने के लिए) डाला जाए तो उसे सचित्त माना जाए।
430. काले नमक के अलावा सभी प्रकार के नमक सचित्त माने जाएं।

पैकेटबन्द नमक भी संदेहास्पद होते हैं, अतः उन्हें सचित्त की तरह व्यवहृत किया जाए।

431. प्राप्त जानकारी के अनुसार लवण भास्कर, जलजीरा आदि में बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है तथा उनकी पर्याप्त घुटाई—पिसाई होती है, अतः उन्हें अचित्त माना जाए।
432. तले हुए खांखरे आदि पर यदि सचित्त नमक लगाया जाए, भले मिर्च के साथ लगाया जाए, उसे सचित्त माना जाए।
433. केले का छिलका सचित्त माना जाए।
434. कच्चा पपीता, कच्ची केरी, जोटी सहित नारियल तथा पीसा हुआ हरा नीमड़ा सचित्त माने जाएं।
435. बीज/गुठली व छिलके से रहित होने पर आलुबुखारा, बेर, हरे बादाम और अमरुद को अचित्त माना जाए।
436. मौसम्बी, संतरा, माल्टा और किन्नु का मोटा छिलका व बीज अलग हो जाने के बाद उनके अवशेष भाग को अचित्त माना जाए। उनके पतले छिलके को सचित्त नहीं माना जाए।
437. पपीता आदि फलों पर जरा—सा छिलका रह जाए, यदि उसमें किंचित् भी हरापन हो तो उसे सचित्त माना जाए।
438. बाजरी के आटे तथा न सेके हुए मूंफली के गोटे को सचित्त माना जाए।
439. धनिया, पोदिना, नारियल आदि की चटनी में यदि टमाटर आदि के बीज साबुत रह जाएं या पत्ती बिना पीसी रह जाए तो उस चटनी को सचित्त माना जाए। भले वह प्रक्रिया मिक्सी आदि किसी भी विधा से की गई हो।
440. धनिया आदि की चटनी में कोरा नमक मिलाया हुआ हो तो उसे सचित्त माना जाए। अन्य एक अथवा अनेक वस्तुएं (जीरा, पोदिना आदि) मिली हुई हों तो उनके मिलने के बारह मिनट बाद उसे अचित्त माना जाए।

441. बिना बीज वाले अंगूर भी डाली सहित सचित्त माने जाएं।
442. पानी को फिल्टर करने की जिस प्रक्रिया में रासायनिक द्रव्यों का समुचित प्रयोग होता हो तो उस पानी को अचित्त माना जाए।
443. फिटकरी से शोधित किया हुआ पानी अचित्त माना जाए। उसे तपस्या में भी पीने में आपत्ति नहीं।
444. लवंग, चीनी आदि से पानी का वर्ण, गन्ध, रस आदि परिवर्तित हो जाएं तो उसे अचित्त माना जाए। परन्तु उसे तपस्या में न पीएं।
445. आरो, एक्वागार्ड की प्रक्रिया से गुजरा हुआ पानी अचित्त माना जाए।
446. चूने आदि से अचित्त किए हुए पानी में सचित्त पानी से गिली गिलास चली जाए तो बारह मिनट बाद उसे अचित्त माना जाए। कुछ पानी मिल जाने पर उसमें पुनः चूना आदि डाले बिना अचित्त नहीं माना जाए तथा गर्म पानी में सचित्त पानी से गिली गिलास या थोड़ा भी सचित्त पानी मिल जाए तो उस पानी को सचित्त माना जाए।
447. रेफ्रिजरेटर में भाप के योग से बनने वाले जलकण सचित्त नहीं माने जाएं।
448. भाटा बर्फ (पानी की बर्फ) को पानी के समान माना जाए। उसे तिविहार उपवास में भी खाया जा सकता है।
449. बोतलों आदि में आने वाला मिनरल वाटर अचित्त की दृष्टि से संदेहास्पद होने के कारण सचित्त की कोटि में माना जाए।

गोचरी

450. नींबू आदि की सिकंजी तथा आमरस आदि में सचित्त पानी या बर्फ डाली जाए, वह गल जाए, उसके बारह मिनट बाद उन्हें अचित्त माना जाए।
451. जिन पैकेटबंद पदार्थों व मंजन आदि पर लाल रंग का वृत्त (चिह्न) हो, वे अखाद्य होते हैं और जिन पर हरे रंग का वृत्त (चिह्न) हो, वे खाद्य होते हैं। जिन पर लाल व हरा दोनों न हों, वे संदेहास्पद होते हैं।

इसलिए जिन पर हरे रंग का चिह्न हो, वे ही चारित्रात्मा के लिए ग्राह्य होते हैं। किन्तु जिन पर लाल चिह्न हो अथवा लाल व हरा दोनों चिह्न न हों, वे पैकेटबंद पदार्थ चारित्रात्मा के लिए ग्राह्य नहीं हैं। श्रावक को भी उनके भक्षण से बचना चाहिए।

452. प्राणी आकार की खाद्य वस्तुएं गोचरी में अग्राह्य हैं।
453. फ्रीज खोलते समय हिलने की संभावना रहती है, अतः उसमें से निकालकर बहराना विहित नहीं है।
454. साबुदाणा व उससे निष्पन्न वस्तुएं गोचरी में अग्राह्य हैं।
455. सोने व चांदी का बर्क तथा बर्क युक्त वस्तुएं दवाई के अतिरिक्त गोचरी में अग्राह्य हैं।
456. जिस घर में सन्तान का जन्म हुआ हो, वहां तीन दिन तक गोचरी न कराएं। हॉस्पिटल में जन्मा बच्चा हॉस्पिटल से घर आ जाए तो जिस दिन जन्मा हो उस दिन से तीन दिन तक गोचरी न कराएं। इसी प्रकार मृत्यु के दिन से तीन दिन तक मृतक (तथा उसके पुत्रों के) के घर में गोचरी न कराई जाए, दिनों की गिनती तिथि के अनुसार की जाए।
457. बर्फ, फ्रूटी, बिस्कुट आदि कवरसहित बहरना निषिद्ध है।

विगय व्यवस्था

458. विगय के छह प्रकार हैं — 1. दूध, 2. दही 3. तैल 4. घी 5. मिष्ट 6. कढाई—मिश्रित।
- **दूध**— फीका दूध, फीका छन्ना, दूध का पाउडर, दूध का फीका पेड़ा, फीका मावा आदि।
 - **दही**— केवल दही, बंधा हुआ दही, चीनी आदि से रहित मट्ठा। छाछ व राबड़ी विगय नहीं।
 - **तैल**— केवल तैल, जैसे — सरसों, बादाम, नारियल का तैल। तैल से कुल्ला करने में विगय नहीं लगती।

- **घृत**— घी, मक्खन, वनस्पति घी, चुपड़ा फलका, घी से चुपड़ा पापड़ आदि ।
- **मिष्ट**— चीनी, गुड़, खजूर का गुड़, मखाणा, बताशा, खांड, ओला, मिश्री, चपड़ा, महलमालिया, ताल मिश्री, सेक्रिन, चीनी युक्त सिकंजी, चीनीयुक्त जूस आदि । गुलकन्द, मिठासयुक्त खारक व अनारदाणा आदि का खाटा ।
- **कड़ाही-मिश्रित**— कड़ाही— वह वस्तु, जिसे घी अथवा तेल से तला जाए, जैसे — भुजिया, कचोड़ी, समोसा, घेवर, जलेबी, लड्डू आदि । जिसमें मिष्ट विगय डालकर गर्म किया जाए, जैसे —बादाम की कतली, चिटकी की रोटी, मिश्री की रोटी, हलुवा (सीरा), झाझरिया, मिष्टयुक्त अंजीर की कतली, चासनीयुक्त सिकंजी, चाय, कॉफी, उकाली, कष्टर्ड, च्वयनप्राश, आंवला आदि का मुरब्बा व कैरी पाक आदि तथा घी अथवा तेल वाला व्यंजन (साग), पाइनएपल आदि डिब्बाबन्द पदार्थ, गुडराब, टमाटर सोस, रेवड़ी, गोटा—पापड़ी, तिलपट्टी, गजक, तली हुई सोयास्टिक, केला की तली हुई चिप्स आदि ।

मिश्रित— एकाधिक विगय मिश्रण वाला पदार्थ, जैसे—मिष्टयुक्त दूध, मिष्टयुक्त दही, चीनी तथा दूध से युक्त आमरस आदि, श्री खण्ड, दूध व मिष्ट युक्त आईस्क्रीम आदि ।

मिठाई

- (क) वह वस्तु, जिसे घी अथवा तेल से तला जाए तथा जिसमें चीनी आदि डाली जाए, जैसे— घेवर, जलेबी आदि ।
- (ख) जिसमें मिष्ट विगय डालकर गर्म किया जाए, जैसे— बादाम की कतली आदि ।
- (ग) सातु, कांकरी, मेथी का लड्डू, लापसी व सीरा— ये वस्तुएं किसी भी रूप में निष्पन्न हों, चाहे गुड़ की हों या चीनी की हों, भले चीनी ऊपर से डाली गई हो या चीनी डाल कर उन्हें गर्म किया गया हो, मिठाई मानी जाएं । गुड़ के चावल को भी मिठाई माना जाए ।

नोट:— (क) मूल तरल वस्तु को मिटाई नहीं माना जाए, जैसे — झाझरिया, चाय, कॉफी, खीर आदि ।

(ख) आइस्क्रीम, चॉकलेट, टॉफी आदि तथा रबड़ी को मिटाई में गिना जाए ।

459. नाक में घी या तेल डालने से विगय नहीं लगती ।

460. मुरमुरे, दाल आदि का मुरुण्डा यदि तला हुआ हो तो विगय माना जाए और यदि सेका हुआ हो तो बिना विगय माना जाए ।

461. कांकरी में से निकाली गई काली मिर्च को टिसू आदि से पोंछने व पानी आदि से धोने पर भी कड़ाही विगय माना जाए ।

तपस्या

462. दीपावली के तेले की तपस्या का अंतिम दिन कार्तिक अमावस्या को आना चाहिए । यदि अमावस्या हो तो प्रथम अमावस्या को तेले का तीसरा दिन आए ।

463. तपस्या में दिन में तैलमालिश, इन्हेलर (केप्सुल—दवा रहित) तथा ऑक्सीजन लेने से तपस्या का भंग नहीं होता ।

464. तपस्या में किसी प्रकार का इंजेक्शन व ड्रिप न लिया जाए । कदाचित् तात्कालिक अस्वास्थ्य के कारण इन्जेक्शन लेना पड़े तो तपस्या मानी जाए, परन्तु इंजेक्शन लिया गया, उसका प्रायश्चित्त लेना आवश्यक है ।

465. तपस्या में एनिमा ली जा सकती है पर उसमें नींबू आदि दूसरी वस्तु मिली हुई नहीं होनी चाहिए ।

466. तिविहार अथवा चौविहार तपस्या में दिन में व रात में आंख और कान में दवाई डाली जाए तो आपत्ति नहीं । चौविहार में नाक व मुंह से भाप का सेवन न किया जाए ।

467. तिविहार तपस्या में दिन में स्वमूत्र पीने में आपत्ति नहीं ।

468. तिविहार तपस्या में राख और कोयले से कुरला करने में आपत्ति नहीं ।

469. एकासन का आहार करने का समय अधिकतम एक घंटा रह सकता है, उससे अधिक होने पर एकासन न माना जाए।
470. आयंबिल में नमकयुक्त वस्तु नहीं खाई जाए।
471. अंकुरित चने को अचित्त करके आयंबिल में प्रयुक्त करने में आपत्ति नहीं।
472. नवकारसी व पौरुषी में चारों आहारों का परित्याग होता है इसलिए उनके दौरान पानी की एनिमा नहीं ली जाए।
473. दस प्रत्याख्यान में नवकारसी, पौरुषी, पुरिमाध, चरम प्रत्याख्यान व अभिग्रह — ये पांच चौविहार किए जाएं। शेष पांच त्रिविहार किए जा सकते हैं। यही व्यवस्था स्फुट रूप में यदा-कदा किए जाने वाले इन तपों (प्रत्याख्यानो) के संदर्भ में ज्ञातव्य है।
474. दस प्रत्याख्यान का क्रम यह रहे —
1. नवकारसी 2. पौरुषी 3. पुरिमाध
 4. एकासन 5. एकल ढाणा (आहार का समय एक मुहूर्त)
 6. नीवी (निर्विकृतिक) 7. आयंबिल 8. उपवास 9. अभिग्रह
 10. चरम प्रत्याख्यान (सूर्यास्त से एक मुहूर्त पहले प्रत्याख्यान)।
- ये लगातार दस दिनों तक किए जाएं।
475. अभिग्रह की अवधि सूर्योदय से 12 बजे तक है, तब तक न फले तो पारणा करने में आपत्ति नहीं।
476. ढाई सौ प्रत्याख्यान की साधना करने वाले भी इस प्रकार 10—10 के क्रम से करें, जैसे—दस दिन तक दस प्रत्याख्यान, फिर अगली बार दस प्रत्याख्यान। ढाई सौ प्रत्याख्यान की साधना चैत्र शुक्ला एकम से चैत्र कृष्णा अमावस्या तक की एक वर्ष की अवधि में की जाए। ढाई सौ प्रत्याख्यान में प्रत्येक दस प्रत्याख्यान के बाद बीच में विराम लिया जाए तो आपत्ति नहीं। परन्तु साधना का प्रारंभ व पूर्णता इस एक वर्ष की अवधि में हो।

477. नवकारसी, पौरुषी, पुरिमार्ध, एकासन आदि नौ प्रत्याख्यान में (चरम प्रत्याख्यान के सिवाय) विगत रात्रि में 12 बजे से लेकर सूर्योदय तक चारों ही आहार का भोग न किया जाए।

दस प्रत्याख्यान की साधना अथवा स्फुट रूप में किए गए एकासन, एकलठाणा, नीवी, आयंबिल, उपवास, चरम प्रत्याख्यान—इन छहों में उस दिन रात्रि में सूर्यास्त से सूर्योदय तक चारों ही आहार का परिभोग वर्जनीय है।

478. एकासन, एकलठाणा, नीवी, आयंबिल, उपवास, बेला आदि तपस्या में सचित्त पानी नहीं पीएं। सामान्यतया किए जाने वाले तिविहार त्याग में सचित्त पानी पीने से त्याग का भंग नहीं होता है।

479. एकासन सम्पन्न कर उठने के बाद नमक आदि से गरारा करना वर्जनीय है।

480. प्रातराश आदि के बाद प्रहर की जाए, उसे पौरुषी नहीं माना जाए।

481. नीवी (निर्विकृतिक) में जिस वस्तु में किसी भी रूप में घी या तेल का अंश हो, उसे न खाया जाए, जैसे—चुपड़ा फुलका, चुपड़ा पापड़, लाल मिर्च, हरी मिर्च, व्यंजन, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, नोजा आदि। पानी मिर्च व दाल आदि में तेल, घी का अंश न हो तो उन्हें खाने में आपत्ति नहीं। बिस्कुट भी न खाया जाए। छाछ, बिना बघार दी हुई छाछ की कढ़ी, फल और हरी सब्जी खाने में दिक्कत नहीं है।

482. गृहस्थ नवकारसी, पौरुषी, रात्रि भोजन परित्याग आदि आहार संबंधी प्रत्याख्यान करे उसे “सुखे—समाधे त्याग” ही माना जाए। सुखे—समाधे कोई बोले या न बोले। विशेष कारणवश त्याग अवस्था में कभी दवा आदि लेनी पड़े तो उससे त्याग भंग नहीं माना जाए। फिर भी उसका प्रायश्चित्त कर लेना अच्छा है। कोई गृहस्थ त्याग करते समय यह धारणा कर ले कि मुझे ‘सुखे—समाधे’ का भी आगार नहीं है तो फिर उसके वह आगार नहीं रहेगा।

वर्षीतप

483. नए सिरे से किए जाने वाले वर्षीतप के संदर्भ में—

1. नए सिरे से वर्षीतप प्रारंभ करने वाले तपस्वी को सामान्यतया चैत्र कृष्णा अष्टमी से वर्षीतप प्रारंभ करना चाहिए। वैशाख शुक्ला चतुर्थी के बाद कोई वर्षीतप शुरू करे तो उसे अगले वर्ष के अक्षय तृतीया के पारणा कार्यक्रम में पारणा करने वाले तपस्वी के रूप में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।
2. यदि कोई लेट शुरू करे तो उतने दिन आगे जोड़ देने चाहिए। जैसे—चैत्र कृष्णा अष्टमी को कोई वर्षीतप शुरू न कर सके और वैशाख शुक्ला चतुर्थी तक के समय में वर्षीतप शुरू करे तो जितने दिन लेट शुरू करे उतने दिन अगली अक्षय तृतीया के बाद और जोड़ दिए जाएं।
3. वर्षीतप के बीच में विशेष कारण की स्थिति में दस उपवास तक छूट जाएं तो प्रायश्चित्त स्वरूप जितने उपवास छूटे हैं उतने बेले कर छः महीनों के भीतर—भीतर उसकी पूर्ति की जाए।

484. वर्षीतप करने वाले तपस्वियों को वर्षीतप काल में यथासंभव इन नियमों का पालन करना चाहिए—

1. 'ॐ ऋषभाय नमः' की 11 माला
2. आधा घंटा ध्यान
3. एक घंटा मौन
4. ब्रह्मचर्य की साधना
5. सचित्त एवं जमीकन्द का त्याग
6. पारणे के दिन रात्रि में चौविहार अथवा तिविहार
7. सुबह अथवा सायं कम से कम एक बार प्रतिक्रमण करना अथवा उस समय स्वाध्याय अथवा जप करना
8. क्षमा की साधना— एक दिन क्रोधवश कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो पारणे के एक दिन चीनी अथवा नमक अथवा लाल मिर्च के भक्षण का पूर्णतया वर्जन रखना।

जमीकन्द

485. जमीकन्द के त्याग वाले आलू भी न खाएं।
486. जमीकन्द का त्याग करने वाले को जमीकन्द का सीरा आदि और सूखी जमीकन्द तथा जमीकन्द का पाउडर व पेस्ट, जैसे—गार्लिक पाउडर आदि का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। यदि दिक्कत हो तो उनका आगार रखने में आपत्ति नहीं, जैसे—हल्दी, सूंठ आदि का।
487. जमीकन्द की वस्तु जिस तेल में बनाई जाए, उसी तेल में अन्य कोई वस्तु (जमीकन्द के अतिरिक्त) तली जाए तो जमीकन्द के त्याग वाले वह वस्तु भी न खाएं।
488. जमीकन्द के त्याग में प्याज आदि का अचार न खाया जाए।

हरियाली (हरा, हरी)

489. आलू, भिंडी, करेला, केला आदि वस्तुओं को जिस दिन सुखाया जाए और वे सूख जाएं तो उस तिथि की समाप्ति के बाद उन्हें सूखा माना जाए।
490. खाखरे के आटे, चिवड़े व मूड़ी में नीम की पत्तियां डाली जाएं तो उन्हें तीन दिन के बाद सूखा माना जाए।
491. अंकुरित धान हरा व अनंतकाय होता है, किन्तु वह जमीकन्द नहीं होता। उसे सुखा दिया जाए, फिर उसे सूखा माना जाए।
492. हरी मिर्च के अचार को तीन रात्रियों के अन्तराल के बाद उसे हरा नहीं माना जाए।
493. टमाटर, धनिया, लहसुन की चटनी, मिर्ची का कुट्टा आदि हरे माने जाएं।
494. ओथाणा, पाक, सोस आदि कोई भी अचार तीन दिन के बाद व जमीकन्द का अचार सात दिन के बाद हरा नहीं माना जाए।
495. फल और सब्जी से निकलने वाला तरल पदार्थ, जैसे—नारियल का पानी, टमाटर का रस, नींबू रस—ये पानी में घुल जाएं तो भी रस के त्याग वाले इनका वर्जन करें।

496. फल, सब्जी की बनी हुई मिठाई हरियाली नहीं मानी जाए, जैसे—कुम्हड़े का पेठा, आम व गाजर का हलुआ, फलों के रस की बनी हुई बर्फ आदि। गुड़, इक्षुरस में बनाए हुए चावल, आंवले का मुरब्बा, खजूर, नारियल का पानी, चिटकी, डाभ का पानी, डाभ की पतली गिरी, हरे बादाम व गट—ये हरे नहीं। गाजर की खीर तथा सलाद हरी में हैं।
497. फ्रीज में रखने से हरियाली का हरापन समाप्त नहीं माना जाए।

सामायिक व पौषध

498. सामायिक के दौरान मोबाइल फोन व ईयर फोन का स्पर्श ही न किया जाए, न बातचीत की जाए तथा उसका उपयोग समय देखने के लिए भी नहीं किया जाए। सामायिक के दौरान यदि कभी घंटी बंद करनी पड़ जाए तो उसका प्रायश्चित्त गाह्य है।
499. सामायिक में संस्थाओं की शपथ लेना, दायित्व ग्रहण करना तथा फाइल आदि पर हस्ताक्षर करना सम्मत नहीं है।
500. सामायिक की दृष्टि से पुरुष के लिए पहने हुए वस्त्रों को उतारना आवश्यक नहीं है। अनुकूलतानुसार चदर का रहना उपयुक्त है। सामायिक में मुख पर मुखवस्त्रिका का रहना वांछनीय है।
501. सामायिक के लिए आसन (बैठने के लिए वस्त्र आदि का बना हुआ उपकरण) होना अच्छा है, यदि आसन न हो तो आंगन पर बैठकर भी सामायिक की जा सकती है।
502. सामायिक में मोमेंटो, साहित्य आदि कुछ भी भेंट में न लिया जाए, न दिया जाए।
503. सामायिक के दौरान टी.वी. को ऑन—ऑफ न करें, न रिमोट का उपयोग करें।
504. सामायिक में वह धार्मिक लेखन आदि भी नहीं किया जाए, जो आर्थिक अनुबन्ध से जुड़ा हुआ हो, जैसे—किसी संस्था के वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा जैन विद्या, आगम आदि के प्रश्न पत्र आदि का निर्माण करना और परीक्षार्थी—कॉपियों की जांच करना।

505. सामायिक एक साथ कितनी भी ली जा सकती हैं तथा एक सामायिक पूरी होने से पहले दूसरी-तीसरी सामायिक का प्रत्याख्यान भी किया जा सकता है, किन्तु उसका कालमान (दो मुहूर्त, तीन मुहूर्त) पूरा हो जाना चाहिए।
506. सामायिक व पौषध में समण श्रेणी व अन्य श्रावक समुदाय से व्यक्तिगत रूप में खमतखामणा न किया जाए।
507. सामायिक में सिन्थेटिक रूई, स्पंज आदि का उपयोग करने में आपत्ति नहीं बशर्त कि कोई हिंसा का प्रसंग न हो। दस साल से ज्यादा पुरानी रूई का बिछौना आदि उसके बीज के कारण सचित्त युक्त न माना जाए।
508. प्रायश्चित्त की सामायिक को सामायिक करके ही उतारना चाहिए, न कि पौषध आदि के द्वारा।
509. संवर में श्रावक आगार सहित आइपेड आदि का उपयोग आध्यात्मिक कार्यों के लिए करे तो आपत्ति नहीं। किन्तु सामायिक में वैसा न किया जाए।
510. पौषध में दिन में केप्सूल-दवा रहित इन्हेलर लेने में आपत्ति नहीं।
511. पौषध में गैस वाला तकिया काम लिया जा सकता है, किन्तु पौषध के दौरान उसमें गैस न भरी जाए, न भराई जाए।
512. पौषध में निवार, मूंज आदि से निर्मित चारपाई का उपयोग करना निषिद्ध है। कारण की स्थिति में स्पंज, डनलफ, फोम आदि व सोफा सेट का उपयोग करने में आपत्ति नहीं है। हिंसा वर्जन आवश्यक है, प्रतिलेखन भी आवश्यक है।
513. यदि बारहव्रत लिए हुए हैं और अष्टप्रहरी पौषध करना किन्हीं कारणों से संभव न हो सके तो एक अष्टप्रहरी पौषध के बदले उसके प्रायश्चित्त स्वरूप चार रात्रियों में आठ बजे से सूर्योदय तक संवर कर उसकी पूर्ति की जा सकती है।

514. सामायिक व पौषध में संस्कृत, प्राकृत हिन्दी आदि भाषाओं का अध्ययन व नाममाला, कालूकौमुदी आदि कोश व व्याकरण के ग्रन्थों का कण्ठस्थीकरण—पुनरावर्तन नहीं किया जाए।
515. पौषध में शरीर से संलग्न अधोवस्त्र— पेन्ट, धोती, घाघरा आदि व गंजी, कमीज, ब्लाउज, साडी आदि ऊपरी वस्त्रों का प्रतिलेखन उन्हें बिना उतारे शालीन तरीके से दृष्टि प्रतिलेखन के रूप में किया जा सकता है तथा बिछाने व ऊपर ओढ़ने के कम्बल, दुशाला आदि वस्त्रों का प्रतिलेखन हाथ में लेकर ऊपर—नीचे दोनों तरफ देखकर किया जाना अपेक्षित है। पूंजणी व रजोहरण के धागों को ऊपर—नीचे करके उनका प्रतिलेखन (देखना) करना अपेक्षित है। यदि उपकरणों में कांटा आदि व त्रस जीव हों तो उन्हें संयमपूर्वक एक तरफ रख देना चाहिए।
516. एक कमरे में पति—पत्नी दोनों पौषध/संवर करें तो आपत्ति नहीं।
517. पौषध व सामायिक में शौचालय व मूत्रालय में जाने के लिए चप्पल—जूती पहनने में आपत्ति नहीं। वह जीव रहित है या नहीं— इस पर ध्यान दे लेना चाहिए। उसका अलग से प्रायश्चित्त अपेक्षित नहीं। लघुशंका व शौच के प्रायश्चित्त में ही वह समाविष्ट है। प्रवचन स्थल आदि पर जाने—आने के लिए चप्पल आदि का उपयोग न करें।
518. पंडाल आदि में गलीचा आदि बिछाया हुआ हो, भले उस पर टेप आदि कुछ लगाया हुआ हो तो भी उस पर सामायिक व पौषध नहीं किए जाएं, क्योंकि बीच—बीच में वह खुला रह सकता है।

शीलव्रत

519. यावज्जीवन के लिए शीलव्रत (ब्रह्मचर्यव्रत) को धारण कर चुके दम्पति संभव हो सके तो एक शय्या पर एक साथ शयन न करें, एक कमरे में सोने में आपत्ति नहीं।

प्रतिक्रमण

520. वायुयान, रेलगाड़ी आदि वाहनों में संस्थित व्यक्ति भी प्रतिक्रमण कर सकता है।

521. आचार्यप्रवर जब अन्यत्र विराजमान हों तब प्रतिक्रमण के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर उन्हें 'तिक्खुत्तो' से वंदन करना, पक्खी आदि हो तो पक्खी आदि का 'खमतखामणा' करना अपेक्षित है।
522. पौषध में किए जाने वाले प्रतिक्रमण में अतिचार व लोगस्स का ध्यान करना आवश्यक है, उन्हें सुना भी जा सकता है। यदि वह संभव न हो सके तो पौषध न करें।
523. प्रतिक्रमण के बाद भोजन करने का निषेध नहीं है। कोई इच्छा से त्याग करे तो अच्छी बात है।
524. दैवसिक, रात्रिक पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में क्रमशः 4, 4, 12, 20, 40 लोगस्स का ध्यान करणीय है। वह यदि 48 मिनट के भीतर ही कर लिया जाए तो अति उत्तम होगा। यदि 48 मिनट में नहीं कर सकें तो पांचवें आवश्यक के कायोत्सर्ग में 4 लोगस्स का ध्यान अवश्य करें। प्रतिक्रमण के पश्चात् अर्थात् परमेष्ठी वंदना के पश्चात् पुनः 12, 20, 40 लोगस्स का ध्यान करणीय है।

द्रव्य धारणा

525. जिस वस्तु में जितने द्रव्य मिलाने हैं, उन्हें मिलाने के पांच मिनट बाद एक द्रव्य गिना जाए। तत्काल खाए तो अलग-अलग द्रव्य माने जाएं, जैसे— सलाद, भेलमूड़ी, कटोरी, दही बड़ा, कांजी बड़ा, जीरा—मिर्च आदि डालकर चुपड़ा हुआ पापड़, जीरा आदि डालकर बनाया हुआ मट्ठा आदि।

सुमंगल साधना

526. वह श्रावक, जो जन्म तिथि से 60 वर्ष पार कर चुका है, जिसने कम से कम पांच वर्ष तक बारह व्रत की साधना कर ली है और जीवन भर के लिए बारह व्रत ग्रहण कर चुका है, वह इस साधना को स्वीकार करने के लिए अर्ह माना गया है।
527. इस साधना को स्वीकार करने वाले श्रावक को 'सुमंगल साधक' और श्राविका को 'सुमंगल साधिका' संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है।
528. सुमंगल साधना के लिए छह नियमों को स्वीकार करना अनिवार्य है:—

1. मैं यावज्जीवन अण्डा, मांस—मच्छी व किसी भी नशीले पदार्थ का मुख से सेवन नहीं करूंगा, न इन चीजों का क्रय—विक्रय करूंगा एक करण दो योग से—करूं नहीं वचन से, काया से।
2. मैं यावज्जीवन इरादतन रूप में झूठ नहीं बोलूंगा एक करण, दो योग से—करूं नहीं वचन से, काया से।
3. मैं यावज्जीवन इरादतन रूप में चोरी नहीं करूंगा एक करण, दो योग से—करूं नहीं वचन से, काया से। कर चोरी भी वर्जनीय है।
4. मैं यावज्जीवन मैथुन सेवन नहीं करूंगा एक करण दो योग से—करूं नहीं वचन से, काया से।
5. मैं यावज्जीवन अपने शरीर पर अंगूठी, हार आदि कोई भी आभूषण धारण नहीं करूंगा एक करण, दो योग से—करूं नहीं वचन से, काया से। स्वास्थ्य की दृष्टि से और सुहाग चिन्ह की दृष्टि से कुछ पहनना पड़े तो वह अपवाद है।
6. मैं यावज्जीवन शारीरिक अस्वास्थ्य की स्थिति के अलावा सूर्यास्त से सूर्योदय तक चारों ही आहार का सेवन नहीं करूंगा एक करण, दो योग से—करूं नहीं वचन से, काया से।

आगम

529. श्रावक महावीरत्थुई, दसवेआलियं आदि कण्ठस्थ न करें, न देख—देख कर उनके मूलपाठ का स्वाध्याय करें, स्फुट रूप में कोई कोई श्लोक आदि को याद करने में आपत्ति नहीं।
530. श्रावक आगमों का अनुवाद, टिप्पण पढ़ें तो आपत्ति नहीं।
531. कोई चारित्रात्माएं आगम स्वाध्याय करें, उस समय गृहस्थ सामने बैठे रहें और वे अपने आगमिक अर्थ बोध के आधार पर चारित्रात्माओं को कुछ बताएं तो आगम स्वाध्याय संबंधित व्यवस्था में आपत्ति नहीं।

प्रेरणा

532. चारित्रात्माओं से बातचीत व नमस्कार महामंत्र, अर्हत् वंदना आदि धार्मिक पाठों का उच्चारण यथासंभव खुले मुंह नहीं करना चाहिए। उस समय मुख पर हाथ अथवा रुमाल आदि का होना उपयुक्त है।

533. यदि संभव हो तो श्रावक को उस होटल आदि में भी भोजन नहीं करना चाहिए, जहां शाकाहार और मांसाहार दोनों भोजन बनते हैं। यदि कदाचित् उभय आहार वाली होटल में भोजन करना ही पड़े तो यह ध्यान दे लिया जाए कि शाकाहार में मांसाहार का मिश्रण तो नहीं है।
534. तेरापंथी परिवारों द्वारा अयोजित नामकरण संस्कार, शादी आदि आयोजन में शराब की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और यदि तेरापंथी परिवार द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में शराब की व्यवस्था हो तो वहां श्रावकों को नहीं जाना चाहिए। चले गए हों तो लौट जाना चाहिए।
535. सामान्यतया गूगल (वेबसाईट) में जिस क्षेत्र का जो सूर्योदय समय, सूर्यास्त समय मिलता है, उस सूर्योदय समय में तीन मिनट जोड़ने से तथा सूर्यास्त समय में तीन मिनट कम करने से जो समय होता है, उसको सूर्योदय व सूर्यास्त का समय माना जाए। छत आदि के ऊपर जाकर सूर्योदय, सूर्यास्त को देखकर भी समय का निश्चयन किया जा सकता है।
536. सचित्त पानी के त्याग में अचित्त पानी अनछाना (अगले दिन भी) भी पीया जाए तो सचित्त के त्याग का भंग नहीं होता, किन्तु अनछाना पानी न पीना अच्छा होता है।
537. किसी चीज का त्याग है और वह वस्तु खाने में (थाली आदि में) आ जाए तो उसे खाना नहीं चाहिए, मुंह में आ जाए तो भी उसे निगलना नहीं चाहिए।

प्रायश्चित्त—

सामान्यतया श्रावक को प्रायश्चित्त चारित्रात्मा अथवा समणी के पास ही करना चाहिए, किन्तु यदि उनकी उपलब्धता न हो तो कुछ प्रायश्चित्त नमस्कार महामंत्र का एक बार उच्चारण कर स्वयं भी स्वीकार किए जा सकते हैं। उनकी सूची इस प्रकार है—

- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| 1. सामायिक में कांटा निकले | — | 25 नवकार |
| 2. सामायिक में वर्षा की बूंदें लगे | — | 1 माला |

3. सामायिक अवधि से पहले पारले, बैठा रहे	—	2 माला
4. सामायिक भंग हो जाए	—	1 सामायिक
5. चतुष्प्रहरी पौषध	—	3 सामायिक
6. छहप्रहरी पौषध	—	4 सामायिक
7. अष्टप्रहरी पौषध	—	5 सामायिक
8. पौषध या साायिक में लेट्रिन में शौच प्रयोग, एक बार—	—	1 सामायिक
9. पौषध या सामायिक में नाली में प्रस्रवण करना	—	1 माला
10. त्याग में रात्रि भोजन कर ले	—	1 उपवास
11. रात्रि—त्याग में दवा लेनी पड़े, एक रात्रि	—	21 बार नवकारमंत्र

■ ■ ■ ■ ■

‘श्रावक सन्देशिका’ में उल्लेखित निरवद्य निर्देशों की अनुमोदना और तदितर के प्रति अनापत्ति/तटस्थता सिद्धान्ततः स्वीकार करता हूं।

आचार्य महाश्रमण

